चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 14 अगस्त– 20 अगस्त 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

माफिया सरगना मुन्ना बजरंगी को मिला था आर्म्स डीलर की हत्या का 'ठेका'

अभिषेक वर्मा की हत्या की योजना

मुन्ना बजरंगी

अभिषेक वर्मा

प्रभात रंजन दीन

रक्षा सौदे से जुड़े आर्म्स डीलर और दलालों ने आपसी प्रतिद्वंद्विता में एक दूसरे को निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश के माफिया सरगना को सुपारी दी थी. बॉलीवुड की तरह बड़े-बड़े कॉरपोरेट प्रतिष्ठान भी अपने प्रतिद्वंद्वी या विरोधी को हटाने के लिए 'कॉन्ट्रैक्ट-किलर्स' का सहारा लेते हैं, इस तथ्य के उजागर होने के बाद भी सीबीआई ने इसकी तह में जाने की जरूरत नहीं समझी, या उसे तह में जाने की इजाजत नहीं दी गई. इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण सूत्र सीबीआई के हाथ लगे, लेकिन यह मामला इसलिए भी आगे नहीं बढ़ा क्योंकि सीबीआई जैसी खुफिया एजेंसियों में भी अफसर अलग-अलग आर्म्स डीलरों के प्यादे के बतौर काम करते, एक-दूसरे को सूचनाएं लीक करते और प्रतिद्वंद्वियों को ठिकाने लगाने में 'सुगम' जरिया बनते पाए गए हैं. इसके लिए खास तौर पर जेलों में बंद माफिया सरगनाओं से मदद ली जाती है. माफिया सरगनाओं को जेल से ऑपरेट करने में सुविधा रहती है, वे पकड़े भी नहीं जाते और बाहर इनके 'हिट-मैन' अपना काम निपटाते रहते हैं.

आपको यह सूचना अजीबोगरीब लगेगी, लेकिन यह आधिकारिक तथ्य है कि रक्षा सौदे से जुड़े आर्म्स डीलरों, दलालों और उनके मददगार नौकरशाहों ने 'रोड़े हटाने के लिए' दाऊद इब्राहीम के भाई अनीस इब्राहीम तक को 'ठेका' दिया. इसमें एक 'ठेका' आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा को रास्ते से हटाने के लिए उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया सरगना मुन्ना बजरंगी को मिला था. इसकी सूचना मिलने पर सत्ता गलियारे से लेकर पुलिस और सीबीआई महकमे तक खूब खलबली मची. सीबीआई के लिए परेशानी यह थी कि आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा अरबों रुपए के रक्षा सौदा घोटाले और नेवल-वार-रूम-लीक मामले में सरकारी गवाह बन चुका था, लिहाजा उसकी हिफाजत बेहद जरूरी थी. अभिषेक वर्मा से सीबीआई को लगातार कई महत्वपूर्ण सुराग मिल रहे थे. ऐसे में, सीबीआई के लिए यह सूचना हतप्रभ करने वाली थी कि बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण सरकारी गवाह को जेल में ही निपटाने की तैयारी हो चुकी है. जेल में सरकारी गवाह की गतिविधियों की रेकी की जा रही थी और अलग-अलग माध्यमों से धमकियां मिल रही थीं. जेल में उसकी गतिविधियों की निगरानी में सीबीआई के भी कुछ मझोले स्तर के अधिकारी रात-दिन जुटे हुए थे. वे अपने सरकारी अधिकार का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे और 'कोई' उन्हें मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था. यह बात दस्तावेजों में भी आ चुकी है. सीबीआई एक तरफ रक्षा सौदा घोटाले की ईमानदारी से जांच कर रही थी तो दूसरी तरफ सीबीआई के ही कुछ अधिकारी कुछ अन्य अधिकारियों के साथ मिल कर रक्षा सौदा घोटाले में लिप्त कुछ खास लोगों को बचाने और कुछ को बलि का बकरा बनाने के लिए तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने में लगे थे.

बहरहाल, सरकारी गवाह को सुरक्षा मुहैया कराने के मद्देनजर तिहाड़ जेल में अभिषेक वर्मा और उसकी रोमानियाई पत्नी आन्का मारिया वर्मा को बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराई गई. सुरक्षा कवायद और पीएमओ से लेकर सीबीआई और दिल्ली पुलिस के बीच इस मसले पर मंत्रणा चल ही रही थी कि तभी तिहाड़ जेल में बंद माफिया सरगना और दाऊद इब्राहीम गिरोह से जुड़े रहे कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी का एक पत्र तिहाड़ जेल प्रबंधन के हाथ लगा, जिसमें मुन्ना बजरंगी ने रक्षा सौदा घोटाले के सरकारी गवाह अभिषेक वर्मा को मुहैया कराई गई बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में सूचना के अधिकार के तहत अहम जानकारियां मांगी थीं. आरटीआई का सहारा लेकर यहां तक जानने की कोशिश की गई थी कि अभिषेक वर्मा कब-कब बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है और जेल से कोर्ट ले जाने के वक्त और कोर्ट की कार्यवाहियों के दरम्यान उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की औपचारिक इजाजत मिली हुई है या नहीं? सीबीआई का कानूनी पक्ष देखने वाले एक अधिवक्ता ने कहा कि ये जानकारियां इस इरादे से भी मांगी गई थीं कि मामला इतना तूल पकड़े और विवादास्पद हो जाए कि जेल में मिल रही यह सुविधा उससे वापस ले ली जाए, ताकि फिर आराम से 'टार्गेट' निपटाया जा सके. आरटीआई के तहत सूचना मांगने वाले आवेदन पर प्रेम प्रकाश सिंह का हस्ताक्षर था. बाद में यह बात खुली कि प्रेम प्रकाश सिंह कोई और नहीं खुद मुन्ना बजरंगी है. फिर आनन-फानन सरकारी गवाह और उसकी पत्नी को 'वाई' कैटेगरी की सुरक्षा के तहत तिहाड़ जेल में ही 24 घंटे की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई थी.

विडंबना यह है कि हाई-प्रोफाइल रक्षा सौदा घोटाले के सरकारी गवाह का सफाया करने के लिए किन लोगों ने मुन्ना बजरंगी को 'सुपारी' दी थी, इसका पता लगाने के बजाय केंद्र सरकार ने मुन्ना बजरंगी को तिहाड़ जेल से हटा कर यूपी की जेल में रवाना कर दिया. यह पूरा प्रकरण ही दबा दिया गया. जबकि यह संदर्भ अत्यंत संवेदनशील था और इसका खुलना देश-हित में जरूरी था, लेकिन इस तरफ से खुफिया एजेंसियों ने आंख मूंद ली. रक्षा सौदा घोटाले के सरकारी गवाह अभिषेक वर्मा ने इस मसले में सीबीआई को कई महत्वपूर्ण सुराग दिए थे. उसने आर्म्स-डीलिंग में लगे कई प्रतिद्वंद्वियों के नाम भी बताए थे. उसने ऐसे भी लोगों के नाम बताए थे, जो विभिन्न देशों में आर्म्स-डीलिंग में बिचौलिए का धंधा करने वाली अमेरिकी कंपनी गैन्टन लिमिटेड के मालिक सी. एडमंड ग्लेन से मिलीभगत कर गलत-सलत तथ्य पेश कर कानून को गुमराह करने की कोशिशों में लगे थे. इन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि रक्षा सौदा घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर में असली गैन्टन लिमिटेड को मुजरिम न बना कर उसकी सब्सीडियरी कंपनी गैन्टन इंडिया लिमिटेड को मुजरिम बना दिया गया था. इसमें भी अभिषेक वर्मा को छोड़ कर किसी अन्य का नाम नहीं था. जबकि गैन्टन इंडिया लिमिटेड के कुछ अन्य कर्ताधर्ता मूल कंपनी गैन्टन लिमिटेड यूएसए के मालिक ग्लेन और कुछ अधिकारियों के साथ मिल कर एक बकरे को कुर्बान करने की तिकड़म रचने में लगे थे. इसकी गहराई से जांच होती तो कई सफेदपोश चेहरे नंगे होते जो रक्षा सौदे में तह तक लिप्त हैं, लेकिन उनके बारे में लोग कुछ नहीं जान पाए. जिनके बारे में देश के लोग कुछ जान पाए, उनका भी क्या हुआ? मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए अगस्टा-वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर (शेष पृष्ठ 2 पर)

आर्म्स डीलर की फरारी पर खुफिया एजेंसियों का झूठ

अरबों रुपए का बैंक लोन हड़प कर विदेश भागे उद्योगपति विजय माल्या के बारे में तो खूब हल्ला मचा और उंगलियां उठीं. माल्या को विदेश भागने में किसने मदद की, इसे लेकर खूब आरोप-प्रत्यारोप लगे. लेकिन देश के रक्षा सौदों में घूसखोरी और कमीशनखोरी कराने वाले हथियार डीलर संजय भंडारी को देश से भगाने में किन हस्तियों ने और किन एजेंसियों ने मदद की इस पर कोई बात नहीं उठी. संजय भंडारी सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का खास दोस्त है. फरार संजय भंडारी को तलाशने में भी खुफिया एजेंसियां कोई रुचि नहीं ले रही हैं. कहा गया कि संजय भंडारी की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से नोटिस जारी हो गई है. लेकिन आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियां इंटरपोल की नोटिस के नाम पर सफेद झूठ परोस रही हैं. संजय भंडारी की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से कोई नोटिस जारी नहीं हुई है. यहां तक कि सीबीआई की वांटेड-लिस्ट में भी संजय भंडारी का नाम शुमार नहीं है. इंटरपोल और सीबीआई दोनों एजेंसियों की वांडेड-लिस्ट की स्क्रैन-कॉपी आपके समक्ष भी रख रहे हैं, जिसमें संजय भंडारी का नाम कहीं नहीं है.

खुफिया एजेंसियों के सूत्र आर्म्स डीलर संजय भंडारी की फरारी को माफिया-नेता-नौकरशाह गठजोड़ का योजनाबद्ध परिणाम बताते हैं. फरारी में किस माफिया गिरोह से मदद ली गई, यह आधिकारिक तौर पर तो जांच का विषय है, लेकिन अनधिकृत तौर पर खुफिया एजेंसियों के खास सूत्रों को उस माफिया के बारे में पता है, जिससे संजय को भगाने में मदद ली गई. अंतरराष्ट्रीय हथियार डीलरों के उस माफिया सरगना से 'वलोज-लिंक' हैं.

आर्म्स डीलर संजय भंडारी जिन स्थितियों में देश छोड़ कर भागा, वह सुनियोजित सरकारी बंदोबस्त के बगैर संभव ही नहीं है. आयकर विभाग ने संजय भंडारी का पासपोर्ट पहले ही जब्त कर रखा था. फिर वह विदेश कैसे भागा? सरकारी एजेंसियां कहती हैं कि संजय भंडारी नकली पासपोर्ट के जरिए भागा, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी नहीं करतीं. अगर सरकारी एजेंसियां यह आधिकारिक तौर पर पुष्ट कर दें कि संजय भंडारी नकली पासपोर्ट के जरिए भागा तो उन्हें नकली पासपोर्ट बनने से लेकर उस एयरपोर्ट तक का ब्यौरा देना होगा, जहां से उसकी रवानगी हुई और इमिग्रेशन ने उसे क्लीयरेंस दी. गृह मंत्रालय यह कह चुका है कि किसी बंदरगाह या एयरपोर्ट से उसके निकलने की सूचना नहीं मिली है.

आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दिल्ली में केस दर्ज हुआ था. दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी स्थित संजय भंडारी के घर से वायुसेना से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले थे. आर्म्स डीलर ने खुफिया एजेंसियों के समक्ष यह स्वीकार भी किया था कि उसके कम्प्यूटर से बरामद ई-मेल संदेश उसके और रॉबर्ट वाड्रा के बीच के थे. संजय भंडारी के खिलाफ बाकायदा रक्षा मंत्रालय की तरफ से संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. संजय की रहस्यमय फरारी पर अंधेरे में हाथ भांजती एजेंसियों ने झेंप मिटाने के लिए उसकी 21 करोड़ रुपए की सम्पत्ति जब्त की है. जबकि उन्हीं एजेंसियों का कहना है कि विदेशों में संजय भंडारी की अकूत सम्पत्ति है. प्रवर्तन निदेशालय को संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा की विदेशों में कई साझा सम्पत्तियों का भी पता चला है. रॉबर्ट वाड्रा के मित्र आर्म्स डीलर संजय भंडारी ने यूपीए कार्यकाल में भारतीय वायुसेना के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी 'पाइलैटस' से चार हजार करोड़ रुपए के ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद की डील कराई थी. इसमें अरबों रुपए की कमीशनखोरी हुई थी, जिसकी जांच चल ही रही थी कि संजय को विदेश भगा दिया गया. ■

3 ऐसे ही बेरोजगारों की फौज से बनेगा न्यू इंडिया

4 नाम किसान का मुनाफ़ा बीमा कंपनी का

5 स्वच्छ भारत में ये 'अस्वच्छ' तस्वीर कहां रखेंगे

6 बातें ज़ीरो-टॉलरेंस की, पर बह रही है भ्रष्टाचार की गंगोत्री

अभिषेक वर्मा की हत्या की योजना

पृष्ठ 1 का शेष

खरीद घोटाले पर खूब शोर मचाया. लेकिन उस मामले में मोदी सरकार ने क्या किया? वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी को गिरफ्तार करने के अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ. रक्षा सौदे में लिप्त पाए गए लंदन के भारतीय मूल के धनाढ्य व्यापारी सुधीर चौधरी, धनाढ्य एनआरआई विपिन खन्ना, पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुरेश नंदा जैसी हस्तियों का भी सीबीआई कुछ नहीं बिगाड़ पाई.

सीबीआई के ही कुछ अधिकारी बताते हैं कि रक्षा सौदा घोटाला मामले में अभिषेक वर्मा अगर सरकारी गवाह नहीं बनता तो उसे बड़े ही सुनियोजित तरीके से निपटा दिया जाता. सीबीआई के अधिकारी यह भी मानते हैं कि सरकारी गवाह बनने के बाद अभिषेक वर्मा ने जिन अधिकारियों और जिन दलालों की संदेहास्पद भूमिका के बारे में बाकायदा लिखित तौर पर बताया, उसे सीबीआई ने रक्षा सौदा मामले से संदर्भित नहीं बता कर, दबा दिया. वह मामला आगे नहीं बढ़ा. गैन्टन इंडिया लिमिटेड के एक डायरेक्टर विक्की चौधरी ने सीबीआई इंसपेक्टर राजीव सोलंकी, इंसपेक्टर सतिंदर सिंह और सब इंसपेक्टर अविनाश कुमार के सामने सीबीआई दफ्तर में ही अभिषेक को रास्ते से हटाने की धमकियां दी थीं. इसकी आधिकारिक तौर पर सूचना सीबीआई की एसपी मीनू चौधरी और सीबीआई निदेशक को दी गई थी. यहां तक कि अभिषेक की रोमानियाई पत्नी आन्का मारिया वर्मा से मिलने आई रोमानिया की राजदूत वेलेरिका एपुरे के सामने ही सीबीआई के एसएसपी रमनीश गीर ने आन्का को धमकियां दीं, इस पर राजदूत ने उन्हें मर्यादा में रहने की ताकीद की थी. सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक ओपी गलहोत्रा ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि टेलीफोन और ई–मेल के जरिए वर्मा दम्पति को धमकियां दी जा रही थीं. इस बारे में उनका और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के बीच आधिकारिक संवाद भी हुआ था, फिर वर्मा दम्पति की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम तो किया गया, लेकिन जांच के नजरिए से यह मसला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. प्रवर्तन निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर रहे अशोक अग्रवाल, सीबीआई के एसएसपी रमनीश गीर और इंसपेक्टर राजेश सोलंकी के नाम इस प्रसंग में सामने आए और सरकारी गवाह को धमकी देने के साथ–साथ रक्षा सौदा मामले को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिशें करने की शिकायतें भी हुईं, लेकिन सीबीआई ने उसे अपनी जांच की परिधि में नहीं रखा. जबकि गृह मंत्रालय ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग को जरूरी कार्रवाई करने को कहा था. सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक (पॉलिसी) जावीद अहमद के समक्ष भी यह मामला पहुंचा, लेकिन उन्होंने भी इसकी जांच कराने के बजाय इसे टाल देना ही बेहतर समझा. अभिषेक वर्मा पर रक्षा सौदे में करोड़ों रुपए की दलाली और घूस खाने का जो आरोप सीबीआई के एसएसपी रमनीश गीर और अशोक अग्रवाल ने लगाया था, वह साबित नहीं हुआ और अदालत ने उसे बरी कर दिया. सीबीआई के ही कुछ अधिकारी कहते हैं कि इसके बाद तो उन लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए थी जिन्होंने पूरे रक्षा सौदा मामले को तोड़ने–मरोड़ने की आपराधिक हरकतें की थीं, लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ाने की हरी झंडी नहीं मिली. आरोप था कि रक्षा उपकरण बनाने वाली जर्मनी की कंपनी 'रेडनमेटल' ने वर्मा को देश के रक्षा सौदे से जुड़े अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए करीब साढ़े पांच लाख डॉलर दिए थे. लेकिन अदालत में यह आरोप प्रमाणित नहीं हुआ.

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि तिहाड़ जेल प्रबंधन के हस्तक्षेप पर दिल्ली के लोधी रोड थाने में दर्ज एफआईआर में यह तथ्य सामने रखा जा चुका था कि विक्की चौधरी और अशोक अग्रवाल ने दाऊद इब्राहीम के कॉन्ट्रैक्ट–किलर मुन्ना बजरंगी को सुपारी दी है. उधर, सरकारी गवाह को मिली बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में आरटीआई के जरिए सुराग लेने की कोशिश करने वाले माफिया सरगना मुन्ना बजरंगी से भी सीबीआई ने कोई पूछताछ नहीं की. सरकार ने बस इतना किया कि मुन्ना बजरंगी को तिहाड़ जेल से हटा कर पहले सुल्तानपुर जेल फिर झांसी जेल भेज दिया. माफिया सरगनाओं के जेलों से धंधा चलाने की सूचना मिलने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जेलों में बंद कई माफियाओं को इधर–उधर भेजने का आदेश जारी किया. इसी में मुन्ना बजरंगी को झांसी से पीलीभीत जेल ट्रांसफर किया गया, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट से अपना ट्रांसफर रुकवा लिया. मुन्ना बजरंगी लंबे समय से झांसी जेल में बंद है. उसकी पत्नी सीमा सिंह ने इस बार अपना दल (कृष्णा पटेल) और पीस पार्टी के साझा उम्मीदवार के बतौर मड़ियाहू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई.

मुन्ना बजरंगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला है. 29 नवम्बर 2005 को गाजीपुर जिले में मोहम्मदाबाद क्षेत्र के विधायक कृष्णानन्द राय की हत्या के बाद उसका नाम सुर्खियों में आया था. इस हत्याकांड के बाद वह नेपाल भाग गया था और दाऊद के करीबी मंत्री मिर्जा दिलशाद बेग के घर में छुपा था. मुन्ना बजरंगी की जड़ें महाराष्ट्र में भी बहुत गहरी हैं. ठेके पर हत्या करना उसका सबसे बड़ा कारोबार है. पुर्तगाल में गिरफ्तार अबू सलेम के भारत लाए जाने के बाद दाऊद इब्राहीम ने उसका सफाया करने का ठेका मुन्ना बजरंगी को ही दिया था. मुन्ना बजरंगी का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह है. मुंबई में रहते हुए ही उसका अंतरराष्ट्रीय अपराधी गिरोहों से सम्पर्क बना और कई बार वह विदेश भी गया. नजफगढ़ के विधायक भरत सिंह की हत्या के पीछे भी मुन्ना बजरंगी का ही नाम आया था. ■

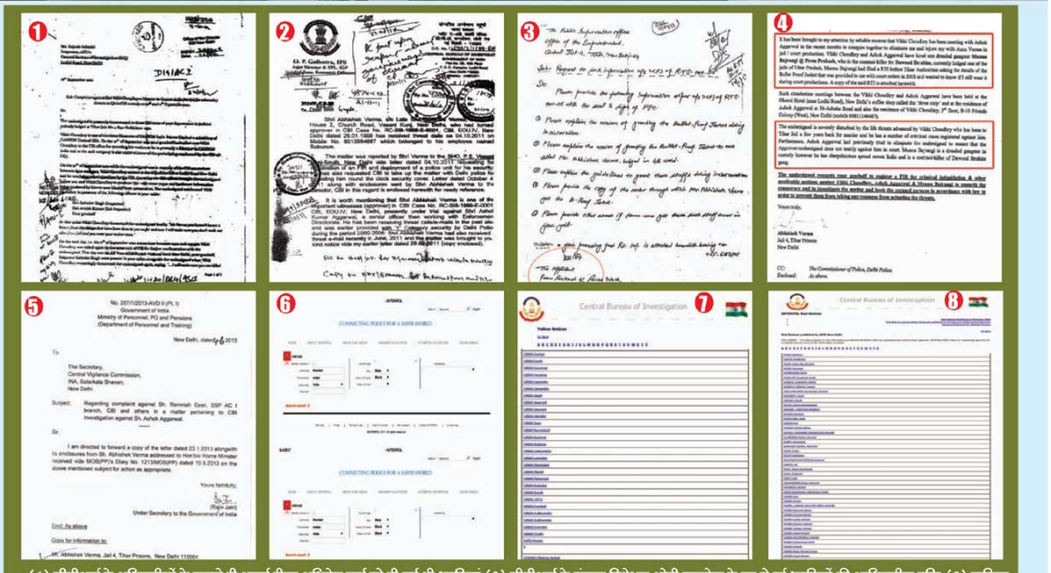

(1) सीबीआई के अधिकारियों के सामने ही आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा को दी गई थी धमकियां (2) सीबीआई के संयुक्त निदेशक ओपी गलहोत्रा के पत्र से हुई धमकियों की आधिकारिक पुष्टि (3) माफिया सरगना मुन्ना बजरंगी ने आरटीआई के जरिए मांगा बुलेट प्रूफ जैकेट का ब्यौरा (4) वह पत्र जिसमें मुन्ना बजरंगी को सुपारी दिए जाने की बात कही गई है (5) गृह मंत्रालय ने मुख्य सतर्कता आयोग को जांच का आदेश दिया, लेकिन वह ठंडे बस्ते में चला गया (6, 7, 8) इंटरपोल और सीबीआई की वांटेड लिस्ट में कहीं नहीं है फरार आर्म्स डीलर संजय भंडारी की गिरफ्तारी के लिए जारी नोटिस. वांटेड लिस्ट में संजय भंडारी का कहीं नाम नहीं, खुफिया एजेंसियां परोस रहीं झूठ...

राहुल के करीबी रहे हैं अभिषेक और आन्का

एक तरफ आर्म्स डीलर संजय भंडारी की रॉबर्ट वाड्रा से दोस्ती रही है तो दूसरी तरफ आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के राहुल गांधी से गहरे ताल्लुकात रहे हैं. अभिषेक की रोमानियाई पत्नी आन्का मारिया भी राहुल गांधी से मिल चुकी है. राहुल ने अपने घर पर ही आन्का से मुलाकात की थी. रक्षा सौदे की छानबीन की प्रक्रिया में यह बात भी सामने आई थी कि हथियार कंपनी 'सिग सॉउर' के अधिकारियों के साथ राहुल गांधी ने छह दिसंबर 2011 को अपने घर पर एक घंटे तक बैठक की थी. इस मुलाकात में भी अभिषेक वर्मा और उसकी पत्नी शामिल थी. उसी बैठक के अगले ही दिन वर्मा और जर्मन हथियार कंपनी के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरेश कुमार से जैसलमेर हाउस में मुलाकात की थी. इसके बाद अभिषेक वर्मा और उसकी पत्नी व हथियार बनाने वाली कंपनी के अन्य अधिकारियों की तत्कालीन रक्षा राज्यमंत्री एम पल्लम राजू से रक्षा मंत्रालय में मुलाकात हुई थी. यह भी बताते चलें कि अभिषेक वर्मा वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद श्रीकांत वर्मा व पूर्व सांसद वीणा वर्मा का बेटा है. इंदिरा गांधी के करीबी रहे श्रीकांत वर्मा ने ही मशहूर नारा बनाया था, 'जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर'. ■

मनी लॉन्ड्रिंग में भी काम आ रहे संगठित अपराधी गिरोह

काले धन को सफेद करने के धंधे में संगठित अपराधी गिरोहों की सक्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है. इस काम के लिए भी अब अपराधी गिरोहों से ही मदद ली जा रही है. स्विट्जरलैंड सरकार यह आधिकारिक तौर पर खुलासा कर चुकी है कि मनी लॉन्डरिंग कारोबार के तार संगठित अपराध के गिरोहों से जुड़े हैं. इसमें भारत के आपराधिक गिरोह भी शामिल हैं. स्विट्जरलैंड सरकार की एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिस स्विट्जरलैंड (एमआरओएस) ने कहा कि वर्ष 2013 में 1,411 संदिग्ध गतिविधियों में तीन अरब स्विस फ्रैंक शामिल थे. यह राशि भारतीय मुद्रा में करीब 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक होती है. इसमें संगठित अपराधी गिरोहों की सक्रिय भूमिका निहित देखी गई. काले धन को सफेद करने के काम में संगठित अपराधी गिरोहों की भूमिका लगातार बढ़ती ही जा रही है. केवल स्विट्जरलैंड के प्रसंग में वर्ष 2012 में ऐसे मामले 97 थे, जो 2013 में बढ़ कर 104 हो गए. मनी लॉन्ड्रिंग कारोबार में संगठित अपराधी गिरोहों की लिप्तता वर्ष 2014 में 135, 2015 में 150 और 2016 में करीब दो सौ तक पहुंच गई. काला धन सफेद करने में लगे संगठित गिरोहों में भारत, चीन और ब्राजील के गिरोह अव्वल पाए गए हैं. काला धन जमा करने के मामले में स्विट्जरलैंड को स्वर्ग कहा जाता रहा है. स्विट्जरलैंड की सरकारी रिपोर्ट यह भी कहती है कि वहां से होने वाली टेरर–फंडिंग में भारत के संगठित गिरोहों की भूमिका नगण्य है.■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 24
14 अगस्त– 20 अगस्त 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट वोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–65500786, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16++ (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

4 महीनों में गईं 15 लाख नौकरियां

ऐसे ही बेरोजगारों की फौज से बनेगा न्यू इंडिया

अप्रैल 2016 में कुल नौकरियों की संख्या 401 मिलियन थी, जो दिसंबर 2016 तक बढ़कर 406.5 मिलियन हो गई. लेकिन इसके बाद के 4 महीनों में ये घट कर 405 मिलियन रह गई. यानि 1.5 मिलियन (15 लाख) नौकरियां खत्म हो गईं. गौरतलब है कि ये वक्त नोटबंदी और नोटबंदी के बाद हालात के सामान्य होने का था.

शशि शेखर

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट आई है. ये रिपोर्ट एक सर्वे पर आधारित है. ये सर्वे तकरीबन 1 लाख 70 हजार घरों पर किया गया है. ये रिपोर्ट बताती है कि साल 2017 के पहले चार महीने, जनवरी 2017 से अप्रैल 2017 के बीच तकरीबन 1.5 मिलियन यानि 15 लाख नौकरियां समाप्त हो गईं. इसका सीधा मतलब ये है कि इन 4 महीनों में देश के 15 लाख लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा. अब ये नोटबंदी का असर है या इसके पीछे कोई आर्थिक कारक है, ये बहस का विषय है. अर्थशास्त्री इस पर चर्चा कर तय करेंगे कि ये किसका असर है. लेकिन एक आम भारतीय को शायद ही इस चर्चा से मतलब हो. एक पढ़े-लिखे बेरोजगार और एक कम शिक्षित बेरोजगार के लिए तो ये खबर निश्चित ही बुरी मानी जाएगी.

अप्रैल 2016 में कुल नौकरियों की संख्या 401 मिलियन थी, जो दिसंबर 2016 तक बढ़कर 406.5 मिलियन हो गई. लेकिन इसके बाद के 4 महीनों में ये घट कर 405 मिलियन रह गई. यानि 1.5 मिलियन (15 लाख) नौकरियां खत्म हो गईं. गौरतलब है कि ये वक्त नोटबंदी और नोटबंदी के बाद हालात के सामान्य होने का था. 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की गई थी. 31 दिसंबर तक मुद्रा बदलने की समयसीमा थी. नोटबंदी से उपजे हालात को सामान्य होने में कई महीने लग गए थे. ये आंकड़ा भी उसी दौर का है. सितंबर से दिसंबर 2016 के बीच बेरोजगारी दर 6.8 फीसदी रही. गौरतलब है कि सितंबर से दिसंबर का महीना खरीफ फसल का होता है. 2016 खरीफ फसल के लिहाज से बेहतर रहा था. इससे रोजगार का दर भी काफी ऊंचा रहा. इसके मुकाबले जनवरी से अप्रैल 2017 का समय अपेक्षाकृत ठीक नहीं रहा और नोटबंदी का असर भी इन महीनों पर अधिक रहा.

नवंबर 2016 त्योहार का सीजन था, लेकिन श्रम भागीदारी काफी कम दिखी. ये नीचे गिर कर 44.8 फीसदी तक पहुंच गई. जाहिर है, ये नोटबंदी का तात्कालिक असर था. इसके बाद के दो महीनों में इस दर में थोड़ा सा सुधार हुआ और ये 45.2 फीसदी तक पहुंची. इन दो महीनों के बाद ही नोटबंदी का असली असर शुरू हुआ. फरवरी में श्रमिक भागीदारी फिर गिर कर 44.5 फीसदी हो गई. मार्च और अप्रैल में गिरावट के बाद ये क्रमशः 44 और 43.5 फीसदी तक आ गई. जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच ये दर 44.3 फीसदी रही. एक साल पहले इसी 4 महीने के दौरान ये दर 46.9 फीसदी थी. जाहिर है, नोटबंदी का सीधा असर श्रम भागीदारी में दिखने को मिला. नए निवेश में कमी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण रही. भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में लेबर पार्टिसिपेशन (श्रम भागीदारी) में कमी इकोनॉमिक स्लोडाउन का ही संकेत माना जाता है.

> **अगर यूपीए सरकार और एनडीए सरकार की तुलना करें, तो ये अंतर साफ समझ में आ जाता है. 2016 में बीजेपी सरकार ने विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन और व्यापार सहित 8 प्रमुख सेक्टर में सिर्फ 2 लाख 31 हजार नौकरियां दी है. तो वही साल 2015 में ये आंकड़ा इससे भी कम था. साल 2015 में सिर्फ 1 लाख 55 हजार लोगों को नौकरियां मिलीं, जबकि साल 2014 में 4 लाख 21 हजार लोग रोजगार पा सके. मोदी सरकार के तीनों साल के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए, तो अब तक सिर्फ और सिर्फ 9 लाख 97 हजार नौकरियां दी गई है.**

अगर यूपीए सरकार और एनडीए सरकार की तुलना करें, तो ये अंतर साफ समझ में आ जाता है. 2016 में बीजेपी सरकार ने विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन और व्यापार सहित 8 प्रमुख सेक्टर में सिर्फ 2 लाख 31 हजार नौकरियां दी है. तो वही साल 2015 में ये आंकड़ा इससे भी कम था. साल 2015 में सिर्फ 1 लाख 55 हजार लोगों को नौकरियां मिलीं, जबकि साल 2014 में 4 लाख 21 हजार लोग रोजगार पा सके. मोदी सरकार के तीनों साल के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए, तो अब तक सिर्फ और सिर्फ 9 लाख 97 हजार नौकरियां दी गई है. इससे इतर यूपीए-2 के कार्यकाल में पहले साल यानि 2009 में सरकार ने 10.06 लाख नौकरियां दी थी. यानि मोदी सरकार 3 साल में उतनी नौकरी नहीं दे पाई, जितनी कांग्रेस सरकार ने 1 साल में ही दे दी थी.

गौरतलब है कि इसी साल 30 मार्च को कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में बताया था कि साल 2013 की तुलना में 2015 में केंद्र सरकार की सीधी भर्तियों में 89 प्रतिशत तक की कमी आई है. साल 2013 में केंद्र द्वारा की गई सीधी भर्तियों में 1,54,841 लोगों को रोजगार मिला था, जो 2014 में घटकर 1,26,261 रह गया. साल 2015 में इसमें जबर्दस्त गिरावट आई और केंद्र की तरफ से की जाने वाली भर्तियों के माध्यम से केवल 15,877 लोग ही रोजगार पा सके. नौकरियों की ये संख्या केंद्र सरकार के 74 विभागों को मिलाकर है. गौरतलब है कि इसी दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों को दी जाने वाली नौकरियों में 90 प्रतिशत तक की कमी आई है. साल 2013 में इन जातियों के 92,928 लोगों की केंद्र की तरफ से दी जाने वाली नौकरियों में भर्ती हुई थी, जो 2014 में घटकर 72,077 हो गई, जबकि 2015 में ऐसी नौकरियां धड़ाम से गिरीं और इनकी संख्या केवल 8,436 हो गई. उधर, 6 फरवरी को राज्यसभा में पूरक सवालों का जवाब देते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने जानकारी दी थी कि वर्तमान समय में बेरोजगारी दर 5 फीसदी को पार कर रही है, जबकि अनुसूचित जाति के बीच बेरोजगारी की दर सामान्य से ज्यादा, 5.2 फीसदी है. उनके मुताबिक, जो बेरोजगारी दर आज 5 फीसदी है, वो 2013 में 4.9 फीसदी, 2012 में 4.7 फीसदी और 2011 में 3.8 फीसदी थी. वहीं, साल 2011 में अनुसूचित जाति के बीच बेरोजगार की ये दर 3.1 फीसदी थी, जो आज 5.2 फीसदी है.

हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पास वेकेंसी नहीं है, या लोगों की जरूरत नहीं है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने ही बताया था कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में साढ़े सात लाख से ज्यादा पद खाली हैं. जुलाई 2016 में एक लिखित जवाब में मंत्री जी ने लोकसभा में बताया था कि 1 जुलाई 2014 को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों को मिलाकर 40.48 लाख पद थे, जिनमें से 33.01 लाख पदों पर ही नियुक्तियां की जा सकी थीं, यानि अभी भी केंद्र सरकार में 7,74,000 (7 लाख से अधिक) पद खाली हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

कैग रिपोर्ट एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, रिलायंस और एयरसेल ने चोरी किए सरकार के 7697.6 करोड़ रुपए

सरकार कैसे वसूल पाएगी पैसा

कैग की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जबकि बड़ी दूरसंचार कंपनियों को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. रिलायंस जियो के प्रवेश के बाद स्थापित ऑपरेटरों की आमदनी और मुनाफे पर काफी दबाव है. दूरसंचार उद्योग पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों और बैंकों का 6.10 लाख करोड़ रुपए का बकाया है. गौरतलब है कि निजी क्षेत्र की ये दूरसंचार कंपनियां देश के अलग-अलग हिस्सों में उपभोक्ताओं को मोबाइस सेवा मुहैया कराती हैं. लेकिन ये कंपनियां सरकार की दूरसंचार नीति और केन्द्र सरकार के कायदे कानूनों को मानने के लिए बाध्य होती हैं. पहले भी निजी दूरसंचार कंपनियों पर अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप लगा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

हाल ही में कैग यानि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद में पेश की गई. इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिसमें एक सबसे अहम ये है कि किस तरह से कुछ दूरसंचार कंपनियों ने सरकार को करीब 8 हजार करोड़ का चूना लगाया है. इन कंपनियों में भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सहित निजी क्षेत्र की छह दूरसंचार कंपनियों के नाम शामिल हैं. इन कंपनियों ने साल 2010-11 से 2014-15 के दौरान अपने राजस्व को 61,064.5 करोड़ रुपए कम कर दिखाया. इससे सरकार को 7,697.6 करोड़ रुपए का कम भुगतान किया गया. यानि कि इन कंपनियों की वजह से भारत सरकार को लगभग 7 हजार 697 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने संसद में 21 जुलाई को ये रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में कहा गया है कि छह ऑपरेटरों ने कुल 61,064.5 करोड़ रुपए का समायोजित सकल राजस्व यानि एजीआर कम करके दिखाया. कैग ने पांच ऑपरेटरों भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, आइडिया सेल्युलर, रिलायंस कम्युनिकेशंस और एयरसेल के लिए 2010-11 से 2014-15 तक इनके खातों का ऑडिट किया. वहीं सिस्तेमा श्याम के लिए समय सीमा 2006-07 से 2014-15 तक रही. कैग ने कहा कि राजस्व को कम कर दिखाने की वजह से सरकार को 7,697.62 करोड़ रुपए का कम भुगतान किया गया. इस कम भुगतान पर मार्च, 2016 तक 4,531.62 करोड़ रुपए ब्याज बैठता है.

कैग के अनुसार एयरटेल पर 2010-11 से 2014-15 के दौरान सरकार के लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क के मद का बकाया 2,602.24 करोड़ रुपए और उस पर ब्याज का 1,245.91 करोड़ रुपए बनता है. वोडाफोन पर कुल बकाया 3,331.79 करोड़ रुपए बनता है, जिसमें ब्याज का 1,178.84 करोड़ रुपए है. इसी तरह आइडिया पर कुल 1,136.29 करोड़ रुपए का बकाया है. इसमें ब्याज 657.88 करोड़ रुपए बैठता है. अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 1,911.17 करोड़ रुपए का बकाया है. इसमें 839.09 करोड़ रुपये ब्याज के बैठते हैं. एयरसेल पर बकाया 1,226.65 करोड़ रुपए और सिस्तेमा श्याम पर 116.71 करोड़ रुपए का है. नई दूरसंचार नीति के तहत लाइसेंस धारकों को अपने समायोजित सकल राजस्व का एक निश्चित हिस्सा सरकार को सालाना लाइसेंस शुल्क के रूप में देना होता है. इसके अलावा मोबाइल ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क भी देना होता है.

कैग की यह रपट ऐसे समय में आई है जबकि बड़ी दूरसंचार कंपनियों को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. रिलायंस जियो के प्रवेश के बाद स्थापित ऑपरेटरों की आमदनी और मुनाफे पर काफी दबाव है. दूरसंचार उद्योग पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों और बैंकों का 6.10 लाख करोड़ रुपए का बकाया है. गौरतलब है कि निजी क्षेत्र की ये दूरसंचार कंपनियां देश के अलग-अलग हिस्सों में उपभोक्ताओं को मोबाइस सेवा मुहैया कराती हैं. लेकिन ये कंपनियां सरकार की दूरसंचार नीति और केन्द्र सरकार के कायदे कानूनों को मानने के लिए बाध्य होती हैं. पहले भी निजी दूरसंचार कंपनियों पर अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप लगा है.

बहरहाल, कैग की रिपोर्ट से इतर गौर करें, तो हाल ही में संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनियों के साथ एक बैठक की थी. दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मनोज सिन्हा की ये मुलाकात कंपनियों को घाटे और कर्ज की मार से बचाने को लेकर हुई थी. इस बैठक में भारती एअरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल, रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी, आइडिया सेल्युलर के प्रबंध निदेशक हिमांशु कपानिया, टाटा संस के निदेशक इशात हुसैन और रिलायंस जियो के बोर्ड मेंबर महेंद्र नाहटा मौजूद थे. करीब दो घंटे तक चली इस बैठक के बाद मनोज सिन्हा ने कहा कि इस सम्बंध में जल्द ही अंतर मंत्रालय समूह की रिपोर्ट आने वाली है. सरकार कर्ज में फंसे इस उद्योग के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी. गौर करने वाली बात ये है कि कॉर्पोरेट की समस्याओं के प्रति सकारात्मक रुख दिखाने वाली सरकार किसानों से जुड़ी समस्याओं पर हमेशा ही उदासिन बनी रहती है. किसानों की कर्जमाफी या दूसरे मुद्दों पर तब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती, जब तक वे आंदोलन का रास्ता नहीं अपना लेते या सरकार को उनसे कोई चुनावी हित नहीं दिखता.

बीते दिनों देश भर में किसान आंदोलन हुआ. अभी भी दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसान डेरा डाले हुए हैं. लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं. तमिलनाडु के किसानों ने तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या-क्या प्रयास नहीं किए. लेकिन सरकार उन्हें नजरअंदाज करती रही. उनकी समस्याओं के प्रति सकारात्मक रुख दिखाने का आश्वासन तो दूर, प्रधानमंत्री जी उनसे मिले तक नहीं. वित्त मंत्री मिले भी, तो उन्होंने गेंद कृषि मंत्री के पाले में डाल दी और जब ये किसान कृषि मंत्री से मिले तो उन्होंने किसानों की समस्या को वित्त मंत्रालय से जुड़ा बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया. भारत की एक प्रमुख एजेंसी, रेटिंग इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि 2011 से 2016 के बीच कम्पनियों पर करीब 7.4 लाख करोड़ का ऋण होगा, जिसमें से चार लाख करोड़ के करीब का कर्ज माफ कर दिया जाएगा. ये सोचने वाली बात है कि किसानों की कर्जमाफी पर हायतौबा मचाने वाली सरकार और व्यवस्था कॉर्पोरेट की कर्जमाफी पर क्यों चुप्पी साध जाती है. और तो और इसे अर्थव्यवस्था के लिए जरूरत बता दिया जाता है. जब किसानों की कर्ज माफी की बात की जाती है, तो ऊपर बैठे जिम्मेदार लोगों को इसमें अर्थव्यवस्था का नुकसान दिखने लगता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सीएजी और सीएसई रिपोर्ट से उठा फसल बीमा योजना की असलियत से पर्दा

नाम किसान का मुनाफ़ा बीमा कंपनी का

निरंजन मिश्रा

केवल नाम बदल देने और उन्हें अलग रूप दे देने से योजनाओं की कार्यनीति नहीं बदल जाती. यही हो रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ. 2015 में जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई, तो इसे कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम के रूप में प्रचारित किया गया. लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक के इसके प्रभाव का आकलन करें, तो निराशा हाथ लगती है. इस योजना का हाल भी पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजनाओं के जैसा ही है.

पिछले महीने आई सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अनुबंधित कंपनियों ने 10 हजार करोड़ रुपए का लाभ कमाया. इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल, 2017 तक किसानों ने कुल 5,962 करोड़ रुपए का दावा किया था लेकिन बीमा कंपनियों ने कुल दावों में से केवल एक-तिहाई का ही निपटारा किया है. सीएसई की मानें तो, इन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में किसानों और सरकारों से कुल 15,891 करोड़ रुपए हासिल किए. बीमा कंपनियों को हुए सरकारी भुगतान का एक आंकड़ा खुद कृषि राज्य मंत्री पुरुषोतम रुपाला ने बताया था. 28 मार्च 2017 को लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री जी ने कहा था कि 2016 के ख़रीफ़ सीज़न के लिए 9000 करोड़ का प्रीमियम बना था. इसमें किसानों को 1643 करोड़ जबकि सरकार को 7,438 करोड़ का प्रीमियम भुगतान करना था. सरकार ने अपने हिस्से के पूरे प्रीमियम का भुगतान बीमा कंपनियों को कर दिया. इन्हीं मंत्री जी ने मई महीने में राज्यसभा को एक और आंकड़े से अवगत कराया, जिससे सीएसई की रिपोर्ट का दावा सही साबित होता है. कृषि राज्य मंत्री ने बताया था कि अप्रैल 2017 तक मात्र 714.14 करोड़ के दावे ही निपटाए गए, जबकि 2016 की खरीफ फसलों के लिए 4270 करोड़ के दावे आए थे.

यानि स्पष्ट है कि सरकार ने तो प्रीमियम का भुगतान बीमा कंपनियों को कर दिया, लेकिन बीमा कंपनियां किसानों के दावे निबटाने के बजाय पूरी राशि दबा कर बैठ गईं. इस योजना के द्वारा बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने का सवाल जब संसद में उठा, तो कृषि मंत्री जी गोलमाल जवाब देकर बच निकले. 21 जुलाई को कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने सदन में इस सवाल का बस इतना ही जवाब दिया कि राज्यों को भी कहा गया है कि वे अपनी बीमा कंपनी बना सकते हैं. गौरतलब है कि फसल बीमा योजना के पैनल में अभी 5 सरकारी और 13 निजी बीमा कंपनियां हैं. तमिलनाडु के किसानों के साथ हुई ज्यादती भी बीमा कंपनियों की मनमानी का एक उदाहरण है. रबी के सीजन में तमिलनाडु में पिछले 140 साल का सबसे भयंकर सूखा पड़ा. पहले से कर्ज से दबे किसानों के लिए ये भयावह स्थिति थी. फसल बीमा योजना किस तरह से इन किसानों के लिए नकाफी साबित हुई, उसे इससे समझा जा सकता है कि अब तक इन किसानों को सिर्फ 22 करोड़ रुपए के मुआवजे का ही भुगतान हुआ है. जबकि बीमा कंपनियां 954 करोड़ रुपए का प्रीमियम वसूल चुकी हैं.

ये तो हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किए जा रहे दावों और उनकी वास्तविकता का एक पहलू. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट तो फसल बीमा के नाम पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के एक बड़े खेल का पर्दाफाश करती है. हालांकि ये रिपोर्ट 2011 से 2016 तक की फसल बीमा को लेकर है. यानि इसमें पूववर्ती सरकार के कार्यकाल की फसल बीमा योजनाओं के गड़बड़झाले का भी उल्लेख है. ये रिपोर्ट बताती है कि 2011 से लेकर 2016 के बीच बीमा कंपनियों को 3,622.79 करोड़ की प्रीमियम राशि बिना किसी गाइडलाइन को पूरा किए ही दे दी गई. सीएजी ने इसे लेकर भी सवाल उठाया है कि निजी बीमा कंपनियों को प्रीमियम के रूप में भारी भरकम फंड देने के बाद भी, सरकारों ने आखिर क्यों उनके खातों की ऑडिट नहीं कराई. सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के 7,010 करोड़, संशोधित राष्ट्रीय किसान बीमा योजना के 332.45 करोड़ और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के 999.28 करोड़ रुपए प्रीमियम का भुगतान अब तक राज्यों ने बीमा कंपनियों को किया ही नहीं है. गौरतलब है कि ये सभी योजनाएं अब खत्म हो चुकी हैं. कंपनियों और राज्य सरकारों के इस पेंच में नुकसान हुआ किसानों का, जो कंपनियों को तो पहले ही भुगतान कर चुके हैं, लेकिन उनके दावों का निबटारा अब तक नहीं हुआ है.■

feedback@chauthiduniya.com

कर्ज़ से दबे हैं बीमा कराने वाले 80 फीसदी किसान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीते साल कुल 5.39 करोड़ किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया. इनमें से खरीफ सीजन में 3.86 करोड़ जबकि रबी सीजन में 1.53 करोड़ किसानों ने योजना का लाभ लिया. गौर करने वाली बात ये है कि इन 5.39 करोड़ किसानों में से 4.08 करोड़ किसान ऐसे हैं, जो पहले से कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं. केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने भी इसे स्वीकार किया है कि फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाले 5.39 करोड़ किसानों में से 80 फीसदी किसानों पर कर्ज का बोझ है. स्पष्ट है कि इन किसानों ने मजबूरीवश खुद को फसल बीमा योजना के लिए इनरॉल कराया है. बताया जाता है कि बिना मजबूरी के केवल 1.25 करोड़ (20 फीसदी) किसानों ने ही इस योजना के प्रति अपनी रुचि जाहिर की. हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये खेल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ ही हुआ है. वर्षों से चल रही पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं में भी किसानों के नाम पर बैंक और बीमा कंपनियों का भला करने का ये काम होता रहा है. हाल में सीएजी द्वारा जारी की गई, 2011 से 2016 तक की फसल बीमा योजनाओं की ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि बीमा धारकों में 95 प्रतिशत से अधिक किसान वो थे, जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया था. इसमें गौर करने वाली बात ये है कि अधिकतर मामलों में बीमे की राशि ठीक उतनी ही थी, जितना बैंक का बकाया ऋण था. यानि बैंक मैनेजरों ने ऋण की वापसी सुनिश्चित करने के लिए किसानों का बीमा करवा दिया.

पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का भारत में आख़िरी भाषण

वार्ता से ही हल संभव

चौथी दुनिया ब्यूरो

पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भारत-पाकिस्तान रिश्तों में सुधार के लिए बातचीत को एकमात्र रास्ता बताया. अपना पद छोड़ने से पूर्व यह उनका नई दिल्ली में आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम था. उनके सम्मान में 'साउथ एशिया फोरम फॉर आर्ट एंड क्रिएटिव हेरिटेज' ने 29 जुलाई को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, तो इसके लिए हमें जम्मू-कश्मीर के मसले को प्राथमिकता से हल करना होगा. उन्होंने कहा कि दोनों देशों को सबसे पहले यह तय करना होगा कि वे किन मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं और किन मुद्दों पर बाद में बातचीत की जा सकती है. उन्होंने कहा कि पठानकोट हमले की जांच और कुलभूषण जाधव जैसे कुछ मसले, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं, का समाधान भी बातचीत से ही संभव है.

शर्म-अल शेख में दोनों देशों के बीच हुई वार्ता की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि हमने वार्ता को आतंकवाद से अलग रखने का फैसला किया था. हमें उन ताकतों का गुलाम नहीं बनना चाहिए, जो विकास विरोधी हैं और समस्या को उलझाकर रखना चाहते हैं. मिस्र के शहर शर्म-अल शेख में 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बीच बातचीत हुई थी. दोनों देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान में वार्ता को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई से अलग रखे जाने पर सहमति बनी थी. उन्होंने कहा कि बातचीत हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक अहम जरूरत है. क्या पाकिस्तान कुछ सहूलियतें देने के लिए तैयार है, पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि किसी मसले के समाधान में हमेशा आदान-प्रदान शामिल होता है.

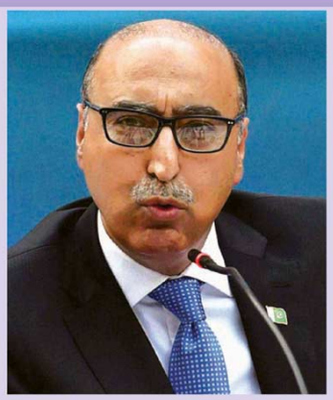

बासित ने कहा कि आज दोनों देशों को यह फैसला करना होगा कि हम वार्ता प्रक्रिया को किसी भी सूरत में बाधित नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि हम पठानकोट मुद्दे पर लगातार सहयोग कर रहे थे, उस दौरान भी हम वार्ता प्रक्रिया को जारी रख सकते थे. उन्होंने कहा कि यदि हम दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय दें, तो सभी समस्याओं का हल आसानी से निकाल सकते हैं. हम जब भी वार्ता में शामिल हुए हैं, हमें सकारात्मक परिणाम मिले हैं. आज हमें फिर बातचीत की प्रक्रिया बहाल करने की जरूरत है. साथ ही यह सुनिश्चित करने की भी जरूरत है कि 'कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स' सीबीएम का पालन किया जाए. बातचीत से तत्काल किसी समस्या का हल नहीं निकलता है, लेकिन यह प्रक्रिया जारी रखना दोनों देशों के हित में है. हमें दोनों देशों और नागरिकों के बीच खड़े किए गए कृत्रिम अवरोध को दूर करना होगा. बासित ने कहा कि दोनों देशों के बीच कृत्रिम अवरोध पैदा करने में मीडिया की भी अहम भूमिका रहा है. मीडिया बराबर इन मुद्दों को उठाता रहा है कि पाकिस्तान में कई पावर सेंटर्स होने के कारण यह पता ही नहीं चलता कि वहां किन लोगों से बातचीत करनी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक वैधानिक सरकार है. यह डिबेट कुछ समय तक कृत्रिम अवरोध खड़े करता है, जिससे संवाद प्रक्रिया से पीछे हटने का एक उचित बहाना मिल जाता है. दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वीजा और बैंकिंग सुविधा की कमी जैसे कुछ मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करना होगा. अगर हम इस पर ध्यान देंगे, तब आर्थिक रिश्तों की मजबूती से एक बेहतर वातावरण पैदा होगा, जिससे अन्य मसलों का हल निकालने में आसानी होगी.

उन्होंने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए कश्मीरियों को उनका भविष्य खुद तय करने की स्वतंत्रता दिए जाने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह के लिए पाकिस्तान सभी जरूरी शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार है. जब हम कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के रिजोल्यूशन को लागू करने की बात करते हैं, तो हम वह सब करने के लिए तैयार हैं, जो हमें करना है. दोनों देश इस मसले पर जब भी किसी निर्णय पर पहुंचेंगे और अगर उसमें जम्मू-कश्मीर के निवासियों की सहमति नहीं होगी, तब यह एक निष्फल प्रयास होगा. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जम्मू-कश्मीर ही सबसे अहम मसला है, हालांकि सियाचिन और सर क्रीक जैसे कुछ अन्य विवाद भी उसी की एक कड़ी हैं.

गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान शांति प्रक्रिया 2016 में पठानकोट पर आतंकी हमले के बाद से ही बाधित है. इस हमले के बाद द्विपक्षीय संबंधों में कड़वाहट और बढ़ी है. उन्होंने भारत छोड़ने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए भी समय मांगा था. उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उनकी दो-तीन बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी. कुछ दिनों पूर्व पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने पनामा पेपर्स मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दोषी करार दिया है. इसके बाद से दोनों देशों के बीच अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है. हालांकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं. लोकतंत्र वहां जड़ जमा चुकी है और सरकार में कोई व्यापक तब्दीली नहीं होने वाली है. उन्हें पूरी उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में वहां नई सरकार बहाल हो जाएगी. बासित 2014 में भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए थे. उनके पाकिस्तान के विदेश सचिव नियुक्त किए जाने की उम्मीद है. वहीं उम्मीद है कि सोहेल महमूद कुछ दिनों में उनकी जगह भारत में पदभार संभाल लेंगे. सोहेल अभी तुर्की में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

मैला उठाने की प्रथा

स्वच्छ भारत में ये 'अस्वच्छ' तस्वीर कहां रखेंगे

शफीक आलम

सिर पर मैला ढोने या हाथ से मैला उठाने का घिनौना और अमानवीय कार्य आज भी हमारे देश में न सिर्फ जारी है बल्कि इस काम में लगे सफाई कर्मचारियों की असमय मौत भी हो रही है. ताज़ा घटना मध्य प्रदेश के देवास ज़िले की है. यहां सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने की वजह से चार नौजवान सफाई कर्मियों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक 31 जुलाई की सुबह विजय सिहोटे (20), ईश्वर सिहोटे (35), दिनेश गोयल (35) और रिंकू गोयल (16) सफाई करने के लिए सेप्टिक टैंक में उतरे थे, लेकिन उनमे से कोई भी जिंदा वापस नहीं निकला. ख़बरों के मुताबिक, उस काम के लिए 8000 रुपए मेहनताना तय किया गया था. मध्यप्रदेश की घटना से मिलती-जुलती घटना पिछले महीने देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली. यहां दक्षिणी दिल्ली के घीटोरनी इलाके में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान चार सफाई कर्मचारी मौत की मुंह में समा गए. यदि सफाई कर्मचारियों के कल्याण और मैनुअल स्केवेंजिग पर रोक लगाने के लिए संघर्षरत संस्था सफाई कर्मचारी आन्दोलन के आंकड़ों पर विश्वास करें तो 2014 और 2016 के दौरान सेप्टिक टैंकों और सीवर लाइनों की सफाई के दौरान देश में 1300 सफाई कर्मचारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था. यह स्थिति तब है, जब इस प्रथा के खिलाफ कानूनी प्रावधान मौजूद हैं.

मैला ढोना देश के माथे पर एक ऐसा बदनुमा दाग़ है, जिसे हटाने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर इसके खात्मे को लेकर कोई प्रयास नहीं किया जाता. इस प्रथा के खिलाफ वर्षों से आवाजें उठती रही हैं. राजनैतिक सतह पर सबसे पहली आवाज़ 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उठाई थी. गांधीजी के बाद भी इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ें उठती रही हैं. मौजूदा और पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस अमानवीय व्यवसाय पर संज्ञान लिया है. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे जातीय रंगभेद (कास्ट अपार्थाइड) कहा था, वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे देश के माथे पर कलंक बताते हुए इसके जल्द से जल्द खात्मे के लिए आम लोगों का सहयोग चाहते हैं. कहने का तात्पर्य यह है कि इस कुप्रथा के खिलाफ राजनैतिक इच्छा शक्ति के दिखावे की कोई कमी नहीं है. वरना क्या वजह है कि 1901 में गांधीजी ने जिस प्रथा को देश का कलंक बताया था, आज़ाद भारत में सत्ताधीशों तक उस आवाज़ के पहुंचने में तक़रीबन आधी सदी का समय लग गया. इस प्रथा के खिलाफ़ भारत में पहली बार 1993 में क़ानून बनाया गया.

बहरहाल आज़ादी के तकरीबन 50 साल बाद 1993 में मैला ढोने वालों के रोज़गार और शुष्क शौचालयों के निर्माण पर निषेध लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया. 1993 में ही सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ. चूंकि इस क़ानून में बहुत सारी खामियां थीं, इसलिए 2013 में और क़ानून पारित किए गए. लेकिन जमीनी हालात जस-के-तस ही बने रहे. आए दिन सीवर और सेप्टिक की सफाई के दौरान ज़हरीली गैसों की चपेट में आकर सैकड़ों लोग दम तोड़ रहे हैं.

मैला प्रथा उन्मूलन से सम्बन्धित क़ानून

शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम (1993) संसद में पारित कर मैला ढोने और शुष्क शौचालयों के निर्माण को गैर क़ानूनी करार दिया गया. इसके तहत दोषियों को एक वर्ष की कैद और 2000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन यह क़ानून कभी सही ढंग से लागू नहीं हुआ. कानून पारित होने से पहले ही इसके दुरुपयोग की आशंका व्यक्त की जा रही थी. इस तरह के मामलों में सिर्फ़ ज़िलाधिकारी ही मुक़दमा दायर कर सकता था. सफाई कर्मचारी आन्दोलन के संयोजक विज्वाड़ा विल्सन के मुताबिक इस कानून के तहत 1993 से लेकर 2002 तक एक भी मुक़दमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन इसका एक फायदा ज़रूर हुआ कि अब सफाईकर्मी आवाज़ उठाने लगे. वे इस काम को छोड़कर वैकल्पिक रोज़गार की तलाश भी करने लगे.

सरकारी स्तर पर महज़ टालमटोल की कोशिश होती रही. वर्ष 1993 से 2012 के बीच केंद्र और राज्य सरकारों ने यह प्रथा पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कई बार समय सीमा बदली, लेकिन हालात ज्यों के त्यों बने रहे. सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का भी कोई अपेक्षित नतीजा सामने नहीं आया, बल्कि उल्टा असर यह हुआ कि अगर कोई गैर सरकारी संस्था या सिविल सोसायटी का कोई व्यक्ति इस समस्या को लेकर सरकार या किसी ज़िम्मेदार अधिकारी के पास जाता, तो उसे आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता. सफाई कर्मचारी आयोग और 1993 का क़ानून इस प्रथा को खत्म करने में पूरी तरह से नाकाम रहे. सिविल सोसायटी और इस क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के दबाव के बाद 2013 में हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम (प्रोहिबिशन ऑफ एंप्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट) पारित हुआ. इस क़ानून में यह प्रावधान किया गया कि सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई करने वालों को भी मैनुअल स्केवेंजेर स्वीकार किया जाए. कोई भी इंसान सफाई के लिए सीवर के अंदर नहीं जाएगा, यदि जाएगा भी, तो आपात स्थिति में और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ. एक्ट में इस प्रथा से जुड़े लोगों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए सर्वे कराने का भी प्रावधान रखा गया था. लेकिन अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे यही ज़ाहिर होता है कि इस कानून पर कछुए की रफ्तार से प्रगति हो रही है. हालिया दिनों में सरकार ने सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास से सम्बंधित जो आंकड़े जारी किए हैं, उससे तो यही ज़ाहिर होता है.

अदालतों के फैसले और आदेश

देश की अदालतों ने समय-समय पर इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए सरकारों से कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इस सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, जो उसने 27 मार्च 2014 को एक सफाईकर्मी द्वारा दायर याचिका पर सुनाया था. इस फैसले में कोर्ट ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 2013 का क़ानून पूरी तरह से लागू करने, सीवरों एवं सेप्टिक टैंकों में होने वाली मौत रोकने, 1993 के बाद सीवर-सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सभी मरने वालों के आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवज़ा देने का आदेश दिया था. फैसले के तीन साल बाद सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, उसमें कानूनी लीपापोती अधिक है और ज़मीनी स्तर पर काम कम. हाल में सरकार ने यह दावा किया है कि 91 प्रतिशत सफाई कर्मचारियोंगें को एक बार दी जाने वाली 40,000 रुपए की मुआवजा राशि दी जा चुकी है.

आंकड़े क्या कहते हैं

बहरहाल सरकार यह दावा तो कर रही है कि उसने 91 प्रतिशत सफाई कर्मचारियों को सहायता राशि प्रदान कर दी है, लेकिन 2011 की जनगणना में जितने लोगों ने अपना व्यवसाय मैनुअल स्केवेंजिंग बताया था, उनमें से 93 प्रतिशत की पहचान सरकार अभी तक नहीं कर पाई है. एक सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचन्द गहलोत ने लोकसभा को बताया कि इस व्यवसाय से जुड़े 12,742 लोगों की पहचान कर 11,598 लोगों को 40,000 रुपए का मुआवजा दे दिया गया है और उनके कौशल विकास के लिए भी क़दम उठाए गए हैं. यह बड़ी हास्यास्पद बात है, क्योंकि 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना में देश के 1,82,505 परिवारों में से कम से कम एक सदस्य इस काम से जुड़ा था. ज़ाहिर है यह संख्या आज इससे कहीं अधिक होगी. बहरहाल आंकड़ों के खेल में माहिर सरकार ने 91 प्रतिशत का आंकड़ा पेश कर अपनी पीठ थपथपा ली. जहां तक सेप्टिक टैंकों और सीवर की सफाई के दौरान मरने वाले सफाई कर्मियों की बात है, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने सर्वे का काम भी पूरा नहीं किया है. मैनुअल स्केवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वयं रोजगार योजना (एसआरएमएस) का बजट भी कम कर दिया गया है. इस योजना के तहत कम ब्याज पर 5 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है. पिछले तीन सालों में केवल 658 प्रोजेक्ट्स को स्वीकृत मिली है, जो चिन्हित सफाई कर्मियों का केवल 5 प्रतिशत है. अभी तक वर्ष 2017-18 के लिए एक भी प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं हुआ है. स्वरोजगार के मद में पिछले तीन सालों में 98 प्रतिशत की कमी आई है. इसके लिए सफाई कर्मियों में साक्षरता की कमी और अपना रोज़गार शुरू करने के लिए इच्छा शक्ति के अभाव को प्रमुख कारण बताया जा रहा है. गौरतलब है कि सफाई कर्मचारी आन्दोलन ने 2014 में सीवर और सेप्टिक टैंकों में मरने वाले 1327 सफाई कर्मियों की एक सूची तैयार की थी, जिनमें से केवल 3 प्रतिशत को ही मुआवजा मिल पाया था, शेष को मृत्यु की सरकारी परिभाषा में उलझा कर रख दिया गया था.

हाथ से मैला ढोने की प्रथा को सब से अधिक बल शुष्क शौचालयों से मिलता है. इस सिलसिले में भी जनगणना के रजिस्टर में घालमेल करने का आरोप है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना के फॉर्म में शुष्क शौचालय के बजाय गंदा अनसेनेटरी टॉयलेट का कॉलम लाकर इसे शब्दों में उलझा दिया गया. सवाल यह भी है कि शुष्क शौचालय किस वर्ग के लोगों के यहां और किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं. स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बन रहे हैं और कैसे उनका इस्तेमाल हो रहा है, इस पर चौथी दुनिया कई रिपोर्ट प्रकाशित कर चुका है. स्वच्छ भारत अभियान में मैला ढोने से मुक्ति जैसी कोई बात नहीं कही गई है, सारा जोर सिर्फ़ शौचालय निर्माण पर है. ज़ाहिर है, जब देश में करोड़ों शौचालय बनेंगे और उनके सेप्टिक टैंक की सफाई का कोई मैकेनिकल बंदोबस्त नहीं होगा, तो उसे किसी इंसान को ही साफ़ करना होगा. यानी यह अमानवीय प्रथा बदस्तूर जारी रहेगी और सेप्टिक टैंकों में सफाई कर्मियों की मौत होती रहेगी. रेलवे के खुले टॉयलेट्स मानव मल रेलवे ट्रैक्स पर गिरा देते हैं, जिसे कोई सफाई कर्मी अपने हाथों से साफ़ करता है. इस वर्ष रेल डब्बों में 40,000 बायो-टॉयलेट्स उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

इस प्रथा से जुड़े ज़्यादातर लोग अनुसूचित जाति के हैं, जो सैकड़ों वर्षों से छुआछूत के शिकार हैं. लेकिन, सफाई कर्मियों की विडंबना यह है कि उनका काम उन्हें अनुसूचित जातियों में भी सबसे निचले पायदान पर खड़ा कर देता है. उन्हें अपनी जाति के बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है. सरकारों ने तो कानून बना दिया है. अदालतें भी सरकारों को आदेश जारी करती रहती हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर इस सम्बन्ध में कुछ होता दिखाई नहीं देता. सफाई कर्मियों का सर्वे नहीं हुआ है. उनके पुनर्वास के लिए बजट में हर साल कमी की जा रही है. ले-देकर कौशल विकास पर तान तोड़ दिया जाता है. कौशल विकास की खस्ताहाली जगजाहिर है. किसी व्यक्ति को सीवर और सेप्टिक टैंक में बिना सही उपकरण के सफाई करवाना कानूनन जुर्म है, जिसके लिए 10 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है. अगर सफाई कर्मचारी आन्दोलन के आंकड़ों को सही मान लिया जाए, तो 1327 मौतों के बाद बेंगलुरू में पहली बार गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पहले ऐसे मामलों में लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज किया जाता था. इसमें कोई शक नहीं कि चाहे मौजूदा सरकार हो या इससे पहले की सरकार, उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर रहा है. अब तक की जो स्थिति है, उससे ज़ाहिर होता है कि मैनुअल स्केवेंजिंग के प्रति न तो पहले की सरकारें गंभीर थीं और न ही मौजूदा सरकार गंभीर दिख रही है. इसलिए नागरिक समाज को ही आगे आकार इस कलंक से समाज को मुक्त करना पड़ेगा.■

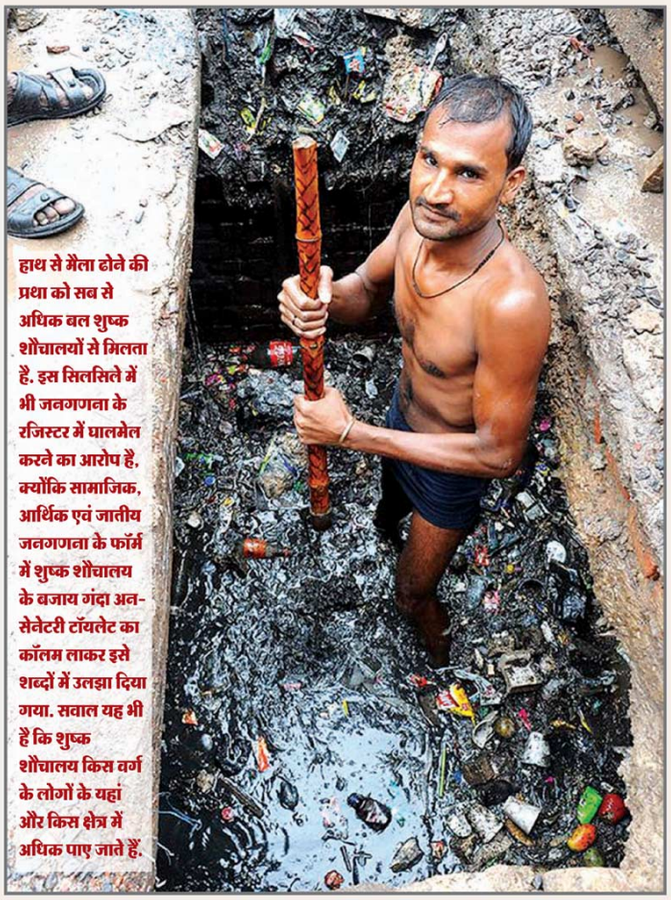

हाथ से मैला ढोने की प्रथा को सब से अधिक बल शुष्क शौचालयों से मिलता है. इस सिलसिले में भी जनगणना के रजिस्टर में घालमेल करने का आरोप है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना के फॉर्म में शुष्क शौचालय के बजाय गंदा अन-सेनेटरी टॉयलेट का कॉलम लाकर इसे शब्दों में उलझा दिया गया. सवाल यह भी है कि शुष्क शौचालय किस वर्ग के लोगों के यहां और किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं.

लाभान्वित सफाईकर्मियों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	लाभान्वित चिन्हित किए गए
आंध्रप्रदेश	78
असम	191
बिहार	137
छत्तीसगढ़	3
कर्णाटक	726
मध्य प्रदेश	36
ओड़ीशा	237
पंजाब	91
राजस्थान	322
तमिलनाडु	363
उत्तर प्रदेश	10,317
उत्तराखंड	137
पश्चिम बंगाल	104

स्रोत : लोकसभा

feedback@chauthiduniya.com

बातें ज़ीरो-टॉलरेंस की पर बह रही है भ्रष्टाचार की गंगोत्री

'राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट', इस दोहे को झारखंड के ठेकेदार, माफिया, भ्रष्ट अधिकारी और राजनेताओं ने बदल कर यह कर दिया है कि 'यहां खजाने की लूट है, लूट सको तो लूट'. इसे ही अपना आदर्श मान रहे ये सभी लोग बहती गंगा में हाथ धोने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. पूरे देश में भ्रष्टाचार के मामले में यह राज्य शीर्ष पर है और यही कारण है कि यहां कोई भी काम असंभव नहीं है. राज्य में नाली का निर्माण कैसे हो, इस पर अध्ययन करने के लिए मंत्री अपने भारी-भरकम फौज के साथ विदेश भ्रमण पर जाते हैं.

प्रशान्त शरण

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास यह कहते नहीं थकते हैं कि राज्य में भ्रष्ट अफसरों और कर्मियों की खैर नहीं, भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें वीआरएस या शंटिंग पोस्ट दे दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मेरे एक हजार दिनों के कार्यकाल में जितने भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई हुई है, उतनी कार्रवाई पिछले चौदह वर्षों में नहीं हुई. सैकड़ों कर्मचारी अधिकारी जेल की हवा खा रहे हैं. लेकिन मुख्यमंत्री के दावे से इतर अगर देखा जाय, तो यहां भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है. घोटालों की हरि अनंत कथा वाली कहावत है. घोटालों में कोई कमी तो नहीं हुई और बढ़ी ही है. यहां बरसात की पहली बारिश में ही अरबों रुपए के पुल-पुलिए बह गए. इनका निर्माण कुछ ही वर्ष पूर्व हुआ था. छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी जरूर हुई, पर बड़ी मछली अभी तक इससे दूर है. अब तो शीर्ष राजनेता एवं अधिकारियों के पुत्र भी घोटालों में सामने आने लगे हैं.

'राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट', इस दोहे को झारखंड के ठेकेदार, माफिया, भ्रष्ट अधिकारी और राजनेताओं ने बदल कर यह कर दिया है कि 'यहां खजाने की लूट है, लूट सको तो लूट'. इसे ही अपना आदर्श मान रहे ये सभी लोग बहती गंगा में हाथ धोने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. पूरे देश में भ्रष्टाचार के मामले में यह राज्य शीर्ष पर है और यही कारण है कि यहां कोई भी काम असंभव नहीं है. राज्य में नाली का निर्माण कैसे हो, इस पर अध्ययन करने के लिए मंत्री अपने भारी-भरकम फौज के साथ विदेश भ्रमण पर जाते हैं. सरकारी खजाने से मोटी राशि खर्च होती है. लेकिन यहां ऐसी नालियों का निर्माण होता है कि नालियों का पानी सड़क पर बहने लगता है. बड़े-बड़े पुल, जो करोड़ों में बनते हैं, एक बरसात में ही बह जाते हैं.

रांची के हरमू नदी के जीर्णोद्धार का काम नब्बे करोड़ में दिया गया. नदी की हालत तो सुधरी नहीं, वहां गंदा नाला जरूर बन गया. साढ़े चार सौ करोड़ से निर्मित रांची का सदर अस्पताल एक ही वर्ष में दरकने लगा. मोमेंटम झारखंड में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जितने पैसे खर्च हुए, उतना भी अब तक निवेश नहीं हो सका है. डिबार हुई कंपनियों को देश में किसी भी राज्य में काम नहीं मिल सका, लेकिन झारखंड में उन्हें काम मिल गया. ये सब तो कुछ उदाहरण मात्र हैं. इन सब के बाद भी मुख्यमंत्री रघुवर दास दावा करते हैं कि राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की कवायद पूरी तेजी से हो रही है और भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. लेकिन यह सब केवल दावा ही है. सच्चाई कुछ और ही है. भ्रष्ट अधिकारियों की लंबी फौज है, जिसका पता स्वयं मुख्यमंत्री को भी है. खुद मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि बिना चढ़ावा एवं कमीशन के झारखंड में कोई भी कार्य होना असंभव है.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के जिम्मे सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है. यही विभाग विज्ञापन एवं सरकारी टेंडरों को जारी करता है. लेकिन इस विभाग के सारे काम दो आइटसोर्सिंग कंपनियों को दे दिए गए हैं. जबकि इस विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों एक पूरा फौज कार्यरत है. केवल वेतन के मद में ही इस विभाग में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं. शुरू में दिल्ली की एक कंपनी 'प्रभातम' को इस विभाग का काम दिया गया था. इसके लिए उस कंपनी को सलाना ढाई करोड़ रुपए का भुगतान तय था. गौर करने वाली बात है कि वो कंपनी किसी भाजपा नेता की है. लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि ढाई करोड़ रुपए में काम कर रही उस कंपनी के ठेके को रद्द कर दुग्गल नामक एक कंपनी को ठेका दे दिया गया, जो साढ़े चौदह करोड़ रुपए में काम कर रही है. सभी नियमों को ताक पर रखकर इस कंपनी को काम आवंटित किया गया. यह कंपनी जरूरी अर्हता भी पूरी नहीं कर रही थी. इस कंपनी की पूरी पूंजी एक लाख की है, लेकिन इसे सरकार की तरफ से साढ़े चौदह करोड़ रुपए का काम दे दिया गया. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरो पर है कि राज्य के एक शीर्ष नेता का पुत्र एवं एक आला अधिकारी का पुत्र इस कंपनी में हिस्सेदार हैं.

कभी रांची की लाइफलाईन मानी जाने वाली हरमू नदी का जीर्णोद्धार करने को लेकर राज्य सरकार ने मुंबई की एक कंपनी को डीपीआर बनाने का काम दिया. इसके लिए उस कंपनी ने तीन करोड़ रुपए का कंसल्टेन्सी चार्ज लिया. बाकी काम मुंबई की एक कंपनी को दिया गया, नब्बे करोड़ में. लेकिन केवल शहरी क्षेत्र में एकाध किलोमीटर काम करने के बाद कंपनी ने सरकार से मोटी राशि ऐठ ली. नौ किलोमीटर वाली इस नदी में पानी तो नहीं ही आ सका, इसका रूप और भी गंदे नाले जैसा हो गया. राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं नगर विकास विभाग भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं. राज्य का स्वास्थ्य विभाग तो घोटालों का एक बड़ा इतिहास अपने में समेटे हुए है. अस्पताल का निर्माण हो या स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सभी में गंभीर अनियमितता सामने आ चुकी है. दवाड़यों एवं उपकरणों की खरीद तो केवल कमीशनखोरी के लिए ही की जाती है. सबसे आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एम्बुलेंस संचालन की जिम्मेदारी एक ऐसी कंपनी को दी गई है, जिस पर सीबीआई एवं इडी के कई केस दर्ज हैं. पिकिजा हेल्थ केयर लिमिटेड नामक यह कंपनी राजस्थान में 108 कॉल सेन्टर एवं एम्बुलेंस घोटाला में लिप्त रही है. वहां स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत यह कंपनी 450 एम्बुलेंस चला रही थी. घोटाले में इस कंपनी की संलिप्तता सामने आने के बाद सीबीआई ने इस पर प्राथमिकी दर्ज की थी. कई अन्य राज्यों ने भी इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट में रखा है. लेकिन झारखंड में इसे 360 करोड़ रुपए का काम मिल गया है और अब यह कंपनी 108 कॉल सेन्टर का संचालन करेगी. जाहिर है, इस कंपनी ने यहां के राजनेताओं और आला अधिकारियों को उपकृत करके ही यह काम लिया होगा.

झारखंड के आला अधिकारी इतने बेलगाम हैं कि वे मंत्रियों की भी बात नहीं सुनते. नगर निगम में होल्डिंग वसूली का काम स्पैरो नामक कंपनी को दिया गया. इस कंपनी ने होल्डिंग टैक्स के रूप में एक वर्ष में 43 करोड़ रुपए की वसूली की. इस वसूली के एवज में कंपनी ने 7 करोड़ कमीशन के रूप में ले लिया. इसपर विभागीय मंत्री सीपी सिंह ने नाराजगी जाहिर की और कंपनी को काम से हटाने का आदेश दे दिया. उस समय तो इस कंपनी को निगम ने काम से हटा दिया, लेकिन दो माह बाद ही टेंडर निकालकर इसी कंपनी को काम दे दिया गया. ■

ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ही दे दिया ठेका

इसी तरह का एक और मामला सामने आया है. अर्नेस्ट एण्ड यंग कंपनी को इसके असंतोषजनक कार्यों के कारण जुडको द्वारा डिबार कर दिया गया था एवं इस पर तीन सालों के लिए पाबंदी लगा दी गई थी. लेकिन इसे फिर से सरकारी काम दे दिया गया है.

इससे सहज ही समझा जा सकता है झारखंड के राजनेता और अधिकारी किस तरह से नियम-कानून को ताक पर रखकर काम करते हैं. इस कंपनी को मोमेंटम झारखण्ड में विज्ञापन एवं कॉलेज पार्टनर बनाया गया था, लेकिन कंपनी ने संतोषजनक कार्य नहीं किया. साथ ही, जब धनबाद की सड़क के लिए इन्वायरमेन्ट एण्ड सोशल इम्पैक्ट पर रिपोर्ट बनाने का काम इस कंपनी को मिला, तो इसने ऑफिस में बैठकर ही सारी रिपोर्ट बना दी और उसे भी तय समय-सीमा के भीतर नहीं सौंपा. इसके बाद जुडको ने इस कंपनी को तीन वर्षों के लिए डिबार कर दिया था. राज्य के अपर मुख्य सचिव सह वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने भी अर्नेस्ट एण्ड यंग को किसी भी तरह का काम देने पर पाबंदी लगा दी थी. लेकिन कौशल विकास मिशन के अधिकारियों ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे की टिप्पणी की अनदेखी कर इस कंपनी को लगभग पैंतालिस करोड़ रुपए का काम दे दिया. अब यह प्रतिबंधित कंपनी बताएगी कि राज्य के युवाओं को किस तरह से प्रशिक्षित किया जाय.

विकास का कंबल भ्रष्टाचार का घी: सरयू राय

चारा घोटाले को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता सरयू राय भ्रष्टाचार को लेकर अब अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं. सरयू राय रघुवर सरकार में ही खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं. सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चुटकी लेते हुए उन्होंने इसे 'विकास का कंबल भ्रष्टाचार का घी' तक कह दिया. उन्होंने कहा कि नेता, अधिकारी, अभियंता, ठेकेदार सभी का गठजोड़ विकास का कंबल ओढ़कर भ्रष्टाचार का घी पीने में लगा है. इसे ध्वस्त करने की जरूरत है, न कि इससे आंख मुंदने की. भ्रष्टाचार के मसले पर सरयू राय रघुवर सरकार की जमकर खिंचाई करते हैं और कहते हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार पर काबू पाना अब असंभव लगता है, यहां सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं. ■

भ्रष्टाचार में आंकठ डूबा है पूरा सरकारी महकमा : बाबूलाल मरांडी

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी ने राज्य में फैले भ्रष्टाचार तंत्र को लेकर सरकार पर सीधा वार किया है. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार की पहुंच मुख्यमंत्री के पास तक है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के इर्द-गिर्द रहने वाले ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं. भाजपा के आला नेता और अधिकारियों का गठजोड़ केवल राज्य को लूटने में ही लगा हुआ है. राज्य के विकास की चिंता किसी को नहीं है. मोमेंटम झारखंड को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने अरबों रुपए का सरकारी खजाना लगाया. लेकिन उतनी भी राशि का झारखंड में निवेश नहीं हो सका है. ■

रांची के हरमू नदी के जीर्णोद्धार का काम नब्बे करोड़ में दिया गया. नदी की हालत तो सुधरी नहीं, वहां गंदा नाला जरूर बन गया. साढ़े चार सौ करोड़ से निर्मित रांची का सदर अस्पताल एक ही वर्ष में दरकने लगा. मोमेंटम झारखंड में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जितने पैसे खर्च हुए, उतना भी अब तक निवेश नहीं हो सका है. डिबार हुई कंपनियों को देश में किसी भी राज्य में काम नहीं मिल सका, लेकिन झारखंड में उन्हें काम मिल गया.

पेड न्यूज़ की नई पीढ़ी है फेक न्यूज़

रवीश कुमार

अब तो हाउसिंग सोसायटी के व्हाट्सऐप ग्रुप से भी न्यूज़ आने लगा है. नेताओं के अपने ट्वीटर हैंडल हैं, यू ट्यूब चैनल हैं. वही झूठ बोल रहे हों तो आप क्या करेंगे. राजनीतिक दलों ने व्हाट्सऐप ग्रुप में मोहल्ले तक के लोगों को घेर लिया है. ग्रुप का मेंबर बनाकर सियासी कचरा ठेलते रहते हैं, जिसमें से ज़्यादातर फेक न्यूज़ ही होता है. इस सीरीज के शुरू में हमने आपको मिलेनियम बग यानि 'वाई टू के' का उदाहरण दिया था. अब आपको 2001 के दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में फैले मंकी मैन का उदाहरण देना चाहते हैं. मंकी मैन न तो मंकी था न ही मैन था, मगर मैन-विमेन-चिल्ड्रन मंकी मैन के आने और काट लेने की कल्पनाओं में खो गए.

फेक न्यूज़ का एक और हमसफ़र है पेड न्यूज़. पैसा लेने का तत्व पेड न्यूज़ में भी है और फेक न्यूज़ में भी है. चुनावों में पेड न्यूज़ का क्या आतंक है, आप किसी भी दल के उम्मीदवार से पूछ लीजिए. अब पेड न्यूज़ के कई तरीके आ गए हैं. चुनाव आते ही विपक्षी दलों के ख़िलाफ़ स्टिंग ऑपरेशनों की बाढ़ आ जाती है. सर्वे में विपक्ष को कमज़ोर बताया जाने लगता है. यूपी चुनाव में ग़लत सर्वे छापने को लेकर विवाद भी हुआ था. पेड न्यूज़ में होता यह है कि पैसा लेकर उम्मीदवार के बारे में ख़बर छपती है कि जनसैलाब उमड़ा, फलाना डिमकाना की चल रही है लहर. इसी की नई पीढ़ी है फेक न्यूज़. हमने इंटरनेट पर पेड न्यूज़ को लेकर सर्च किया तो कई जानकारियां सामने आईं. आप जानते हैं कि हर चुनाव में पेड न्यूज़ पकड़ने के लिए राज्य स्तर और ज़िला स्तर पर चुनाव आयोग मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी (एमसीएमसी) बनाता है.

2013 में चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार 17 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पेड न्यूज़ के 1400 मामले सामने आए थे. ये सभी चुनाव 2010 से 2013 के बीच हुए थे. 2012 के विधानसभा चुनावों में पंजाब में 523, गुजरात में 414 और हिमाचल प्रदेश में 104 पेड न्यूज़ के मामले सामने आए. वहीं 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज़ के 93 मामले सामने आए.

2014 के लोकसभा चुनाव में मीडिया का जो रूप था वो अभूतपूर्व था. यह चुनाव भी पेड न्यूज़ से बच नहीं सका था. कई बार पेड न्यूज़ के मामले रिपोर्ट भी नहीं होते हैं. उनके तरीके इतने बदल गए हैं कि पकड़ना भी मुश्किल होता है. अभी तक पेड न्यूज़ को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है और न ही इसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है. 2014 के लोकसभा चुनाव में पेड न्यूज़ के 787 केस सामने आए थे. सबसे अधिक 223 मामले राजस्थान से और 152 मामले पंजाब से दर्ज हुए थे. आंध्र प्रदेश में 116 और उत्तर प्रदेश में 86 मामले दर्ज हुए. आंध्र में 116 कंफर्म केस थे, लेकिन 2168 नोटिस जारी हुए थे, पेड न्यूज़ के संबंध में. 2014 के चुनाव में पेड न्यूज़ के मामले में उम्मीदवारों को 3100 नोटिस जारी किए गए थे.

पेड न्यूज़ तो नहीं ही रुक रहा है, अब फेक न्यूज़ भी आ गया है. 2017 के पंजाब और यूपी के विधानसभा चुनावों में भी पेड न्यूज़ के मामले दर्ज किए गए. अक्टूबर 2011 में पेड न्यूज़ के आरोप में यूपी में राष्ट्रीय परिवर्तन दल की विधायक उमलेश यादव की सदस्यता खारिज कर दी गई थी. लेकिन किसी बड़े दल का उम्मीदवार पेड न्यूज़ करता हुआ बर्खास्त नहीं हुआ है. इस क्रम में एक और नेता पकड़े गए हैं, जिनका मामला अदालत में भी साबित हो गया है. मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज़ के मामले में दोषी पाया है. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सके थे. चुनाव आयोग ने इन पर तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस लिहाज़ से नरोत्तम मिश्रा 2018 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे. आयोग ने पाया कि नरोत्तम मिश्रा ने 2008 के चुनाव में दतिया विधानसभा में पेड न्यूज़ पर ख़र्च की गई रकम को अपने ख़र्चे में नहीं दिखाया है. हालांकि पेड न्यूज़ के मामले में दोषी पाये जाने के बाद भी ये पद पर बने हुए हैं.

एक बात को लेकर सतर्क रहिएगा. मीडिया को फेक न्यूज़ कहने में खतरा है. इसका लाभ ट्रंप जैसे नेता उठा ही रहे हैं, न्यूज़ चैनलों को फेक न्यूज़ कहकर. जो फेक न्यूज़ है उसे ही फेक न्यूज़ कहा जाए. पत्रकारों से उम्मीद की जाती है कि ख़बर छापने से पहले तीन चार बार पुष्टि कर लें. लेकिन अब आपसे भी उम्मीद की जाती है कि ख़बर पर यकीन करने से पहले कई सोर्स से कंफर्म कर लें. अब तो न्यूज़ हाउसिंग सोसायटी के व्हाट्सऐप ग्रुप से भी आने लगा है. नेताओं के अपने ट्वीटर हैंडल हैं, यू ट्यूब चैनल हैं. वही झूठ बोल रहे हों तो आप क्या करेंगे. राजनीतिक दलों ने व्हाट्सऐप ग्रुप में मोहल्ले तक के लोगों को घेर लिया है. ग्रुप का मेंबर बनाकर सियासी कचरा ठेलते रहते हैं, जिसमें से ज़्यादातर फेक न्यूज़ ही होता है. इस सीरीज के शुरू में हमने आपको मिलेनियम बग यानि 'वाई टू के' का उदाहरण दिया था. अब आपको 2001 के दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में फैले मंकी मैन का उदाहरण देना चाहते हैं.

मंकी मैन न तो मंकी था न ही मैन था, मगर मैन-विमेन-चिल्ड्रन मंकी मैन के आने और काट लेने की कल्पनाओं में खो गए. रात भर जागते थे. किसी ने उसे देखा नहीं, मगर बताने वालों की कमी नहीं थी कि मंकी मैन कैसा है. उस वक्त मीडिया भी मंकी मैन को ख़ूब कवर करता था. मुझे जहां तक याद है, मंकी मैन की पहली ख़बर यूपी के एक हिन्दी अखबार में कहीं कोने में छपी थी. मंकी मैन को लेकर कल्पनाएं हवा में उड़ने लगीं. सबने मंकी मैन के बारे में इस तरह से बयां किया कि आप सुनकर हंसते-हंसेत लोटपोट हो जाएंगे. मंकी मैन का ऐसा बवाल उठा था कि पुलिस और सरकार भी उसमें व्यस्त हो गई. कभी पुलिस ने कहा कि ये असामाजिक तत्वों का काम है. चश्मदीदों के अनुसार कम से कम दो लोग हैं, जो मिलकर ये अंजाम दे रहे हैं. बताइए चश्मदीद को यही पता नहीं कि मंकी मैन कैसा दिखता है, लेकिन उनके आधार पर पुलिस मानने लगी की दो लोग हैं. दिल्ली पुलिस से उस वक्त उम्मीद की जाने लगी कि वो मंकी मैन का पोट्रेट बनाए, जैसे आंतकी हमलों के बाद आतंकवादियों का बनता है. एक बार तो पुलिस ने कह दिया कि न तो वो इंसान है न ही बंदर है, कोई और जानवर है. पुलिस क्या करती. रात भर लोग आतंकित रहते, कोई कहीं से गिरता, या कोई अपनी ही छाया देखकर मंकी मैन मंकी मैन चिल्लाने लगता. अंत में हार कर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम रख दिया. गृह मंत्रालय से रैपिड पुलिस फोर्स मांगी गई. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम बना दी गई, जिसका काम था मंकी मैन की जांच करना. एक फिल्म आई थी, हैदर. इसके सह लेखक थे बशारत पीर. अच्छे पत्रकार हैं और इनकी किताब है कर्फ्यू नाइट. बशारत की भी एक रिपोर्ट है मंकी मैन पर. 20 जून 2001 की उनकी स्टोरी बताती है कि दिल्ली पुलिस ने मंकी मैन के रहस्य से पर्दा उठा दिया है. एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंकी मैन था ही नहीं. इस स्टोरी में उस वक्त के ज्वाइंट कमिश्नर सुरेश राय ने कहा है कि मंकी मैंस में बंदर या कोई भी जानवर शामिल नहीं है. एक्सपर्ट कमेटी में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन बिहैवियर (एनआईएचबी) और सेंट्रल फॉरेंसिक लैबोरेटरी (सीएफएल) के सदस्य भी थे. पुलिस ने यह भी कहा कि मंकी मैन के पीछे पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ नहीं है और न ही किसी गुंडा गिरोह का हाथ है. दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अजय राज शर्मा ने तो 50 हज़ार का इनाम भी रख दिया था. उन्हें लगता था कि यह किसी गिरोह का काम है. साल 2001 का मई और जून महीना मंकी मैन में ही बीत गया. पुलिस को इससे जुड़े 379 फोन कॉल्स मिले थे, जिसमें से 303 बोगस निकले. इससे जुड़ी घटनाओं में 70 लोग घायल हो गए थे. एक केस में उत्तर पूर्व दिल्ली के रघुनाथ पाठक को उनके भाई ने ही मारा था. लोग तरह-तरह की कल्पना करने लगे थे. पुलिस ने माना कि मीडिया के कवरेज ने इस पागलपन को और बढ़ा दिया. आपको बता दें कि उस वक्त कई चैनलों ने मंकी मैन की बाइट के लिए पांच-पांच रिपोर्टर की टीम बनाई थी. जो रात भर दिल्ली में घूमा करते थे. उन्हीं में से कई आज प्राइम टाइम के एंकर हैं. ज़ाहिर है, 2001 में मंकी मैन के ज़रिए जो प्रैक्टिस किया था, वो अब काम आ रहा है.

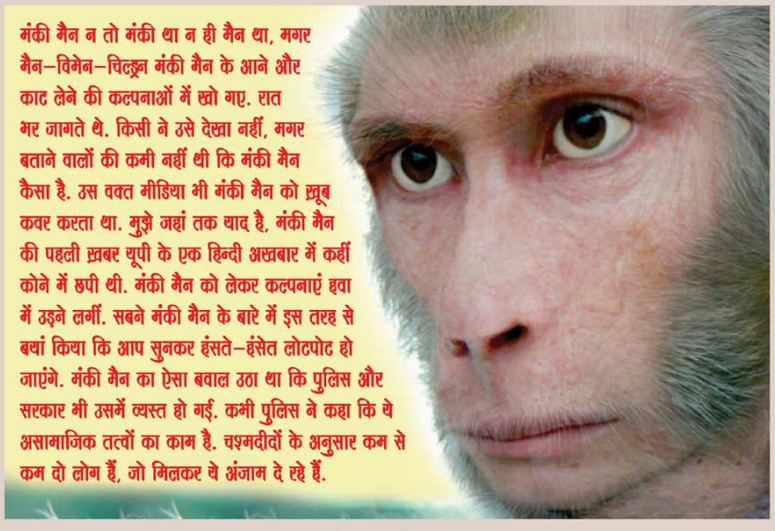

मंकी मैन न तो मंकी था न ही मैन था, मगर मैन-विमेन-चिल्ड्रन मंकी मैन के आने और काट लेने की कल्पनाओं में खो गए. रात भर जागते थे. किसी ने उसे देखा नहीं, मगर बताने वालों की कमी नहीं थी कि मंकी मैन कैसा है. उस वक्त मीडिया भी मंकी मैन को ख़ूब कवर करता था. मुझे जहां तक याद है, मंकी मैन की पहली ख़बर यूपी के एक हिन्दी अखबार में कहीं कोने में छपी थी. मंकी मैन को लेकर कल्पनाएं हवा में उड़ने लगीं. सबने मंकी मैन के बारे में इस तरह से बयां किया कि आप सुनकर हंसते-हंसेत लोटपोट हो जाएंगे. मंकी मैन का ऐसा बवाल उठा था कि पुलिस और सरकार भी उसमें व्यस्त हो गई. कभी पुलिस ने कहा कि ये असामाजिक तत्वों का काम है. चश्मदीदों के अनुसार कम से कम दो लोग हैं, जो मिलकर ये अंजाम दे रहे हैं.

वैसे हमारे चैनलों ने 2012 से पहले के साल में यह भी खूब चलाया कि दुनिया खत्म होने वाली है. फेक न्यूज़ नाम में भले जूनियर हो, मगर इस काम में भारत के न्यूज़ वाले भी कम सीनियर नहीं हैं. गनीमत है कि लोगों ने भी समझ लिया कि सब बकवास है.

नोटबंदी के दौरान 2000 के नोट में किसी चिप के लगे होने की ख़बर दिखा दी गई. वैसे नोटबंदी के कारण आंतकवाद और नक्सलवाद के मिट जाने या रुक जाने का दावा भी कर दिया गया. पहली बार आतंकवाद और नक्सलवाद को मिटाने के लिए दुनिया में नोटबंदी का सहारा लिया गया. फर्क ये आया है कि काला धन अब नए नोटों में पकड़ा जा रहा है. कुछ लोग आज भी 2000 के नोट में चिप खोज रहे हैं, जो है ही नहीं. जबकि उसी वक्त रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना कर दिया था कि नोट में इस तरह का कोई चिप नहीं है. उस समय पांच सौ और हज़ार के साढ़े चौदह लाख करोड़ रुपए चलन में थे. ये मंत्री संतोष गंगवार का बयान था. आज तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं बता सका कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के कितने नोट वापस आए. हाल ही में संसदीय समिति के सामने रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल नहीं बता सके कि कितना नोट वापस आया है. उनका कहना है कि नोटों की गिनती चल रही है. रिजर्व बैंक ने काउंटिंग मशीन खरीदने के लिए टेंडर निकाला है. गर्वनर ने जनवरी में संसदीय समिति से कहा था कि अगली बार जब समिति के सामने हाज़िर होंगे, तो बता देंगे कि कितने नोट वापस आए. कितने नोट वापस आए हैं यह जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि कितने नकली नोट या काला धन सर्कुलेशन में थे. अगर 14.50 लाख करोड़ ही आए, तो फिर नोटबंदी कैसे सफल कही जाएगी. इस पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने चुटकी लेते हुए कहा है कि नोटबंदी के आठ महीने बाद अगर रिज़र्व बैंक काउंटिंग की मशीन खरीद रहा है, तो कम से कम लीज़ पर ले सकता था. राहुल गांधी ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया है कि सरकार को मैथ्स टीचर की ज़रूरत है, किसी को पीएमओ में अप्लाई कर देना चाहिए. वैसे जब आपसे बैंक गिन कर नोट लेते हैं, तो रिजर्व बैंक को भी गिन कर ही देते होंगे. जब बैंकों ने नोटबंदी के दौरान वापस किए गए नोट तभी के तभी गिन लिए, तो अब तक रिजर्व बैंक कैसे नहीं गिन पा रहा है. क्या रिजर्व बैंक ये नहीं बता सकता कि बैंकों ने अपनी तरफ से गिन कर इतने नोट दिए हैं. हम अपनी तरफ से एक और बार गिन रहे हैं.

1995 में गणेश जी की मूर्ति को दूध पिलाने का लेसन हमें अभी तक ठीक ठीक याद है. नवंबर 2016 में तो देश के कई राज्यों के लोग दुकानों के आगे लाइन में लग गए कि चीनी और नमक की किल्लत होने वाली है. व्हाट्सऐप से मैसेज आया था कि चीनी और नमक की किल्लत होने वाली है. यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अफवाह बताते रहे और ज़िलाधिकारी को निर्देश देने लगे कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भी बयान देना पड़ा कि नमक की कोई कमी नहीं है. अफवाहों का क्या, वो उड़ते-उड़ते मुंबई पहुंची कि नमक 200 रुपए किलो हो गया है. मुंबई पुलिस को ट्वीट करना पड़ा कि ये अफवाह है. कई जगहों से ये भी ख़बर आ गई कि दुकानदार वाकई 200 से लेकर 600 रुपए किलो नमक बेच रहे हैं. हैदराबाद पुलिस भी इस अफवाह यज्ञ को रोकने में काफी मेहनत कर रही थी.

हम फेक न्यूज़ से निराश इसलिए भी नहीं होते, क्योंकि हमने कभी भी फेक न्यूज़ को निराश नहीं किया है. 2009 में राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने 'दिल्ली 6' बनाई थी. यह फिल्म भी मंकी मैन पर आधारित थी. मंकी मैन का ज़िक्र करना ज़रूरी था. गणेश जी की मूर्ति को दूध पिला लिया. 'वाई टू के' के तहत दुनिया के कंप्यूटर के नष्ट होने का दौर भी देख लिया, मंकी मैन भी झेल लिया और अब फेक न्यूज़ झेल रहे हैं. मैं यह सोच रहा हूं कि अब हम इसके आगे क्या करने वाले हैं. जो भी होगा वो फेक न्यूज़ का कौन सा नया वर्जन होगा जो हमें पागल बनाने वाला है. ■

(लेखक जाने माने टीवी पत्रकार हैं)

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

भाजपा के लिए अच्छा समय, लोकतंत्र के लिए ख़राब

कमल मोरारका

www.kamalmorarka.com

पाकिस्तान की राजनीति और प्रशासन में इन तीनों के पास निभाने के लिए कोई न कोई भूमिका है. यह स्थिति भारत से बिल्कुल अलग है. भारत में विश्व हिन्दू परिषद और आरएसएस के होने के बावजूद शासन में इनकी भूमिका नहीं के बराबर है. सेना का यहां प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं है. भारतीय सेना पूरी तरह से सिविलियन शासन के अधीन है. यही सच्चे लोकतंत्र की निशानी है. ऐसा ही पश्चिमी लोकतंत्र, यूएस और यूके में भी है.

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान नेशनल असेंबली का सदस्य बनने के अयोग्य ठहरा दिया है और इस वजह से उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा. अगर आप इस फैसले का जायजा लें तो इसे कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं कहेंगे. पनामा पेपर्स की जांच अब भी जारी है. इसका अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है. नवाज शरीफ के रिटर्न में 10 हजार दिरहम का उल्लेख नहीं किया गया है. यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है. यह रक़म उनके खाते में जमा की गई, लेकिन उन्होंने उसकी निकासी नहीं की. इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया. निश्चित तौर पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भारत के सुप्रीम कोर्ट की तरह ही ताकतवर और स्वतंत्र है, लेकिन तथ्य ये है कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक संरचना कभी भी स्थिर नहीं हो सकी. भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही दिन आजाद हुए थे, लेकिन 1947 और 1958 के दौरान 11 वर्षों में पाकिस्तान में 7 प्रधानमंत्री आए और गए. इसके बाद अयूब खान ने मार्शल लॉ लागू कर सत्ता पर क़ब्ज़ा कर लिया. हम जानते हैं कि जब एक बार मिलिट्री रूल आ जाती है, तब लोकतंत्र की पुनः बहाली बहुत मुश्किल होती है, भले ही वो नाम का ही लोकतंत्र क्यों न हो? पाकिस्तान की यही हालत रही है. पाकिस्तान के देशप्रेमी लोग भी ये मानेंगे कि सेना एक संस्था के रूप में पाकिस्तान की राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटक है. वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई एक सरकार है. वहां मुल्ला और धार्मिक लोग हैं और सेना है. पाकिस्तान की राजनीति और प्रशासन में इन तीनों के पास निभाने के लिए कोई न कोई भूमिका है. यह स्थिति भारत से बिल्कुल अलग है. भारत में विश्व हिन्दू परिषद और आरएसएस के होने के बावजूद शासन में इनकी भूमिका नहीं के बराबर है. सेना का यहां प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं है. भारतीय सेना पूरी तरह से सिविलियन शासन के अधीन है. यही सच्चे लोकतंत्र की निशानी है. ऐसा ही पश्चिमी लोकतंत्र, यूएस और यूके में भी है.

भारत के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेना का अधिक हस्तक्षेप होगा. नवाज शरीफ के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाना चाहते थे. 1999 में जब मुशर्रफ सत्ता में आए, तब वे भी भारत से सम्बन्ध सामान्य बनाना चाहते थे. वे आगरा आए और चाहते थे कि दोनों देशों के बीच की समस्याओं का समाधान हो जाए. आरएसएस ने वाजपेयी, यशवंत सिन्हा द्वारा तैयार समझौते को सफल नहीं होने दिया. यह अवसर भी हाथ से निकल गया. अब नवाज शरीफ भी चाह कर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां सेना का दखल बढ़ गया है. अब जो भी प्रधानमंत्री आएगा, वो नवाज शरीफ से कमजोर होगा. अनिश्चितता का दौर जारी रहेगा.

बिहार में लालू प्रसाद यादव के यहां सीबीआई का छापा योजनाबद्ध तरीके से मारा गया था. मकसद था नीतीश को उलझाना, ताकि अपनी छवि बचाने के लिए वे लालू का साथ छोड़ दें. भाजपा ने नीतीश के साथ समझौता किया और सरकार बनाने में उनकी मदद की. अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश भाजपा के साथ आ गए हैं, कैसे? नीतीश अब भी मुख्यमंत्री हैं. भाजपा ने उन्हें एक बार फिर समर्थन दिया है, क्यों?

इधर हम देख रहे हैं कि अमित शाह अचानक काफी सक्रिय हो गए हैं. वे राज्य दर राज्य घूम रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाजपा की मौजूदगी पूरे भारत में होगी. केवल मोदी भक्त और संघ के लोग ही इस थ्योरी में विश्वास करेंगे. तमिलनाडु में इनके लिए कोई अवसर नहीं है. ये हो सकता है कि वे डीएमके या अन्ना डीएमके के लोगों को पैसा दें. यदि संक्षेप में कहा जाए तो अमित शाह अभी खुले तौर पर वही काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस करती आई है. जहां आपकी मौजूदगी नहीं होगी, जहां जनसमर्थन नहीं होगा, वहां आप मनी पॉलिटिक्स, मसल पॉलिटिक्स करेंगे. लेकिन ये लोग इस सीमा से आगे जाते हैं. जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री बहुत ही सभ्य नेता थे और वे कोई भी काम उचित तरीके से करते थे. कांग्रेस सत्ता की सीमा जानती थी, लेकिन यह सरकार सीबीआई, आईबी का इस्तेमाल कर के भी राजनीति कर सकती है.

दरअसल यह सरकार सेनाध्यक्ष की नियुक्ति खुद को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कर रही है. यदि सेना समस्याओं का समाधान कर पाती, तो पाकिस्तान बहुत ही प्रगतिशील देश होता. अंग्रेजों ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया होता. हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती. आजादी की लड़ाई का मकसद पूर्ण पारदर्शी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के साथ सामाजिक परिवर्तन का था. मौजूदा सरकार की ओर से पिछले तीन-चार महीनों में जो संकेत मिल रहे हैं, वे अच्छे नहीं हैं. सीबीआई ने लालू यादव के यहां छापा मारा. छापा मारने में कुछ भी गलत नहीं है. यह एक प्रक्रिया है. सीबीआई ने कर्नाटक के एक मंत्री के घर पर छापा मारा, जिसके गेस्ट हाउस में राज्य सभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के विधायक रुके थे. यह बहुत ही भौंडा है. आप इतने भौंडे कैसे हो सकते हैं? बहरहाल आप सत्ता में हैं, आपको यह करने का अधिकार है और आप सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं. विपक्ष सत्ता नहीं छीन रहा है. यह खबर आ रही है कि शिवकुमार के यहां से 11 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जबकि आयकर विभाग कह रहा है कि उनके यहां से कोई पैसा ज़ब्त नहीं किया गया है. ठीक है, लोकतंत्र में प्रोपेगेंडा का अपना स्थान होता है. सभी टीवी चैनलों और अख़बारों को भाजपा की तरफ से बहुत पैसा दिया गया है. यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. हम इस पर आपत्ति नहीं जता सकते हैं. पहले की सरकारें भी इस तरह के हथकंडे अपनाती थीं, लेकिन भाजपा उनसे दस गुना अधिक और अधिक खुले ढंग से कर रही है. यह उनके काम करने का फासिस्ट नजरिया है और देश उससे गुज़र रहा है. तय है कि यह तरीका कामयाब नहीं होगा. इंदिरा गांधी का आपातकाल 19 महीने तक चला था. इसके बाद उन्होंने चुनाव करवाया था, जो नतीजा आया वो सबके सामने था. भाजपा ये सब जितना अधिक करेगी, उतना ही अधिक उसका नुकसान होगा. यह सही है कि उनका मज़बूत पक्ष यह है कि कांग्रेस इस समय सुनियोजित नहीं है. नरेन्द्र मोदी गवर्नेंस छोड़ कर 2019 की तैयारी में लग गए हैं. इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है. राजनीति में यह एक अवसर की तरह होता है, यदि विपक्ष कहीं न हो. 2019 चुनाव जीतने का उनके पास अवसर है.

बिहार में लालू प्रसाद यादव के यहां सीबीआई का छापा योजनाबद्ध तरीके से मारा गया था. मकसद था नीतीश को उलझाना, ताकि अपनी छवि बचाने के लिए वे लालू का साथ छोड़ दें. भाजपा ने नीतीश के साथ समझौता किया और सरकार बनाने में उनकी मदद की. अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश भाजपा के साथ आ गए हैं, कैसे? नीतीश अब भी मुख्यमंत्री हैं. भाजपा ने उन्हें एक बार फिर समर्थन दिया है, क्यों? आपके पास 56 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में आप इतने लोकप्रिय हैं तो भाजपा ने बिहार चुनाव करवाने पर जोर क्यों नहीं दिया. ये ठीक है कि राजनैतिक दांवपेंच की अपनी सीमाएं होती हैं. अमित शाह की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कोई यह नहीं कह सकता कि वे संसदीय आचरण से काम लेंगे. जैसे कि ख़बरें आ रही हैं कि पहले कमज़ोर विधायकों को फंसाओ, फिर उन्हें खरीद लो और यह प्रचार करो कि प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, वो पहले कभी नहीं हुआ. बहरहाल इन चीज़ों की अपनी सीमाएं होती हैं. विपक्ष की कमजोरी यह है कि मीडिया ने उन्हें निराश किया है. आपातकाल के दौरान भी मीडिया ने ऐसा किया था, लेकिन उस समय सेंसरशिप थी, लेकिन फिलहाल वे खुद ही ऐसा कर रहे हैं. ज़ाहिर है अपने फायदे के लिए वे ऐसा कर रहे हैं. कुल मिलाकर कहा जाए तो लोकतंत्र के लिए यह अच्छा समय नहीं है. भाजपा के लिए अच्छा समय है, कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण समय है. देखते हैं क्या होता है? ■

feedback@chauthiduniya.com

सेना और पुलिस में समन्वय क्यों नहीं है?

शुजात बुख़ारी

पिछले हफ्ते सेना एक बार फिर गलत कारणों से खबरों में थी. कारण भी अजीब था. गंदरबल जिले के बालताल (अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर) से लौट रही सेना के एक दल को जम्मू और कश्मीर पुलिस की एक पार्टी ने वैध तरीके से रोका, जिसपर जवानों को गुस्सा आ गया. सेना के जवान आम नागरिकों की तरह सादा लिबास में थे और निजी वाहनों में घूम रहे थे. जब वे जवान सोनमर्ग पहुंचे तो उन्होंने रुकने के संकेत को नज़रंदाज़ कर दिया. (दक्षिणी कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हालिया हमले के बाद अधिकारियों ने रात के दौरान कश्मीर में यात्रियों और पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है.)

बहरहाल, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सगुंड में संदेश भेजा. सेना के जवानों को यह पसंद नहीं आया, उन्होंने अतिरिक्त बल बुलाकर थाने पर धावा बोल दिया. उन्होंने रिकॉर्ड क्षतिग्रस्त किए, कंप्यूटर तोड़े और सात पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया. यह घटना सुर्ख़ियों में रही, क्योंकि यह काम सेना ने किया था. सेना से अनुशासन की उम्मीद की जाती है. पुलिस जब अपना काम कर रही हो, तब ऐसे में इस तरह की प्रतिक्रिया अनुशासन के दायरे में फिट नहीं बैठती.

हालांकि इस घटना पर सेना द्वारा दिए गए जांच के आदेश के परिणाम का अभी इंतजार है, लेकिन पहली नज़र में यह लगता है कि 24 राष्ट्रीय राइफल्स (सेना का आतंकवाद विरोधी बल) की पार्टी ने स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन किया था. बहरहाल, इस पर कई सवाल उठाए जा सकते हैं कि सेना के जवान ऐसे क्षेत्र में, जो अनंतनाग में अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर हालिया हमले के कारण संवेदनशील था, आम लिबास में क्यों थे? पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और सेना के जवानों को सहयोग करना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ. जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा. पुलिस का आदेश देना सेना को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने पुलिस की पिटाई कर दी. इस घटना से नए सिरे से यह बहस छिड़ सकती है कि सेना कश्मीर में अपना काम कैसे कर रही है? सेना के जवानों ने ताक़त का प्रदर्शन किया, जो कानून का खुला उल्लंघन है. रक्षा प्रवक्ता ने इसे मामूली घटना करार दिया है. सबसे बढ़ कर यह कि पुलिस पूरे मामले में रक्षात्मक नज़र आई. उसका कहना था कि मामले को सेना के अधिकारियों के पास उठाया गया है और जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा.

भले ही सेना और पुलिस दोनों ने इस घटना को दबा दिया हो, लेकिन लोगों की इस पर अपनी प्रतिक्रिया थी. कुछ लोगों ने पुलिस पर फब्तियां कसीं कि उनके साथ यह कैसा व्यवहार किया जा रहा है. कई खुश थे कि सेना ने पुलिस को उनकी हैसियत बता दी, क्योंकि वे ही कश्मीरी लोगों पर अत्याचार कर रहे थे. सोशल मीडिया बहस में कई रंग देखने को मिले. बहरहाल, सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया श्रीनगर में 15 कोर के कमांडर की तरफ से आई. उन्होंने सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया को देशद्रोही करार देकर खारिज कर दिया था. उनके मुताबिक सोशल मीडिया पर लोग पुलिस और सेना के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कहना था कि पुलिस और सेना हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं. इसे लेकर ट्विटर पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आईं. लोगों को राष्ट्र विरोधी शब्द से आपत्ति थी. एक ट्विटर यूजर ने कमांडर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि क्या इस तरह की भाषा के इस्तेमाल से सेना द्वारा अंजाम दी गई घटना पर प्रतिक्रिया खत्म हो जाती है.

यहां सवाल उस घटना और उसमें शामिल परिस्थितियों का नहीं है, बल्कि सशस्त्र बलों में सहिष्णुता और जवाबदेही की कमी है. इससे पहले कि जांच की प्रक्रिया पूरी हो, एक निष्कर्ष निकाल लिया गया कि यह मामूली विवाद था और जो लोग इसपर सवाल खड़े कर रहे हैं वे राष्ट्रविरोधी हैं. यह बिलकुल वैसे ही था, जैसे 9 अप्रैल को एक सिविलियन फारूक डार को मानव शील्ड बनाने पर मेजर लीतुल गोगोई को सेनाध्यक्ष ने शाबाशी दी थी. उस मामले में भी जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन जांच रिपोर्ट से पहले ही शाबाशी मिल गई थी.

पुलिस या भारत समर्थक राजनेताओं पर सेना के खुलेआम शक्ति प्रदर्शन का भी अपना इतिहास रहा है. यह तर्क दिया जा सकता है कि सशस्त्र बलों को ऐसे बेलगाम अधिकार अफस्पा के कारण मिले हुए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जरूरी नहीं कि अफस्पा के ही कारण हों. हालांकि ऐसी घटनाएं बहुत हद तक ऐसे मामलों की जांच कूड़ेदान में डाल देने के कारण घटित होती हैं, इसमें अफस्पा का भी योगदान है. मिसाल के तौर पर वर्ष 2000 में पाथरीबल फर्जी मुठभेड़ को लें, जब छत्तीसिंहपुरा में 35 सिखों की हत्या के बाद पांच निर्दोष नागरिकों को मार दिया गया था. सीबीआई ने अपनी जांच में एक ब्रिगेडियर समेत पांच अधिकारियों को इन नागरिकों की हत्या का दोषी पाया था, लेकिन अफस्पा ने उन्हें यह कवच दिया था कि उनपर सिविल कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती. अन्य कई मामलों में सेना ने इस कानून का सहारा लिया और अपनी अदालतों में दोषियों की सुनवाई की, लेकिन उसमें शायद ही किसी को सजा हुई हो. ताज़ा उदाहरण सिर्फ दो दिन पहले का है, जब एक आर्मी ट्रिब्यूनल ने 2010 के माचिल फर्जी मुठभेड़ में तीन निर्दोष नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दिए गए आजीवन कारावास को निलंबित कर दिया.

आम लोगों, राजनेताओं या पुलिस की खुलेआम पिटाई का कश्मीर में एक लंबा इतिहास रहा है. वर्ष 1997 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता और तत्कालीन कानून मंत्री प्यारे लाल हांडू को हंडवाड में सेना के एक कमान ने थप्पड़ मारा था. उसके एक साल बाद उनके एक अन्य सहयोगी और तत्कालीन मंत्री बशीर अहमद नेंग्रो को बदामबाग गेट के बाहर इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि उनके कई दांत टूट गए थे.

केवल नागरिक ही नहीं, बल्कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी पिटते रहे हैं. कश्मीर पुलिस के तत्कालीन प्रमुख एएम वटाली को श्रीनगर में दिन के उजाले में सेना ने बेरहमी से पीटा था, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थीं. 26 जुलाई 1980 (जब कश्मीर में मिलिटेंसी नहीं थी या अफस्पा लागू नहीं था) की घटना को अपने संस्मरण कश्मीर इंतिफादा में याद करते हुए वटाली लिखते हैं कि सेना के वाहन ने एक तीन पहिया को टक्कर मार दिया था. लोगों ने उसे घेर लिया. ड्राइवर मौके से फरार हो गया. जल्द ही सेना घटनास्थल पर पहुंच गई और लोगों को पीटना शुरू कर दिया, जिसका मैंने विरोध किया. हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिसपर भारतीय पुलिस सेवा का बैज लगा हुआ था. मैंने उन्हें अपनी पहचान बताई और उनसे कहा कि वे इस तरह का गैरकानूनी काम न करें. उन्होंने मुझ पर गालियों की बौछार कर दी और अचानक लाठियों और लोहे के छड़ों से मुझ पर हमला कर दिया. मेरे सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं. उस पुलिस अधिकारी ने लिखा कि उस हमले में उसने अपने कुछ दांत (पृष्ठ 375) भी खो दिए थे. वटाली के अनुसार, इस मामले में जांच का आदेश दिया गया, लेकिन सेना ने उसे दबा दिया था.

ऐसे कई मामले हैं, जिनमें सेना ने पुलिस स्टेशनों पर हमले किए, लेकिन शायद ही किसी मामले में पारदर्शी जांच हुई हो. वर्ष 2001 में पुलिस इंस्पेक्टर जेजे मट्टू, जो रेआसी जिले के माहोर में एसएचओ थे, को 38 राष्ट्रीय राइफलों की एक टुकड़ी ने पीटा था. 13 अगस्त 2001 को कानून के एसएचओ के रूप में तैनात इंस्पेक्टर एम यूसुफ को मेजर अनूप दास के नेतृत्व वाली 9 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने पीटा था. शायद ही कोई जांच किसी निष्कर्ष पर पहुंची हो जो कम से कम पुलिस में आत्मविश्वास पैदा करती कि कानून का पालन किया जाएगा.

पुलिस वालों की पिटाई को जिस तरह से लिया गया है और जिस तरह से इसे मामूली झगड़ा बताकर खारिज किया गया है, वह किसी तरह से कानून व्यवस्था को बहाल नहीं करता और सेना की भी किसी तरह से मदद नहीं करता है. यही कारण है कि यह सवाल बार-बार पूछा जाता है कि अगर पुलिस के साथ ऐसा होता है तो आम लोगों का क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं? समस्या यह है कि सेना कश्मीर में अपनी ताकत को लेकर इतना संवेदनशील हो गई है कि वाजिब प्रश्न भी नहीं उठाए जा सकते हैं. वरना एक कोर कमांडर के कद का एक अधिकारी एक आम टिप्पणी कैसे जारी कर सकता है कि जो सेना की कार्रवाई (जो भी तब जब वे सिविल पोशाक पहने हुए थे) पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वे राष्ट्र विरोधी हैं. पुलिस को भी यह जवाब देना होगा कि वो इतनी कमज़ोर कैसे हो गई है. यदि वे स्वयं की रक्षा करने में अक्षम हैं तो वे जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? पुलिस को तुरंत जिले के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए और माफी मांगने की बजाय जांच का आदेश देना चाहिए. इस घटना के कारण सेना और पुलिस समन्वय को गंभीर झटका लगा है. एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ही इसकी भरपाई कर सकता है. सेना को इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए और न्याय हित में उन दोषी सैनिकों का बचाव नहीं करना चाहिए, जिनका व्यवहार गुंडों से कम नहीं था.

–लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

देश को बेवक़ूफ़ बनाने की जगह ताक़तवर बनाएं

क्या सच्चाई सामने लाने से भारतीय सेना का मनोबल गिर सकता है? बहुत सारे लोग जिन्हें देश की परवाह नहीं है, जो देश की मजबूत या कमजोर ताकत से परिचित नहीं हैं और सिर्फ गाल बजाना और फेसबुक पर पोस्ट लिखना जानते हैं, वो सारे लोग सच्चाई के सामने आने से तिलमिला उठते हैं या दूसरे शब्दों में कहें तो बिलबिला उठते हैं. चीन दावा कर रहा है कि भारतीय सेना डोकलाम में झुक गई और पीछे हट गई, इधर हम दावा कर रहे हैं कि चीन झुक गया और डोकलाम में पीछे हट गया. इसकी सच्चाई अंतरराष्ट्रीय मीडिया के हवाले से जानी जा सकती है. मैं ये कतई नहीं कहता कि हम इस प्रोपेगेंडा को न करें कि हम जीत गए. मैं ये भी नहीं कहता कि हम इस प्रोपेगेंडा को न करें कि हम एक साथ चीन और पाकिस्तान का सामना कर सकते हैं और दोनों को नेस्तनाबुत कर सकते हैं. मैं ये भी नहीं कहता कि हम इस बात का प्रोपेगेंडा न करें कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं. मैं ये भी नहीं कहता कि हम ये दावा न करें कि हमारे बीच ऐसे सुपरमैन मौजूद हैं, जो कहीं भी जाकर दूसरे को गोली से नहीं बातों से भी मात देने की शक्ति रखते हैं. ये सुपरमैन, सीमा विशेषज्ञ, सेना विशेषज्ञ, आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ, आतंकवाद विशेषज्ञ, विदेश विभाग के विशेषज्ञ और वित्त विशेषज्ञ के रूप में हमारे देश को चला रहे हैं. मैं ये भी नहीं कहता कि हमें इनकी सच्चाई अपने लोगों के सामने उजागर करनी चाहिए. लेकिन ऐसे महान व्यक्तित्व को एक नोबेल पुरस्कार तो क्या लाख नोबेल पुरस्कार देना चाहिए. क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व हिन्दुस्तान में पहली बार अवतरित हुआ है. पैदा तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन उसके अवतार का ये महान पक्ष अब सामने आया.

इतने दिनों के बाद भी सीएजी की उस रिपोर्ट के ऊपर न संसद में बात हुई, न टेलीविजन चैनलों के शाम छः बजे से आठ बजे के शो में बात हुई और न अखबारों में कुछ लिखा गया, जिसमें ये बात सामने आई थी कि भारतीय सेना के पास सिर्फ दस दिन तक लड़ने के लिए गोला–बारूद है. ये स्थिति मनमोहन सिंह के समय थी, जब वे प्रधानमंत्री थे. उस समय के सेना प्रमुख ने मनमोहन सिंह को इस बारे में बहुत ही सावधानी बरतने का पत्र लिखा था. उस पत्र को स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय ने मीडिया में लीक कर दिया था. उसके बाद कई रक्षा बजट आए, प्रधानमंत्री बदले, लेकिन भारत की सेना को गोला–बारूद दिलवाने में किसी भी रक्षा मंत्री या किसी भी सेनाध्यक्ष की रूचि नहीं रही, प्रधानमंत्री की तो बिल्कुल नहीं रही. हथियार खरीदने में तो रूचि रही, क्योंकि हथियार खरीदने में काफी सम्मोहन पक्ष दिखता भी है और सम्मोहन मिल भी जाता है. लेकिन वो गोला–बारूद जिसका सिपाही इस्तेमाल करता है, जिससे दुश्मन के ऊपर हमला करता है और देश की शान बनाए रखता है, उसका न तो देश में निर्माण हुआ और न विदेश से खरीदा गया. हमारे बहुत सारे हथियार हमारी अपनी तकनीक के ऊपर आधारित नहीं हैं, विदेशों से आयातित किए गए हैं और उन देशों ने तकनीक का स्थानातंरण या टेक ट्रांसफर नहीं किया है. इसलिए हमें गोला–बारूद के लिए उन्हीं देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है. मुझे अच्छी तरह याद है कि एक सेनाध्यक्ष ने भारत सरकार से कहा था कि हमें अविलम्ब भारतीय तकनीक के ऊपर आधारित हथियारों का विकास करना चाहिए या विदेशों से हथियार खरीदते समय ये शर्त रखनी चाहिए कि साथ में टेक ट्रांसफर भी होगा. लेकिन भारत सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया. वो सेनाध्यक्ष रिटायर भी हो गए और अपनी बात भी ज्यादा नहीं कह पाए, क्योंकि सेना का प्रमुख देशप्रेमी तो होता है, लेकिन प्रेस प्रेमी नहीं होता है. हालांकि पिछले तीन सेनाध्यक्ष इसके अपवाद रहे हैं और उन्होंने मीडिया में अपनी जितनी छवि बनाई है वो कमाल की है. सबकुछ हुआ, लेकिन भारतीय सेना को गोला–बारूद नहीं मिला. हमारे सूत्र बताते हैं कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि सरकार की तरफ से इसे लेकर अभी कोई प्रयत्न हुआ हो. फिर भी हम चीन को हरा देते हैं, पाकिस्तान को हरा देते हैं, अपने यहां टेलीविजन चैनलों के एंकरों के जरिए बड़े–बड़े दावे करवा देते हैं और हम खुश हो जाते हैं. लेकिन हमारी अपनी स्थिति सचमुच क्या है, इसे सरकार तो बताती ही नहीं, मीडिया भी नहीं बताता.

ऐसा लगता है कि मीडिया, खासकर टेलीविजन झूठ को छुपाने में सरकार के लिए एक अभेद कवच का काम कर रहा है. वो सारे लोग, जिन्हें इस स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कहां–कहां मात मिल रही है, इन सबको नजरअंदाज कर फेसबुक के जरिए ऐसा माहौल बनाने में लगे हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं और रोज पाकिस्तान को और चीन को पीट रहे हैं. पाकिस्तान और चीन को पीटते देख आम भारतीय के मन में एक सुखद अनुभूति पैदा होती है. सरकार को भी ऐसी अनुभूति पैदा करने में कोई हिचक नहीं महसूस हो रही है. फेसबुक पर जिन्हें हम भक्तगण कहते हैं, वो तो पागलों की तरह देश को बेवकूफ बनाने के अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन कर रहे हैं. शायद यही उनके लिए राष्ट्रधर्म है और यही उनका राष्ट्रप्रेम है. ये तथाकथित देशद्रोही राष्ट्रप्रेमी अपने देशद्रोह को, अपनी कमजोरी को, अपनी नपुंसकता को छिपाने के लिए बढ़–चढ़ कर फेसबुक पर दावे करते हैं और जो कोई भी सच्चाई जाहिर करता है, उसका विरोध करते हैं. मानो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन्हें सीधे सारी सच्चाई बताई हो. अगर सीएजी रिपोर्ट जैसी कोई सच्चाई सामने आती है, तब ये कह देते हैं कि ये कांग्रेस ने करवाया है. इस समय भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पूरा देश भी है और पूरा विपक्ष भी है. इसके बावजूद वेतन भोगी फेसबुकिये अपराधियों के जरिए ये माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है और कुछ पत्रकार जो सच्चाई सामने ला रहे हैं, वो देश का मनोबल तोड़ रहे हैं. सरकार कांग्रेस के उन लोगों को नहीं पकड़ पा रही है, जो देश का मनोबल तोड़ रहे हैं. हालांकि इनकम टैक्स और ईडी के छापे हर जगह पड़ रहे हैं. दूसरी तरफ, मौजूदा सीएजी वही हैं, जो पहले भारत के रक्षा सचिव थे. रक्षा सचिव से उनकी नियुक्ति सीधे सीएजी के रूप में हुई. आरोप लगाने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि आरोप लगाने वाले बेहैसियत के, बेदिमाग के, बेसमझ लोग हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही कहा जा सकता है. ये ऐसे देशद्रोही हैं, जो देश को कमजोर बनाने में अपनी शान समझते हैं, अपना सर्वज्ञान समझते हैं.

मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूं कि आप संसद को या जनता को सच्चाई न बताएं. लेकिन अगर कहीं सच्चाई सामने आती है, तो कम से कम मंत्री के नाते आपके द्वारा उसकी व्याख्या देश के लोगों के सामने आनी चाहिए. सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सरकार खामोश हो जाती है. आप उसे छपने से तो रोक सकते हैं, टेलीविजन पर बहस से तो रोक सकते हैं, लेकिन इससे देश की कमजोरी तो समाप्त नहीं होती है. देश की कमजोरी तब समाप्त होगी, जब सामने आई हुई सच्चाई का सामना करें और उसे दूर करने की अविलंब कोशिश करें. हमें जानकारी देने वाले सूत्र कह रहें हैं कि भारत सरकार इस कमी को, यानि गोला–बारूद की कमी और टेक ट्रांसफर को अपनी प्राथमिकता सूची में प्रथम स्थान पर नहीं देख रही है.

मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूं कि आप संसद को या जनता को सच्चाई न बताएं. लेकिन अगर कहीं सच्चाई सामने आती है, तो कम से कम मंत्री के नाते आपके द्वारा उसकी व्याख्या देश के लोगों के सामने आनी चाहिए. सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सरकार खामोश हो जाती है. आप उसे छपने से तो रोक सकते हैं, टेलीविजन पर बहस से तो रोक सकते हैं, लेकिन इससे देश की कमजोरी तो समाप्त नहीं होती है. देश की कमजोरी तब समाप्त होगी, जब सामने आई हुई सच्चाई का सामना करें और उसे दूर करने की अविलम्ब कोशिश करें. हमें जानकारी देने वाले सूत्र कह रहें हैं कि भारत सरकार इस कमी को, यानि गोला–बारूद की कमी और टेक ट्रांसफर को अपनी प्राथमिकता सूची में प्रथम स्थान पर नहीं देख रही है. सरकार उन हथियारों के इस्तेमाल या उन हथियारों की प्रासंगिकता को प्राथमिकता के तौर पर नहीं देख रही है, जिसे सेना का सिपाही इस्तेमाल करता है. आशा करनी चाहिए कि मौजूदा सरकार देश के सामने आए इस कमजोर सत्य को स्वीकार करेगी, इस समस्या को दूर करने की तत्काल कोशिश करेगी और देश के लोगों को कम, लेकिन देश को ताकतवर बनाने के काम में तत्काल कार्यक्रम शुरू करेगी. चीन और पाकिस्तान की सीमा पर के तनाव को देखते हुए भी ये आवश्यक है, क्योंकि अगर कहीं कुछ ऐसा होता है कि हमारे ऊपर बाहरी हमला हो, तो हम बिना दाएं–बाएं देखते हुए सीमा के ऊपर खड़े रहें. हमारे जवानों की शहादत न हो इसके लिए आवश्यक है कि जवानों के पास हमला करने लायक या दुश्मन का सामना करने लायक पर्याप्त मात्रा में गोला–बारूद हो और उस स्थिति में देश की शान बचाए रखने के लिए बंदूकों से निकलने वाली गोलियां कभी कम न पड़े.■

editor@chauthiduniya.com

भारत, इज़राइल और उपेक्षा की राजनीति

सुकुमार मुरलीधरन

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याह की नैतिकता और समझ को जब कोई चुनौती देता है, तो उसे वे सार्वजनिक तौर पर खारिज करते हैं. हाल में इसका शिकार आयरलैंड के विदेश मंत्री बने. उनकी गलती यह थी कि उन्होंने गाजा में दमित लोगों का पक्ष लिया. इसके पहले एक बार नेतन्याह जर्मनी के विदेश मंत्री से अपने ही देश में नहीं मिले, क्योंकि जर्मन विदेश मंत्री फिलीस्तीन में इजराइली सेना की ज्यादतियों के बारे में बात करना चाह रहे थे.

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई की शुरुआत में इजराइल की यात्रा की, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी. दोनों प्रधानमंत्री पूरे समय गर्मजोशी के साथ एक साथ दिखे. फिलीस्तीन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. साझा घोषणापत्र में चलते–चलते सिर्फ एक बार फिलीस्तीन का जिक्र हुआ.

भारत के पास तर्कों की कमी नहीं थी. मई में ही फिलीस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भारत आए थे. इस दौरे में भी विवाद सुलझाने को लेकर दोनों पक्षों ने सहमति जताई थी. लेकिन जैसे ही अब्बास अपने देश वापस पहुंचे, वहां उनका स्वागत इजराइल की अब तक की उस सबसे बड़ी कोशिश से हुआ, जिसमें वेस्ट बैंक में यहूदियों के अवैध कब्जे को बढ़ाने का प्रयास किया गया. उन्होंने इजराइल सरकार को यह सूचना दी कि फिलीस्तीन अब गाजा का बिजली बिल नहीं भरेगा. इसके बाद इजराइल ने बिजली आपूर्ति काट दी, जिससे यहां की स्थिति काफी बिगड़ गई.

भारत द्वारा फिलीस्तीन की उपेक्षा का संकेत इजराइल के साथ जारी साझा घोषणापत्र के पहले पैराग्राफ में ही मिल जाता है. इसमें आपसी संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर पर ले जाने का निर्णय किया गया. कुछ लोगों का कहना है कि उस दिन सुबह भारत ने जो मसौदा बनाया, उसमें इसका जिक्र था, लेकिन इजराइल के मसौदे में नहीं था. बाद में पता चला कि 'रणनीतिक साझेदारी' का प्रस्ताव भारत की तरफ से आया था.

भारत इजराइल से काफी सैन्य हथियार खरीदता है, लेकिन रणनीतिक साझेदारी के बाद दोनों पक्षों को भू–राजनीतिक लक्ष्यों को लेकर भी साथ करना पड़ेगा. इस मामले में दोनों पक्षों की समानता स्पष्ट नहीं है. इजराइल अधिक रणनीतिक फायदे की रणनीति पर काम कर रहा है. इजराइल अपने रणनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर भारत ऐसा करता है तो उसकी अपनी मुश्किलें हैं.

इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी करके भारत में इजराइली सेना की फिलीस्तीन में कब्जे की रणनीति के आयात की कोशिश की जा सकती है. इजराइल फिलीस्तीन को लेकर अपने मंसूबे स्पष्ट तौर पर जाहिर करता आया है.

इसी तरह की बातें भारत के हिंदुत्वादी विचारधारा में भी देखी जा सकती हैं. अधिक स्पष्टता से कहें तो कश्मीर को लेकर भारत में इसी तरह की सोच बढ़ती जा रही है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के नाम पर 'डोभाल डॉक्ट्रीन' की बात चल ही रही है. इसके मुताबिक भारत को कश्मीर मामले में आक्रामक और कठोर रुख अपनाना चाहिए.

इस पद पर आने से पहले और खुफिया एजेंसियों से सेवानिवृत्त होने के बाद डोभाल ने 2010 में हैदराबाद में एक सेमिनार में कहा था कि कश्मीरी सभ्यता कश्मीरी पंडितों की है. उन्होंने कहा था कि कश्मीर समस्या का समाधान पाकिस्तान को खत्म करके ही हो सकता है और यह काम भारत को अपनी सुविधा के मुताबिक कभी भी कर देना चाहिए. उन्होंने कहा था कि बातचीत करना बेकार है, लेकिन अगर यह अपरिहार्य हो तो कश्मीरी पंडितों को सबसे आगे रखकर ही कोई बातचीत होनी चाहिए.

हालांकि मोदी के दौरे में दोनों पक्षों ने कहा कि लोकतंत्र उन्हें आपस में जोड़ता है, लेकिन दोनों पक्षों में एक ऐसे सैन्य प्रशासन पर सहमति दिखी, जहां उपेक्षा की राजनीति सामान्य है और जहां अधिकारों की कोई कीमत नहीं है.■

(लेखक सोनीपत के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में पढ़ाते हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

बैंकों की बायोमेट्रिक मशीनों में 'जुगाड़-टेक्नोलॉजी' से निकाले जा रहे हैं पैसे

मोदी जी डिजि-धन से लुट रहा निजी-धन

संजीव गुप्ता

देश को डिजिटल इंडिया बनाने का जतन किया जा रहा है. बैंक अधिकारी गांव गली चौबारों में डिजिधन मेले का आयोजन कर आम जनता को हाई-टेक करने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन स्थानीय बैंक अधिकारियों के दलाल डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया में सेंध लगा कर पैसे बना रहे हैं और जनता व सरकार को चूना लगे रहे हैं. भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए बायोमेट्रिक सिस्टम में भी बैंक से जुड़े दलालों ने खेल करना शुरू कर दिया है. सीतापुर के लोग भी इससे आक्रांत हैं.

तकनीकी भाषा में बात करें, तो बायोमेट्रिक सिस्टम वह तकनीकी व्यवस्था है, जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान को पुख्ता रखने के लिए उसके शरीर की जैविक संरचना दर्ज की जाती है. यह संरचना प्रत्येक व्यक्ति की अलग होती है. उदाहरण के लिए, फिंगर प्रिंट और आंखों की रेटिना. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह किसी भी दूसरे व्यक्ति से हूबहू नहीं मिल सकतीं. इसलिए किसी भी धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारत सरकार बैंकों में अपना यह अभेद्य औजार 'बायोमेट्रिक मशीन' लगा रही है. बायोमेट्रिक सिस्टम की शुरुआत बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्रों पर हो चुकी है. अब यहां खुलने वाले सारे खातों में व्यक्ति की फिंगर-प्रिंट ली जाती है. उसी के आधार पर खाते का संचालन होता है. लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत सरकार का यह अभेद्य हथियार भी शातिरों के सामने बौना पड़ रहा है. बैंकों में लगाई जा रही बायोमेट्रिक मशीन में भी खेल चल रहा है. सीतापुर जनपद का महोली इलाका इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है. यहां अधिकांश बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्रों पर लगाई गई अधिकतर बायोमेट्रिक मशीनों में बड़े स्तर पर खुराफात किया गया है. इसका खुलासा तब हुआ जब महोली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम परसेहरा निवासी मनरेगा मजदूर कुनेंद्र यादव ने बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने के बावजूद

बायोमेट्रिक सिस्टम वह तकनीकी व्यवस्था है, जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान को पुख्ता रखने के लिए उसके शरीर की जैविक संरचना दर्ज की जाती है. यह संरचना प्रत्येक व्यक्ति की अलग होती है. उदाहरण के लिए, फिंगर प्रिंट और आंखों की रेटिना. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह किसी भी दूसरे व्यक्ति से हूबहू नहीं मिल सकतीं. इसलिए किसी भी धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारत सरकार बैंकों में अपना यह अभेद्य औजार 'बायोमेट्रिक मशीन' लगा रही है.

अपने खाते से दूसरे व्यक्ति के द्वारा रुपए निकालने का आरोप लगाया.

महोली कोतवाली क्षेत्र के पर शहर गांव के कुनेंद्र यादव पुत्र राधेश्याम यादव मनरेगा मजदूर हैं. बीते वर्ष उन्होंने इलाहाबाद बैंक की बड़ागांव शाखा में अपना खाता खुलवाया था. यह खाता इलाहाबाद बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के प्रभारी प्रदीप यादव द्वारा बड़ागांव में ही खोला गया था. कुनेंद्र यादव का खाता नंबर 590797533138 है. खाता खोलने की प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए कुनेंद्र की उंगलियों के फिंगर प्रिंट भी स्कैन किए गए थे. खाता खोलने के बाद से उन्होंने अब तक अपने अकाउंट से रुपए नहीं निकाले थे. 23 जून को उन्होंने बड़ागांव शाखा पहुंचकर अपने अकाउंट से पैसे निकालने का प्रयास किया, तो पता चला कि उनके अकाउंट से दो हजार रुपए पहले ही निकाले जा चुके हैं. जबकि उन्हें यही बताया गया था कि बायोमेट्रिक सिस्टम से कोई दूसरा व्यक्ति रुपए निकाल ही नहीं सकता. कुनेंद्र ने शाखा प्रबंधक राजकुमार सिंह से शिकायत की, तो प्रबंधक ने उन्हें फटकार कर बैंक से बाहर निकाल दिया. कुनेंद्र के परिजनों को मामले की जानकारी मिली, तो उन्होंने बैंक जाकर हंगामा किया. पता चला कि इस तरह रुपए निकालने में ग्राहक सेवा केंद्र का प्रभारी भी शामिल था. उसने बड़े ही शातिराना तरीके से सिस्टम में ऐसा जुगाड़ किया कि पासबुक पर पैसा निकालने की शिनाख्त भी न रहे और पैसा भी निकल आए. पासबुक पर रुपए निकाले जाने की तारीख अंकित नहीं हुई. जुगाड़ से वह लाइन ही रिक्त छूट गई और पैसा भी निकल गया.

पड़ताल करने पर पता चला कि मजदूर कुनेंद्र का पासबुक पंचायत मित्र दीपक कुमार के पास ही रहता था. जब कुनेंद्र ने ग्राहक सेवा केंद्र पर अपना खाता खुलवाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम में अपनी फिंगरप्रिंट स्कैन कराई थी, तब उसकी सात उंगलियों के ही फिंगर प्रिंट लिए गए थे. ग्राहक सेवा केंद्र के प्रभारी प्रदीप कुमार ने अपनी ही तीन उंगलियों के प्रिंट स्कैन-मशीन में फिट कर दिए थे. तकनीकी जानकार बताते हैं कि ऐसी स्थिति में 10 उंगलियों में से किसी एक उंगली का स्कैन मैच करने से पैसा निकाला जा सकता था. कुनेन्द्र के मामले में भी यही हुआ. पंचायत मित्र के कहने पर प्रदीप कुमार ने बायोमेट्रिक सिस्टम में अपनी फिंगर प्रिंट स्कैन करने के बाद उसके खाते से 2000 रुपए निकाले. प्रदीप कुमार ने पांच सौ रुपए रख लिए और पंचायत मित्र दीपक कुमार ने 15 सौ रुपए अपनी जेब में रख लिए. यह भी पता चला कि उसी दिन पंचायत मित्र ने कई मनरेगा मजदूरों के खातों से प्रदीप कुमार की मदद से पैसे निकाले थे. मामला तूल पकड़ता देख ग्राहक सेवा केंद्र प्रभारी ने कुनेंद्र यादव के खाते में आनन-फानन दो हजार रुपए तो जमा कर दिए, लेकिन इस अपराध के लिए ग्राहक सेवा केंद्र के प्रभारी और पंचायत मित्र के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई. स्थानीय बैंक प्रबंधन भी इस मसले पर आपराधिक-चुप्पी साधे बैठा है. मजदूर के खाते में ग्राहक सेवा केंद्र प्रभारी द्वारा रुपए निकालने के अपराध ने बायोमेट्रिक सिस्टम का लोचा जगजाहिर कर दिया है. अभी तो अन्य शिकायतों के आने का इंतजार है. बैंक के बड़ागांव शाखा प्रबंधक राजकुमार सिंह ग्राहक सेवा केंद्र के प्रभारी प्रदीप कुमार को बचाने के लिए जी-तोड़ कोशिशें कर रहे हैं. दबाव देकर मनरेगा मजदूर मुनेंद्र यादव से भी क्लीनचिट के पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया गया. इसके लिए बैंक मैनेजर के लोग, पंचायत मित्र दीपक कुमार और ग्राहक सेवा केंद्र के प्रभारी प्रदीप कुमार मनरेगा मजदूर मुनेंद्र यादव की चौखट पर लगातार जमे देखे गए. प्रदीप कुमार पहले की ही तरह बेखौफ अपना धंधा जारी रखे है.

बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए ग्राहक सेवा केंद्रों के जरिए प्रति माह लगभग 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता है. इसी आधार पर ग्राहक सेवा केंद्र प्रभारी को कमीशन मिलता है. ग्राहक सेवा केंद्र पर कम्प्यूटर ऑपरेट करने वाले सूत्र ने बताया कि जनपद के अधिकांश ग्राहक सेवा केंद्रों पर लगाए गए बायोमेट्रिक सिस्टम में यह खेल हुआ है. केंद्र प्रभारियों द्वारा बायोमेट्रिक सिस्टम में अपने हाथों की उंगलियों की ही स्कैनिंग नहीं की गई है, बल्कि पैरों की उंगलियों का भी इस्तेमाल किया गया है. अशिक्षित और निरक्षर लोगों को ही इन केंद्रों पर निशाना बनाया जाता है. जिला पुलिस की क्राइम ब्रांच के प्रभारी हरमीत सिंह ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है. बायोमेट्रिक सिस्टम की जांच परख के लिए जल्दी ही विभिन्न केंद्रों पर छापेमारी की जाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष देव गिरि

उपेक्षा का शिकार हो रहा मीरजापुर का शहीद उद्यान और स्मारक

सिसकता उद्यान, दरकता स्मारक

आजाद भारत में चंदे के पैसे से हो रहा है शहीदों के स्मारकों का रखरखाव. यह बात अटपटी जरूर है, लेकिन है सोलह आने सच. उत्तर प्रदेश के मीरजापुर नगर में भारत का बेजोड़ शहीद स्मारक होने के बाद भी कोई जन-प्रतिनिधि इस स्मारक में नहीं आना चाहता. शायद, शहीदों की आंख से आंख मिलाने की हिम्मत जन-प्रतिनिधियों में नहीं है. भूले-भटके भी कोई विधायक या सांसद शहीद उद्यान नहीं आता. झूठे वादों के बूते वोट बटोरने वाले नेताओं को शहीद उद्यान में कोई रुचि नहीं है. शहीद स्मारक में स्थापित दो दर्जन से अधिक भारत के वीर सपूतों की प्रतिमाएं उपेक्षित खड़ी हैं. स्मारक का थोड़ा-बहुत रखरखाव जनता के चंदे से हो रहा है. तमाम निधियों से विकास के नाम पर सरकारी धन लूटने वाले नेता शहीद उद्यान के संरक्षण से कतराते हैं.

मीरजापुर नगर के नारघाट मोहल्ले में सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी बटुकनाथ अग्रवाल ने क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा स्थापना का कार्य 1963 में शुरू किया था और शहीद उद्यान की स्थापना की थी. इसमें सर्वप्रथम अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित हुई थी, जिसका अनावरण क्रांतिकारी योगेश चन्द्र चटर्जी ने किया था. उसके बाद 1968 में अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण डॉ. पांडुरंग खोजे द्वारा किया गया. खुदीराम बोस, पंडित भगवती चरण बोहरा, मैडम भीखा जी रूस्तम, केआर कामा, अशफाक उल्ला खां वारसी, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, योगीराज अरविंद, सुभाष चन्द्र बोस, पांडुरंग तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह, राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी, वीर सावरकर, ऊधम सिंह, मास्टर सूर्य सेन, यतीन्द्र नाथ दास, बाघा जतिन, रासबिहारी बोस समेत कई क्रांतिकारी देशभक्तों की यहां प्रतिमाएं स्थापित की गईं. शहीद स्मारक का निर्माण 1962 के भारत-चीन युद्ध में शहीद हुए वीरों की पावन स्मृति में कराया गया था. शहीद उद्यान की दीवारों पर भी शहीदों की संगमरमर की प्रतिमाएं स्थापित की गईं. उद्यान के मध्य में ज्ञात-अज्ञात शहीदों का स्तम्भ भी है. मीरजापुर में यह

शहीदों के मंदिर की तरह है. 30 मीटर ऊंचे मीनार पर राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की भी साढ़े तीन फिट की प्रतिमा स्थापित की गई है. इससे आदि गंगा नदी का भी मनोरम दर्शन होता है, जो शहीद उद्यान के समीप से ही बहती हुई संगम नगरी इलाहाबाद से होकर, मां विंध्यवासिनी के धाम से विंध्यपर्वत मालाओं को छूती हुई काशी को जाती है. दुर्भाग्य यह है कि राष्ट्रपिता की प्रतिमा पक्षियों के बीट की गंदगी से भरी रहती है, लेकिन नगर पालिका को इस उद्यान की साफ-सफाई की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं. शहीद उद्यान की दुर्दशा देख कर नागरिकों में जबरदस्त गुस्सा है. लोगों ने चंदा जुटा कर शहीद स्मारक के रख-रखाव का काम शुरू किया है. जबकि इस शहीद उद्यान के रख-रखाव की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की है. विडंबना यह है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहीदों की प्रतिमाओं को पुख्ता रखने के लिए जो स्लैब ढालने का काम शुरू किया गया था, उसे भी पैसे की कमी बता कर अधूरा छोड़ दिया गया है. शहीद उद्यान का रख-रखाव लाला लाजपत राय स्मारक एवं शहीद उद्यान ट्रस्ट के चंदे से हो रहा है. इस अद्वितीय शहीद उद्यान में कई फिल्मों की भी शूटिंग हुई है. बावजूद इसके इस अमूल्य धरोहर को उपेक्षित छोड़ दिया गया है. राष्ट्रीय जागरण मंच के सचिव अरुण दुबे शहीद उद्यान की उपेक्षा पर गहरी चिंता जताते हैं और कहते हैं कि यह देश के शहीदों का घोर अपमान है. सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार मनीष सिंह कहते हैं कि शहीद उद्यान को संजो कर रखना हम सभी का परम दायित्व बनता है. इसे धरोहर के रूप में घोषित करना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए. शहीद उद्यान ट्रस्ट के अध्यक्ष पं. शिवलाल अवस्थी ने कहा कि तमाम कठिनाईयों के बाद भी इस धरोहर को सहेजने पर ट्रस्ट और स्थानीय लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अफसोसजनक बात है कि कोई नेता इस ओर झांकने तक नहीं आते हैं. प्रसिद्ध लोकगीत गायिका उषा गुप्ता कहती हैं कि शहीद उद्यान की उपेक्षा सीधे तौर पर शहीदों का अपमान है, जिन्होंने हमारे सुनहरे भविष्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. यह मीरजापुर जनपद के लिए गौरव की बात है कि ऐसा अनुपम स्मारक हमारे नगर में है. ऐसे में हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसे हम संभाल कर रखें. मीरजापुर नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष राजकुमारी खत्री ने कहा कि शहीद उद्यान सहेज कर रखना हम सभी की जिम्मेदारी है. शहीद उद्यान की बेहतरी के लिए नगर पालिका परिषद से जितना संभव हो पाएगा, उतना किया जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

कबीर प्राकट्य महोत्सव में आए लोगों ने एक सुर से कहा

कबीर दास के लहरतारा को मुक्त करो

संत विवेकदास आचार्य

वाराणसी में कबीर प्राकट्य महोत्सव तो वर्षों से हर वर्ष मनाया जाता है. लेकिन इस वर्ष के प्राकट्य महोत्सव की खासियत की चर्चा रही. तीन दिवसीय समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया. हमेशा से यह समारोह कबीर साहब की कर्मभूमि और साधना स्थली कबीरचौरामठ मूलगादी में मनाया जाता रहा है. लेकिन इस वर्ष यह समारोह लहरतारा में क्यों मनाया गया? लोग यह पूछते हैं. सर्वविदित है कि कबीर साहब का उद्‌भव लहरतारा ताल के तट पर हुआ था. हमने इस बार 619 वीं जयन्ती मनाई. छह सौ वर्षों के इतिहास में कबीर उद्‌भव-स्थल अब तक वीरान और उपेक्षित पड़ा हुआ है. उद्‌भव-स्थल कबीर चौरा मठ मूलगादी के अधिनस्थ परिसर है.

सन् 1760 के आसपास ईस्ट इंडिया कम्पनी कोलकता होते हुए ब्रिटिश-साम्राज्य फैलाने के लिए भारत में प्रवेश कर चुकी थी. बिहार के चौसा की लड़ाई जीतते हुए अंग्रेज काशी नरेश राजा चेतसिंह को बंदी बनाने उनके महल शिवाला पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे. राजा चेतसिंह अपनी सुरक्षा के लिए कबीरचौरामठ मूलगादी में शरण पाने के लिए आ छिपे थे. राजा चेतसिंह की मां पन्ना रानी मठ की शिष्या थीं और मठ उस समय बहुत ही शक्तिशाली था और काशी में मठ का बोलबाला था. चेतसिंह की असली शक्ति कबीरचौरामठ ही है, यह बात सारा बनारस ही नहीं, बल्कि ईस्ट इंडिया कम्पनी का तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स भी जानता था. इसलिए अंग्रेज राजा चेतसिंह को पकड़ने के लिए 1781 में कबीरचौरामठ के सामने माधोदास की बगीची (वर्तमान में कबीरचौरा अस्पताल व राधस्वामीबाग) में डेरा जमाये बैठे थे. कबीरचौरामठ के एक इशारे पर काशी की जनता जाग उठी थी. उन दिनों कबीर पीठ की गादी पर आचार्य शरण साहब विराजमान थे. उन्होंने अपनी जनशक्ति का आं वान किया कि फिरंगियों की सेना को शहर से खदेड़ दें. फिर क्या था, घर-घर से लोग निकले, चाकू, गड़ासा, बेलन, पत्थर जिसके हाथ में जो आया वही लेकर लोग निकले और अंग्रेज जुल्मकारों को खदेड़ भगाया. खुद वारेन हेस्टिंग्स को अपनी जान बचाकर भागने पर विवश होना पड़ा. हार की स्मृति में नगर निगम ने कबीरचौरा कबीर रोड पर एक शिला-पट्ट लगाया है. अंग्रेजों के खिलाफ तथा अपनी स्वाधीनता के लिए यह पहली जनक्रांति थी जो कबीरचौरामठ मूलगादी के इशारे पर ही हुई थी. न जाने किस भूल और बीमार मानसिकता के चलते इतिहासकारों ने सन् 1857 के गदर को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना है. इसलिए मुझे आजादी की लड़ाई में कबीर मठ की भूमिका पर एक पुस्तक तैयार करनी पड़ी. सन् 1781 से लेकर 1947 तक पौने दो सौ साल का समय होता है. इतने समय तक मठ अंग्रेजों की घेरेबंदी में रहा. इसलिए कबीरचौरामठ मूलगादी का धर्म, अध्यात्म और मठ के विकास का कार्य बंद पड़ा रहा. यह मौका देखकर अवसरवादी लोगों ने कबीर साहब की महिमा का लाभ उठाते हुए कबीर साहब के नाम पर अलग-अलग पंथ और उपपंथ बना लिए.

सन् 1999 में जब मुझे मूलगादी की गद्दी सौंपी गई तो मैंने अभिषेक समारोह में घोषणा की थी कि सबसे पहला काम कबीर-उद्‌भव स्थली का विकास और निर्माण का कार्य करूंगा. मैंने इसका प्रारूप और योजना भी तैयार की तो फिर एक बार मठ विवादों के घेरे में फंस गया. अब मठ विवादों से मुक्त हो गया है. इसलिए इस बार कबीर प्राकट्य महोत्सव की शुरूआत उद्‌भव-स्थली लहरतारा से की है ताकि सन्तों और भक्तों का मन और तमाम लोगों की आस्था उद्‌भव स्थली लहरतारा से जुड़ सके.

कबीर साहब के 619 वें प्राकट्य महोत्सव की पूर्व संध्या पर कबीरचौरामठ मूलगादी की ओर से तीन परियोजनाओं की घोषणा की गई. मूलगादी मठ वाराणसी के शिवपुर स्थित पांच एकड़ परिसर में सन्त कबीर मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पीटल की स्थापना की जा रही है. इसके लिए मैं स्वयं तीन माह तक अमेरिका, यूरोप के कई देशों के अस्पतालों का सर्वेक्षण करके लौटा हूं. ताकि इनकी तर्ज पर आधुनिक साधनों और सुविधाओं से सन्त कबीर हॉस्पीटल को भी सुसज्जित किया जा सके. वाराणसी में यह हॉस्पीटल पूर्वांचल का सर्वोत्तम और सुविधायुक्त हॉस्पीटल होगा. कबीर साहब गरीबों, उपेक्षितों और निरीहजनों के पक्षधर थे, इसलिए इन वर्गों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण और ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन की संस्तुति पर इलाज में छूट मिलेगी. ज्येष्ठ पूर्णिमा कबीर-जयंती के दिन और माघ एकादशी कबीर निर्वाण दिवस के दिन पांच ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे. प्रथम चरण में 200 बेड वाले इस हॉस्पीटल में जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कैंसर सर्जरी, वैस्कुलर सर्जरी के साथ अन्य समस्त आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होंगी. 10 मंजिल वाले इस हॉस्पीटल की लागत करीब 300 करोड़ रुपए होगी. इस परियोजना को पूर्ण करने की अवधि 3 वर्ष है. बाद में 100 बेड की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी. इस हॉस्पीटल के निर्माण से पूर्वांचल की जनता को अत्यधिक राहत मिलेगी. मरीजों के लिए लखनऊ और दिल्ली की दूरी कम होगी.

मठ की तरफ से दूसरी बड़ी परियोजना है लहरतारा स्थित उद्‌भव-स्थल पर अनोखे कबीर स्मारक की स्थापना. यह कबीर-स्मारक अवश्य है लेकिन यह स्मारक कबीर साहब की वाणी और उनके दर्शन के अनुसार मनुष्य की देह है. मनुष्य की देह का दो पक्ष है. एक बाहरी जो भौतिक है और दूसरा आध्यात्मिक जो भीतरी साधनात्मक क्रियाओं से युक्त है. कबीर साहब ने मनुष्य जीवन के शरीर को एक चरखा कहा है. यह मनुष्य रूपी चरखा आठ बिम्बों पर खड़ा है. स्मारक में आठ बिम्ब दर्शाया गया है. कबीर साहब ने कहा है अष्ट कमल दल चरखा डोले.

यह कबीर स्मारक निर्माण होने पर दर्शक पर्यटक प्रातः 6 बजे से लेकर रात दस बजे तक कबीर-स्मारक परिसर में रहकर ही आदमी अपने जीवन के दोनों पक्षों से अवगत हो सकेंगे. कबीर साहब ने कहा है भगवान सबके घट में विराजमान है. यह भगवान आत्मा है और आत्मा प्रकाशमान है इस आत्मा का प्रकाश स्मारक में जर्मनी के इलेक्ट्रानिक माध्यम से रात्रि 7 बजे से 10 बजे तक देख सकेंगे. स्मारक के शिखर पर दसवां द्वारा है, यह दसवां द्वारा इटालियन मैटल से निर्मित है. जब स्मारक में प्रकाश की व्यवस्था होगी तो दसवां द्वार से मैटल का ऐसा प्रकाश फैलेगा कि एक किलोमीटर तक इसकी रौशनी फैलेगी. कबीर-स्मारक निर्माण में यह ध्यान रखा गया है कि कबीर साहब निर्गुण के उपासक थे. इसलिए स्मारक में कोई मूर्ति यहां तक कि कबीर साहब की तस्वीर रखने की भी व्यवस्था नहीं की गई है. इटैलियन पत्थर का कमलदल बनाया गया है. जिसकी परिक्रमा होगी. इसी कमलदल को कबीर साहब ने आत्मा का नाम दिया है. ननली रे! तू क्यों कुम्भलानी तेरे नाल सरोवर पानी. स्मारक में पूर्ण रूपेण कबीर साहब की वाणी और उनके दर्शन को पिरोया गया है. इस स्मारक की लागत अनुमानित 12 करोड़ 40 लाख रुपए है.

कबीर स्मारक लहरतारा सरोवर के तट पर निर्मित होना है. क्योंकि उनका उद्‌भव लहरतारा सरोवर के तट पर ही हुआ था. लहरतारा सरोवर सरकारी रिकार्ड में 17 एकड़ 10 डिसमिल में दर्ज है. लेकिन इस सरोवर का वजूद मात्र 5 एकड़ बचा है. वह भी जब डॉ. सम्पूर्णानंद यूपी के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने शेष भाग का अधिग्रहण कर विधानसभाभवन में संरक्षित किया था. बाद में विधानसभा ने इसे पुरातत्व विभाग को सुपुर्द किया. पुरातत्व विभाग कभी कुछ करता नहीं है. सरोवर का वजूद बचाने के लिए हम लोगों ने लम्बे समय तक आंदोलन किया. तब कहीं जाकर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने पुरातत्व विभाग से विकसित करने के लिए लहरतारा ताल को गोद लिया है. वी.डी.ए. ने भी जब ताल के पक्ष में कुछ नहीं किया तब कबीरचौरामठ मूलगादी ने अपने स्तर से पहल कर कोका-कोला के सहयोग से 40 लाख रुपए खर्च कर सरोवर की खोदाई और लोहे के जाल से घेराबंदी की. फिर भी सरोवर सुरक्षित और संरक्षित नहीं है. बचे सरोवर को पूर्णरूपेण संरक्षित और विकसित कराने के लिए कबीरचौरामठ मूलगादी ने वी.डी.ए. से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है. मठ की सक्रियता से काफी हद तक सरोवर का वजूद बच सका है. अब भी आंदोलन और संघर्ष जारी है. सरोवर के आधे से अधिक बड़े भाग पर छत्तीसगढ़ के तथाकथित धरमदासीय शाखा के एक वर्ग ने सरोवर के मध्य भाग में स्मारक जैसा कुछ निर्माण कर रखा है. जिस सरोवर के तट पर कबीर साहब का उद्‌भव हुआ था उसका नामोनिशान ही मिट रहा है. कबीर साहब प्रकृति पुरुष थे, पानी पेड़ और पहाड़ को उन्होंने मनुष्य जीवन का आधार माना है. कबीर साहब की उद्‌घोषणा है कि जल ही जीवन है. पानी को उन्होंने ईश्वर के बराबर स्थान दिया है.

प्राचीन काल में तालाब का वजूद व्यापक था. लेकिन बन्दोबस्ती 1950 के सरकारी अभिलेखों में तालाब का एरिया 17 एकड़ दर्ज है. इसके स्वरूप को पूर्व स्थिति में कायम किए जाने के लिए डॉ. लेनिन, संयोजक, मानवाधिकार जन निगरानी समिति द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट पेटिशन (संख्या 36648/2003) दाखिल की गई. इस पर उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि वाराणसी के मण्डलायुक्त विधि सम्मत तरीके से मुहे का निस्तारण करें. लहरतारा ताल को अतिक्रमण मुक्त किए जाने, कूड़ा-कचरा से पाटने से रोके जाने तथा इसके सौंदर्यीकरण के सम्बन्ध में प्रशासन के साथ सहमति बनी. ताल और सम्बधित क्षेत्र की गरिमा की रक्षा संविधान के अनुच्छेद 51-ए के तहत भी अनिवार्य है. सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला है कि नदी, तालाब, झील पर पब्लिक ट्रस्ट का सिद्धान्त लागू होगा और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी. लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई और लहरतारा ताल का रकबा दिन पर दिन सीमित होता गया. यह स्थान अवैध कब्जा और गन्दगी फैलाने वाले असमाजिक तत्वों और जानवरों का शरणगाह बनता चला गया. वर्ष 2005 में वाराणसी की तत्कालीन जिलाधिकारी वीणा मीणा ने कबीरचौरा मठ की शिकायत पर लहरतारा ताल क्षेत्र की अवैध बन्दोबस्ती निरस्त कर पुनः राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश पारित किया था. लेकिन जिलाधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण मामला पुनः जहां का तहां रुक गया.

लहरतारा ताल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है. लहरतारा ताल के वजूद से ही कबीर साहब का वजूद जुड़ा है. कबीर साहब ने अपनी संसार-यात्रा का शुभारम्भ इसी लहरतारा तालाब के तट से किया था. इसलिए कबीर प्रेमी के मन में इस ऐतिहासिक स्थल और ऐतिहासिक तालाब के प्रति अत्यन्त आदर और आस्था का भाव रखता है. विश्व में कहीं भी बसे कबीर अनुयायियों के लिए यह सरोवर गंगा से भी बढ़कर है. इस लहरतारा ताल के जल को सिर माथे चढ़ाना वो अपना सौभाग्य मानते हैं. इसी आस्था और विश्वास को देखते हुए हमारी ओर से तैयार डी.पी.आर. पर वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने लहरतारा ताल के सुन्दरीकरण के लिए सात करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है. वाराणसी मंडल के आयुक्त के बयान से अवगत हुआ है कि 5 करोड़ 40 लाख रुपए की पहली किस्त आ गई है. हमारी ओर से कबीर स्मारक और लहरतारा ताल दोनों का डी.पी.आर तैयार किया गया है. कबीर स्मारक और लहरतारा सरोवर के सुन्दरीकरण दोनों को मिलाकर 18 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रस्ताव है.

कबीरचौरामठ के वर्तमान नीरू टीला परिसर में कबीर की हाईटेक झोपड़ी और अन्तरराष्ट्रीय कबीर संग्रहालय भारत सरकार के संस्कृति तथा पर्यटन मंत्रालय से 4 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि स्वीकृति हो चुकी है. मंत्रालय से 5 लाख रुपए ट्रस्ट के खाते में आ चुके हैं. स्वीकृत राशि के रिलीज होते ही झोपड़ी तथा संग्रहालय का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा. संग्रहालय में कबीर की ऐतिहासिक वस्तुओं के अतिरिक्त कबीर परम्परा से जुड़े देशभर के सौ से भी अधिक सन्तों और भक्तों की स्मृतियां शामिल होंगी जैसे संत रैदास, सेनानाई, पीपी, धन्ना, दादू, दरिया, गोरा कुम्हार एकनाथ, हरिव्यास जी, शंकर देव आदि. ऐसा जीवन्त संग्रहालय दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. एक सन्त की प्रेरणा मनुष्य का जीवन बदल देता है. इस संग्रहालय में सौ से भी अधिक सन्तों का प्रेरणास्रोत शामिल हैं.■

(लेखक कबीर चौरा मूलगादी के मुख्य महंत हैं)

नहीं सुनती सरकार तब जागे जनता दरबार

ऐतिहासिक कबीर प्राकट्य स्थल लहरतारा को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. इस पवित्र स्थल को भू-माफियाओं और गंदगी से निजात दिलाने की गुहार को निवर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोई प्राथमिकता नहीं दी. सरकार की उपेक्षा पर जनता जागी और उसने कबीर मठ के साथ मिल कर लहरतारा को गंदगी से मुक्त करने का बीड़ा उठाया. प्राकट्य उत्सव के पहले स्थानीय लोगों ने जमकर श्रमदान किया और लहरतारा की सफाई की. कबीर मठ के साधु-संतों के साथ प्रबोधिनी फाउंडेशन और नारी चेतना शक्ति के सदस्यों समेत सैकड़ों कबीर प्रेमियों ने महाश्रमदान में हिस्सा लिया. काशीवासियों का कहना है कि लहरतारा की मुक्ति के लिए सशक्तआंदोलन चलाएंगे.■

बिहार की राजग सरकार में चम्पारण को मिले दो मंत्री

अब चंपारण में दौड़ेगी विकास की गाड़ी

चम्पारण के राजनीतिक जीवन में यह पहला अवसर है, जब जिले का मजबूत प्रतिनिधित्व केन्द्र और राज्य सरकार दोनों में संभव हुआ है. केन्द्र और राज्य दोनों में राजग की सरकार है. बिहार में पूर्व राजग सरकार द्वारा किए गए कार्यों के कारण जिलेवासियों को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं. सबसे अहम है कि लोगों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि अब जिला अपराधमुक्त हो सकेगा. ज्ञात हो कि विगत एक वर्ष में जिले में अपराध का ग्राफ अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है. इसे लेकर मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने सरकार को पत्र लिखा था और पुलिस अधीक्षक के तबादले की भी मांग की थी.

राकेश कुमार

एनडीए की नई सरकार में पूर्वी चम्पारण को दो मंत्रियों का तोहफा मिला है. दोनों मंत्री भाजपा से हैं. लंबे अर्से बाद जिले के दो विधायकों को मंत्री बनाए जाने से लोगों में हर्ष का माहौल है, लेकिन यह शंका भी है कि चंपारण को दो मंत्री पद किस आधार पर दिया गया है. 2015 के विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी. लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल करने के बाद भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर जीत का परचम लहराकर अपना दबदबा बनाना चाहती थी. एनडीए को टाटा बाय-बाय कर नीतीश कुमार साम्प्रदायिक ताकतों को रोकने के अभियान में राजद और कांग्रेस के साथ थे. माई समीकरण के साथ जातीय राजनीति के बल पर महागठबंधन ने बिहार में बड़ी जीत हासिल की, लेकिन चम्पारण में राजद और जदयू को भाजपा ने भारी शिकस्त दी. पूर्वी चम्पारण के 12 विधानसभा सीटों में से सात पर भाजपा का कब्जा रहा. चुनावी विशेषज्ञों ने इस जीत को सांसद राधामोहन सिंह की मजबूत पकड़ और रणनीति का परिणाम बताया. राजद के पाले में चार सीट और लोजपा को एक सीट आई. 2015 के विस चुनाव ने पूर्वी चम्पारण को भाजपा के गढ़ के रूप में स्थापित कर दिया. स्वाभाविक है कि संख्या के हिसाब से पूर्वी चम्पारण को मंत्रीमंडल में स्थान दिया गया है.

क्षेत्रीय भागीदारी और सोशल इंजीनियरिंग का तालमेल नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित नई सरकार में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय भागीदारी और सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा गया है. पूर्वी चम्पारण में वैश्यों की संख्या निर्णायक रहती है. यही कारण है कि तमाम विरोधों के बावजूद मोतिहारी विधानसभा सीट पर प्रमोद कुमार लगातार चौथी बार विधायक चुने गए. वहीं उच्च वर्ग से राजपूत जाति के ई. राणा रणधीर को मंत्री बनाया गया है. लालू यादव के करीबी माने जाने वाले सीताराम सिंह के पुत्र हैं राणा रणधीर. एक बार राजद के टिकट पर विधायक रह चुके राणा रणधीर ने 2013 के चुनाव के दौरान राजद छोड़ कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी.

चम्पारण के राजनीतिक जीवन में यह पहला अवसर है, जब जिले का मजबूत प्रतिनिधित्व केन्द्र और राज्य सरकार दोनों में संभव हुआ है. केन्द्र और राज्य दोनों में राजग की ही सरकार है. बिहार में पूर्व राजग सरकार द्वारा किए गए कार्यों के कारण जिलेवासियों को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं. सबसे अहम है कि लोगों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि अब जिला अपराध मुक्त हो सकेगा. ज्ञात हो कि विगत एक वर्ष में जिले में अपराध का ग्राफ अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है. इसे लेकर मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने सरकार को लिखा था और पुलिस अधीक्षक के तबादले की भी मांग की थी.

विरोधी दलों के उखड़ सकते हैं पांव

केन्द्र की राजग सरकार और राज्य के महागठबंधन सरकार के बीच टकराव को लेकर विकास की गाड़ी बेपटरी हो गई थी. कई योजनाएं वापस हो गई थी या ठण्डे बस्ते में डाल दी गई थी. सूबे में राजग सरकार के आने से अब टकराव की स्थिति समाप्त हो गई है. लोगों का मानना है कि अब विकास की गाड़ी पुन: पटरी पर दौड़ने लगेगी. जिले के चार पथों का निर्माण कार्य, कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना जैसी कई योजनाओं की केन्द्र से स्वीकृति और राशि की उपलब्धता के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं किए जा रहे थे. महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी कच्छप गति से चल रही है. लेकिन केन्द्र और राज्य में एनडीए शासन और दोनों ही जगह जिले के मजबूत प्रतिनिधित्व का यह ऐतिहासिक संयोग है. यह भी सत्य है कि अगर ऐसे में क्षेत्र का विकास नहीं होता है, तो कभी कांग्रेस और कम्युनिस्ट के गढ़ रह चुके चम्पारण से राजग का पैर उखड़ जाएगा. विगत 20 माह में राजद के विधायकों की कार्य प्रणाली से भी लोग खासे नाराज हैं. अगर भाजपा के मंत्री बेहतर कार्य करते हैं तो आने वाले चुनाव में अन्य दलों का क्षेत्र से सफाया हो जाएगा. पिछली बार राजद के विधायकों की जीत में जदयू का भी हाथ रहा है. बदलते माहौल में अकेले राजद के उम्मीदवारों से किसी बड़े परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती है. जिले में कांग्रेस हाशिए पर है, ऐसे में राजद के नेताओं को भी क्षेत्र से जीत की उम्मीद नहीं है. हालांकि वाम पार्टियों की कुछ क्षेत्रों में पैठ है, लेकिन जातीय गोलबंदी होने पर सभी समीकरण धराशायी हो जाते हैं.

पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में ही बापू से जुड़े सभी स्थलों को गांधी सर्किट से जोड़ना उनकी प्राथमिकता में शामिल है. उन्होंने कहा कि गांधी जी संग्रहालय, चन्द्रहिया आश्रम, बड़हरवा लखनसेन स्थित गांधी जी द्वारा स्थापित बेसिक स्कूल सहित अन्य स्थलों को गांधी सर्किट से जोड़ देने से यह क्षेत्र पूरे विश्व के गांधीवादियों और गांधी दर्शन से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बन जाएगा.

मंत्रियों के समक्ष होगी चुनौती

प्रमोद कुमार को पर्यटन विभाग का मंत्री बनाया गया है, वहीं राणा रणधीर को सहकारिता विभाग मिला है. दोनों ही विभागों में विकास कार्यों की काफी संभावनाएं हैं. खासकर जिले के विकास के लिए क्या किया जाता है, यह दोनों के भविष्य को निर्धारित करेगा. पर्यटन के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं. विश्व का सबसे उंचा बौद्ध स्तूप जिले के केसरिया में स्थित है. पुरातत्व विभाग द्वारा स्तूप के कुछ हिस्सों का उत्खनन कराया गया, इसके बाद से कार्य ठप पड़ा है. इसके बावजूद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. लोगों का मानना है कि अगर इसका समुचित विकास हो, तो यह धरोहर बौद्ध धर्मावलंबियों का प्रमुख पर्यटन स्थल बन जाएगा. पर्यटकों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कम से कम 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना होगा, जबकि अब तक मात्र 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है. वहीं इसे बौद्ध सर्किट से भी जोड़ा जाना आवश्यक है, ताकि यहां पर्यटक सुगमता से आ सकें. महात्मा गांधी के सत्याग्रह को लेकर चंपारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इसे विडम्बना ही कहेंगे कि गांधी जी से जुड़े स्थलों को आज तक बिहार सरकार ने पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल नहीं किया है. चम्पारण में सीताकुंड, अशोक स्तम्भ, अरेराज मंदिर, केशरनाथ मंदिर, कबीर मठ, जॉर्ज आरवेल की जन्मस्थली आदि दर्जनों पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल हैं. इन्हें विकसित कर चम्पारण को पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जा सकता है. वहीं चम्पारण में सहकारिता आन्दोलन की जरूरत है. सहकारिता के आधार पर कृषि क्षेत्र में व्यापक प्रयोग किए जा सकते हैं. सामूहिक खेती, उद्योग-धन्धों की स्थापना, कुटीर उद्योग आदि बहुत से कार्य किए जा सकते हैं. पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में ही बापू से जुड़े सभी स्थलों को गांधी सर्किट से जोड़ना उनकी प्राथमिकता में है. उन्होंने कहा कि गांधी जी संग्रहालय, चन्द्रहिया आश्रम, बड़हरवा लखनसेन स्थित गांधी जी द्वारा स्थापित बेसिक स्कूल सहित अन्य स्थलों को गांधी सर्किट से जोड़ देने से यह क्षेत्र पूरे विश्व के गांधीवादियों और गांधी दर्शन से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बन जाएगा. उन्होंने केसरिया के बौद्ध स्तूप को भी पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने की बात कही. उन्होंने कहा कि गांधी सर्किट और बौद्ध सर्किट से चम्पारण के पुरातात्विक धरोहरों को जोड़ देने से यह क्षेत्र पर्यटन हब हो जाएगा. साथ ही मोतीझील के विकास के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि गुजरात, छत्तीसगढ़ की तरह बिहार को भी पर्यटन के क्षेत्र में विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पर्यटन को विकसित कर सूबे के राजस्व को बढ़ाना मेरा लक्ष्य होगा. इसके अलावा महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी. वहीं सहकारिता मंत्री ई. राणा रणधीर ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र को विकसित कर चम्पारण और राज्य को समृद्ध किया जाएगा.

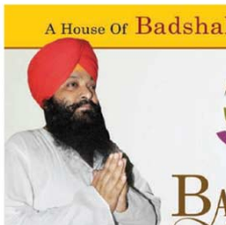

प्रमोद कुमार

राणा रणधीर सिंह

बहरहाल, चम्पारण के लिए यह स्वर्णिम अवसर है. केन्द्र और राज्य सरकार दोनों प्रदेश में विकास की गंगा बहाना चाहते हैं. नीतीश कुमार विकास के लिए सातसूत्रीय योजना भी चला रहे हैं. ऐसे में लोगों का मानना है कि अनुकूल परिस्थिति में क्षेत्र का तेजी से विकास होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

फ़तवा, माफ़ी और अब होगा मंत्री का निकाह

इर्शादुल हक

28 और 29 जुलाई की तारीख बिहार के मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद के जीवन में कभी न भुलाई जानी वाली तारीखें बनकर आईं. 28 जुलाई वही तारीख है, जिस दिन नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ सरकार बनाने के बाद विश्वासमत जीता था. इस जीत की खुशी में खुर्शीद की उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंच गई थीं और 29 फरवरी ! तो पूछिये ही मत, जैसे वे, बिहार के पौने दो करोड़ मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र मंत्री बन गए हों. खुर्शीद अचानक नीतीश मंत्रिमंडल में एकमात्र मुस्लिम चेहरा बन चुके थे. लेकिन जरा ठहरिए, किस्मत का चक्र अपनी गति से चलता है. कुछ ऐसा ही खुर्शीद के साथ हुआ. 28 जुलाई यानी शुक्रवार को जब नीतीश कुमार विश्वासमत हासिल करने से पहले जुमे के दिन की दुहाई देते हुए अपना भाषण संक्षिप्त कर रहे थे, ठीक उसके कुछ ही देर बाद खुर्शीद बिजली बन कर विधानसभा के बाहर कड़क रहे थे. वे मीडिया के सामने चीख-चीख कर कह रहे थे कि जनहित में वे सुबह-शाम जय श्रीराम का नारा बुलंद करेंगे. वे बार-बार कह रहे थे कि अगर जय श्रीराम कहने से राज्य की जनता का भला होगा, तो इस नारे को वे बार-बार दोहराएंगे. उन्होंने ये भी कहा कि वे राम-रहीम दोनों की पूजा करते हैं. पत्रकारों को उनकी इस बात में जबर्दस्त न्यूज सेंस दिख रहा था, सो वे उन्हें कुरेदे जा रहे थे. इससे खुर्शीद की आवाज और तेज होती जा रही थी. पत्रकार भाजपा के विधायकों द्वारा विधानसभा में जय श्रीराम के नारे लगाए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहे थे. खुर्शीद इसी सवाल के जवाब में उलझते जा रहे थे. ऐसे नारे मंदिरों में लगें तो ठीक, लेकिन एक पंथनिरपेक्ष देश की विधान सभा में इन नारों का भला क्या मतलब?

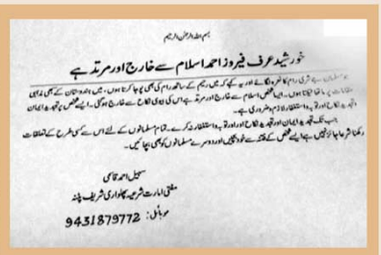

इस बीच राजभवन से यह सूचना प्रसारित हुई कि अगले दिन यानी 29 जुलाई को नीतीश मंत्रिमंडल का शपथग्रहण समारोह होगा. खुर्शीद की उम्मीदें बलवती होती जा रही थीं कि वे जरूर मंत्री बनेंगे. खुर्शीद की धार्मिक टिप्पणी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था. चैनलों के अलावा 28 जुलाई की शाम एक न्यूज वेबसाइट ने इस खबर को प्रकाशित कर दिया था, जिसमें इमारत शरिया के नाजिम अनीसुर्रहमान कासमी ने खुर्शीद के दीन व ईमान पर सवाल तक उठा दिया था. रात होते-होते यह खबर फेसबुक पर वायरल हो चुकी थी. हजारों लोग खुर्शीद के जय श्रीराम के नारे के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देने लगे थे. इधर 29 जुलाई की सुबह से ही राजभवन में शपथग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, जिसमें खुद खुर्शीद को भी शपथ लेना था. दोपहर हुई, शाम ढली और खुर्शीद शपथ लेने की प्रतीक्षा में थे. उधर इमारत शरिया के मुफ्ती (मजहबी मामलों के व्याख्याकर्ता) सुहैल अहमद कासमी ने अपना फतवा उर्दू मीडिया को भेज दिया. कासमी ने अपने फतवा में लिखा कि जो मुसलमान जय श्री राम के नारे लगाए और कहे कि वह राम के साथ रहीम की भी पूजा करता है, हिंदुस्तान के तमाम धार्मिक स्थलों पर माथा टेकता है, उसे इस्लाम से खारिज कर दिया जाए. इतना ही नहीं मुफ्ती ने लिखा कि ऐसे शख्स की, उसकी पत्नी से निकाह भी खारिज की जाती है. ऐसे शख्स पर तौबा और तजदीद ए ईमान (ईमान का नवीनीकरण) लाजिम हो गई और उसके लिए फिर से निकाह करना भी लाजिम हो गया. मुफ्ती सुहैल अहमद का यह फतवा फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. फलस्वरूप खुर्शीद के मंत्री बनने पर उन्हें जितनी बधाइयां मिलीं, उससे कई गुना ज्यादा बद्दुआएं और तीखी आलोचना सुनने को मिली. निश्चित तौर पर इस्लाम से बेदखल होने का फतवा और उनके खिलाफ अपशब्दों की बौछार, खुर्शीद के लिए सिर मुंडाते ही ओले पड़ने के समान थे. इस पूरे प्रकरण ने नीतीश सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें पैदा कर दी थीं. चिंता इसलिए भी गंभीर थी कि राजद से अलग होने के बाद, नीतीश पहले ही मुसलमानों के बड़े वर्ग का गुस्सा मोल ले चुके थे. उस पर तुर्रा यह कि उनके मंत्री द्वारा जय श्रीराम का नारा लगाए जाने से मुसलमान नाराज हो सकते थे. उनके सामने पहले से एक चुनौती थी कि मुस्लिम समाज को कैसे अपने फैसले (राजद से अलग होना) की वजह समझाई जाए. इसी दौरान खुर्शीद का जय श्रीराम का नारा दूसरी गंभीर चिंता बन कर सामने खड़ा हो गया. इसके लिए नीतीश ने अगले दिन जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक तलब कर दी. इसमें जदयू के तमाम मुस्लिम चेहरे पहुंचे थे. इनमें राज्यसभा सांसद कहकशां परवीन, एमएलसी व एदाराशरिया के नाजिम मौलाना गुलाम रसूल बलियावी और खुद खुर्शीद अहमद भी मौजूद थे. इस बैठक में नीतीश मुसलमानों को यह समझाना चाहते थे कि सेक्युलरिज्म का पाठ उन्हें किसी और से सीखने की जरूरत नहीं. वे बैठक के दौरान मुसलमानों के लिए किए गए कामों की फेहरिस्त गिनाने में लगे थे, लेकिन तभी कुछ नाराज लोगों ने खुर्शीद के जय श्रीराम के नारे की बात छेड़ दी. उन्होंने यह भी बताया कि इससे मुसलमानों में भारी नाराजगी है. इस मुद्दे की गंभीरता को नीतीश फौरन भांप गए और लगे हाथों खुर्शीद को खरी खोटी सुना दी. खुर्शीद ने इसी दौरान अपने वक्तव्य पर माफी मांगी, लेकिन मामला इतने से कहां शांत होने वाला था. उन्हें याद दिलाया गया कि उनके नारे के बाद फतवा आया है कि जय श्रीराम का नारा लगाने और तमाम धार्मिक स्थलों पर माथा टेकने वाले को इस्लाम से खारिज समझा जाए. लिहाजा वहीं तय हुआ कि खुर्शीद सीधा इमारत शरिया जाएं और वहां जाकर अपना पक्ष स्पष्ट करें. खुर्शीद को भी एहसास हो चुका था कि जय श्रीराम का नारा लगाने से भले ही अगले चुनाव में एक वर्ग का कुछ वोट हाथ लग जाए, लेकिन मुसलमानों के वोट से उन्हें वंचित होना पड़ेगा. वैसे भी राजद से अलग होने के बाद मुस्लिम वोट जदयू की चिंता का बड़ा कारण है. लिहाजा खुर्शीद ने तनिक भी देर नहीं की. वह अपने चंद सहयोगियों के साथ इमारत शरिया कूच कर गए. खुर्शीद ने मुफ्ती सुहैल कासमी और चंद दीगर पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में बात की. तय हुआ कि वे अपनी गलती से तौबा करें और उन्हें मुफ्ती फिर से कलमा पढ़ाएं. खुर्शीद ने कलमा पढ़ा. तौबा करने और फिर से कलमा पढ़ लेने के बाद उन्होंने लिखित मजमून पर दस्तखत भी किए. ये ऐसे लम्हे थे जिसका सामना करने की कल्पना खुर्शीद ने अपने जीवन में कभी न की होगी. इस पूरे घटनाक्रम का उल्लेख इमारत शरिया ने एक प्रेस वक्तव्य जारी कर किया, जिसमें मुसलमानों से अपील की गई कि वे अब खुर्शीद अहमद से मुसलमानों जैसा बरताव करें. लेकिन इस पूरे मामले में एक संवदेनशील मामला ऐसा था, जिसका जिक्र इमारत शरिया के प्रेस नोट में नहीं किया गया. इन पंक्तियों के लेखक को अलग से इस बात की सूचना मिली कि इमारत शरिया की बैठक में इस पूरे प्रकरण के दूसरे पहलु पर भी चर्चा हुई. वो यह कि तौबा करने के बाद खुर्शीद मुसलमान तो हो गए हैं, अब उनकी बीवी से उनके निकाह टूट जाने के मुद्दे का क्या होगा? लिहाजा यह तय हुआ कि खुर्शीद अपनी बीवी से दोबारा निकाह करेंगे.

सभी फोटो-सैयद नकी इमाम

बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद खुर्शीद प्रकरण को अब तक का सबसे बड़ा और विवादित प्रकरण माना जाएगा. बल्कि यूं कहें कि ऐसे विवाद का शिकार होने वाले खुर्शीद भारत के किसी भी राज्य के पहले मंत्री होंगे. इस पूरे मामले में खास बात यह रही कि इस प्रकरण में भाजपा मौन साधे रही. जय श्रीराम जैसे नारे लगाने वाले मुसलमानों को अपनी आंखों पर बिठा कर उसके पक्ष में चट्टान की तरह खड़ी हो जाने वाली भाजपा बेबस और चुप थी. भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों की खामोशी यह बताती है कि सत्ता से बाहर और सत्ता का हिस्सा होने के दौरान उसकी रणनीति में कैसा फर्क होता है? खुर्शीद प्रकरण ने भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति का एक अलग चेहरा सामने ला दिया है. जो राजनीतिक लाभ के लिए धर्म के एजेंडे को उठाती है तो दूसरी तरफ सत्ता में रहते हुए उसका एजेंडा कुछ और ही हो जाता है. हालांकि भाजपा के आइडियोलॉजी से जुड़े आम लोगों ने इस प्रकरण पर दबी जुबान में ही सही, अपनी बात सोशल मीडिया पर रख दी है. भाजपा के अनेक समर्थकों ने इस पूरे मामले में भाजपा की खामोशी को अवसरवादी चुप्पी करार दिया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सामाजिक समीकरण में हाशिए पर कायस्थ

नीलांशु रंजन

अज़ीम शायर बशीर बद्र का एक ख़ूबसूरत शेर है...

सियासत की अपनी अलग इक जबां है
लिखा हो जो इक़रार, इनकार पढ़ना

जी हां, यही फितरत है सियासत की. सियासत की जो ज़बान होती है, उसके मायने कुछ और मतलब कुछ और ही होते हैं. अभी नीतीश कुमार के नए कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, वह बशीर बद्र के शेर की बरबस याद दिलाता है. सियासत के इस खेल में सवर्णों से आने वाले कायस्थ को जिस तरह हाशिए पर रख दिया गया है, वह सियासत के इक़रार और इनकार का ही दिलचस्प खेल है. इससे क़तई इनकार नहीं किया जा सकता कि कायस्थ भाजपा का एक बड़ा समर्थक है. नीतीश कुमार और सुशील मोदी की अगुवाई वाली नई एनडीए सरकार के मंत्रियों ने जब 29 जुलाई को शपथ लिया तो नीतीश कैबिनेट के उन मंत्रियों में एक भी कायस्थ को जगह नहीं मिली, जबकि हक़ीक़त है कि भाजपा को जीत दिलाने में, खा़सकर शहरी क्षेत्रों में कायस्थों की एक अहम भूमिका रही है.

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार के बारे में कहा गया कि इसमें सामाजिक समीकरण का बेहतर संतुलन बिठाया गया है. यूं तो इस सोशल इंजीनियरिंग में पिछड़ी जातियों, दलितों व मुसलमानों का हर राजनीतिक दल ख्याल रखता है, टिकट बंटवारे से लेकर मंत्रालय के गठन तक. जहां तक सवर्णों का सवाल है, उसमें भी हर जाति का ख्याल रखा जाता है, लेकिन एक कायस्थ ही है जिसे हाशिए पर डाल दिया जाता है. नीतीश कुमार के नए कैबिनेट में तीन भूमिहार, दो ब्राह्मण व दो राजपूत को लिया गया है. भूमिहार में जदयू कोटे से ललन सिंह को, भाजपा कोटे से विजय कुमार सिन्हा और सुरेश शर्मा को, ब्राह्मण में भाजपा के विनोद नारायण झा व मंगल पांडेय को लिया गया है. राजपूत में जदयू कोटे से जय कुमार सिंह और भाजपा कोटे से राणा रंधीर सिंह को लिया गया है. सवर्ण में एक कायस्थ ही है, जिसे मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और यह 2005 से होता चला आ रहा है. एक अपवाद हैं सुधा श्रीवास्तव, जिन्हें 2006 में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था. यह याद दिला दूं कि सुधा श्रीवास्तव जदयू कोटे से थीं. भाजपा की तरफ से कायस्थ को जिस तरह से नज़रअंदाज़ किया जाता रहा है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों के इस महत्वपूर्ण मतदाता को क्यों और कैसे ठुकराया जाता रहा है.

भाजपा विधायकों और भाजपा नेताओं में इसे लेकर असंतोष भी है. कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा कहते हैं, 'मुझसे मात्र दो-तीन नेता वरिष्ठ हैं. अगर मुझे मंत्री नहीं बनाया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कायस्थ खा़नदान में पैदा लेना कलंक है? इस इंटलेक्चुअल क्लास को किस बात की सज़ा दी जा रही है?' वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद ने भी कहा है, ' इस तरह कायस्थों को दरकिनार करने से हमलोग आहत हैं. क्या हमारे पास कम पढ़े-लिखे विधायक हैं? क्या हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मत से जीतने वाले विधायक नहीं हैं? क्या हमारे पास चार-चार टर्म से लगातार जीतने वाले विधायक नहीं हैं? आखिर क्राइटेरिया में हम कहां पीछे हैं?'

भाजपा के विश्वस्त सूत्रों की मानें, तो प्रदेश भाजपा के एक अहम नेता इसलिए कायस्थों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सोच है कि कायस्थों का संख्या बल मात्र 3 फीसदी है. अगर उनके मुताबिक़ बिहार में कायस्थ मात्र तीन फीसदी हैं, तो कुर्मी भी मात्र ढाई फीसदी हैं और कुशवाहा पांच फीसदी हैं. सवाल संख्या बल का नहीं है. बिहार की राजधानी पटना के विधानसभा क्षेत्रों पर नज़र डालिए-चाहे दीघा विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे बांकीपुर या फिर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र. इन सभी क्षेत्रों में कायस्थों की प्रभावशाली संख्या है और भाजपा अगर यहां से जीतती रही है तो सिर्फ़ कायस्थों की वजह से. दीघा विधानसभा से अगर दूसरी जाति के लोग भी जीतते हैं तो कायस्थों के कारण. संजीव चौरसिया दीघा से इसलिए चुने गए कि वे भाजपा से थे और भाजपा को कायस्थों ने वोट दिया, नहीं तो जदयू के राजीव रंजन निकल गए होते. सुशील मोदी ने अपना राजनीतिक करियर कायस्थ बहुल क्षेत्र से शुरू किया था. वे पटना मध्य और आज के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से जीते थे. पटना के अलावा गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर आदि जगहों पर कायस्थों की अहम भूमिका रही है.

लेकिन अफ़सोस, इस जाति को सियासत के तहत हमेशा इनकार किया जाता रहा है. 2005 में जब एनडीए की पहली सरकार बनी थी, तब भाजपा के महत्वपूर्ण नेता नवीन किशोर सिन्हा को सियासी दांवपेंच में मंत्री नहीं बनाया गया और उसी सदमे में उनका इंतकाल हो गया. मैं फिलहाल नवीन सिन्हा को इनकार और दरकनार किए जाने की सियासत में नहीं जाना चाहता हूं. पार्टी के अन्दर काफी मुखालफत के बाद उनके बेटे नितिन नवीन को टिकट दिया गया. उम्मीद थी कि नवीन कुमार सिन्हा को इनकार किए जाने की भरपाई लंबे दिनों बाद उनके बेटे को इस बार मंत्री बनाकर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो फिर कायस्थ भाजपा को वोट क्यों दे और क्यों बदनाम हो भाजपा की वफाई के नाम पर. नितिन नवीन कहते हैं, 'सवाल संख्या बल का नहीं है. सवाल है कायस्थों का भाजपा के लिए एक प्रभावशाली वोटर होना.' नितिन नवीन के अलावा भाजपा के अरुण कुमार सिन्हा और संजय मयूख हैं. अरुण कुमार सिन्हा तो काफी वरिष्ठ हैं, लेकिन केन्द्र में बैठे रविशंकर प्रसाद ने ही क्या किया इस जाति के लिए? क्या रविशंकर प्रसाद ने पहल की? शत्रुघ्न सिन्हा का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, चूंकि वे खुद़ अभी भाजपा में खा़स तवज्जो नहीं पा रहे हैं. भाजपा के कायस्थ विधायक तो आहत हैं ही भाजपा की इस नीति से. साथ ही, जदयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने भी कहा है कि यह बुद्धिजीवी वर्ग ठगा महसूस कर रहा है. जब आप सामाजिक समीकरण में जातियों की गोटी बिठाते हैं, तो कायस्थ ही हाशिए पर क्यों? ■

लेखक टीवी पत्रकार व साहित्यकार हैं.

बरसात का मौसम और बीमारियां
ariskon Pharma Pvt. Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
रिजेन्सी क्लिनिक रौजा रोड सासाराम
रौजा रोड, राज कॉलोनी, गली नं.2

डॉ. अशोक कुमार गुप्ता
एम.बी.बी.एस., डी.सी.एच. रौजा रोड, सासाराम

सासाराम रोजा रोड राज कॉलनी गली नं.2 से डॉ. अशोक गुप्ता से बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में बात हुई। बातचीत के दौरान डॉ. अशोक गुप्ता ने बताया कि बारिश का मौसम अधिकांश लोगों का पसंदीदा होता है, यह गर्मियों से राहत जो दिलाता है। लेकिन बारिश जहां एक ओर हरियाली और ठंडक लेकर आती है वहीं दूसरी तरफ यह मौसम कई बीमारियां भी साथ लाता है जिसकी मुख्य वजह गंदगी है । इन दिनों पानी भी गंदा रहता है और दूषित पानी पिने की वजह से यह हो जाता है। हर तरफ पानी का जमाव, दूषित पेयजल और कीट पतंगों की भरमार के चलते कई तरह की बीमारियों को खुला निमंत्रण मिल जाता है। आम सर्दी, खांसी और वायरल बुखार मानसून में एक सबसे प्रमुख रोग में से एक है आम सर्दी अर्थात कफ कोल्ड। यह नम और उमस भरे मौसम में पनपने वाले वायरस की वजह से होता है। लंबी अवधि के लिए गीले कपड़े पहने रहना एयर कंडीशनर से देर तक नम हवा में रहना ...

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylcobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनती सांस्कृतिक संस्थाएं

अनंत विजय

चंद दिनों पहले कला से जुड़ी केंद्रीय संस्था के मुखिया ने बताया था कि उनके पहले जो लोग उस संस्था को संभाल रहे थे, उन्होंने शासी निकाय के माध्यम से 2022 तक के कार्यक्रम तय कर दिए थे. उनका कहना था कि इस निर्णय को बदलने का अधिकार मौजूदा शासी निकाय को है, लेकिन मौजूदा समिति के सदस्य पूर्ववर्ती फैसलों में बदलाव कर कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहते हैं. नतीजा यह हो रहा है कि मोदी सरकार के तीन साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी उस संस्था की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव लक्षित नहीं किया जा सकता है. या फिर मौजूदा मुखिया के पास अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का ज्यादा अवसर भी नहीं बचा है. यह स्थिति सिर्फ एक संस्था की है या देशभर की अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं में भी यही हाल है, इसको जानने के लिए पर्याप्त शोध करने की जरूरत है. एक चीज जो सतह पर दिखाई देती है वह यह है कि इन सरकारी साहित्यिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में कोई आमूल चूल बदलाव नहीं दिखाई पड़ता है. केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार के तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद संस्कृति के क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी काम हुआ हो, यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता है. हां, साहित्य कला और संस्कृति से जुड़ी इन संस्थाओं ने तीन सालों में खुद को एक बेहतर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर स्थापित कर लिया है. जब भी इनके कर्ताधर्ताओं से सांस्कृतिक मोर्चे पर सक्रियता की बात करिए, तो वो अपने द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को गिनाना शुरू कर देते हैं. कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, लेकिन सिर्फ कार्यक्रमों को आयोजित कर क्या सांस्कृतिक मोर्चे पर बदलाव किया जा सकता है? क्या हम अतीत की गलतियों को इन कार्यक्रमों के जरिए सुधार सकते हैं? क्या हम इन कार्यक्रमों के जरिए भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में योदगान कर सकते हैं?

हम जिस भारतीय ज्ञान परंपरा को बाधित किए जाने को लेकर लगातार आघातित विचारधारा को जिम्मेदार ठहराते हैं, उस ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने का क्या उपक्रम किया गया, इसपर ध्यान देने की जरूरत है. जिन संस्थाओं पर इसकी जिम्मेदारी थी, वो भी इवेंट मैनेजमेंट के काम में लगी हैं. प्रधानमंत्री पर एक पुस्तक को लेकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में दिनभर का कार्यक्रम होता है. पोस्टरों और बैनरों पर प्रधानमंत्री की भव्य तस्वीर लगी होती है. ऐसा करके हम क्या और किसको संदेश देना चाहते हैं. इस बात पर भी गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री पर प्रकाशित उस पुस्तक से किस तरह से संस्कृति या साहित्य पर असर पड़ रहा है. उस पुस्तक की गुणवत्ता से लेकर उसके व्यापक प्रभाव पर अलग से बात हो सकती है, होनी भी चाहिए. इंदिरा गांधी कला केंद्र में पुस्तकों और लेखकों को लेकर पुस्तकालय में एक मासिक कार्यक्रम होता रहा है. ऐसे में प्रधानमंत्री पर प्रकाशित पुस्तक पर अलग से कार्यक्रम का औचित्य समझ में नहीं आता है. यह ठीक है कि इस तरह के कार्यक्रम कभी कभार हो सकते हैं, लेकिन अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी उतनी ही संजीदगी दिखनी चाहिए.

कला, साहित्य और संस्कृति के विकास और उसको मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई इन संस्थाओं में एक और नई प्रवृत्ति दिखाई दे रही है. यह प्रवृत्ति दिखती है वक्ताओं के चयन में. कला और संस्कृति से जिनका दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, उन वक्ताओं को भी इस तरह के कार्यक्रमों में आमंत्रित कर संपर्क सुधर सकते हैं, लेकिन श्रोताओं का किसी नई दृष्टि से साक्षात्कार नहीं हो पाता है. सरकार और संगठन से जुड़े लोगों को बतौर वक्ता आमंत्रित कर इन संस्थाओं के कर्ताधर्ता अपनी कुर्सी भले ही सुरक्षित कर लें, लेकिन वो भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के मूल काम से भटकते नजर आते हैं. कला साहित्य और संस्कृति के विकास में इन इवेंट्स का क्या योगदान हो सकता है, इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए. परिवर्तन की इस रफ्तार को ना तो सुधार कह सकते हैं, ना ही बदलाव और क्रांति तक तो पहुंचना ही मुमकिन नहीं है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के एक कार्यक्रम का सिर्फ उदाहरण दिया गया है. कमोबेश हर संस्था यही रास्ता अपना रही है. रामधारी सिंह दिनकर ने सालों पहले लिखा था- 'दिल्ली में संस्कृति शब्द का का अर्थ नाच गान और नाटक तक सीमित होता जा रहा है. नृत्य संगीत और नाटक संस्कृति के अंग हैं, किन्तु संस्कृति उन्हीं तक सीमित नहीं है. दिनकर के इन विचारों से सालों बाद भी असहमत होने की कोई वजह दिखाई नहीं देती है.'

इस तरह के इवेंट्स में वेद, उपनिषद, पुराण आदि पर जमकर बातें होती हैं. कुछ विद्वान वक्ता अपने वक्तव्यों में इन ग्रंथों से पंक्तियां भी उद्धृत करते हैं. लेकिन आज इन ग्रंथों की जो हालत है उसको देखकर क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नए पाठक या हमारे देश का युवा इनको पढ़ेगा. आज बाजार में मौजूद वेदों की छपाई या उसके हिंदी भाष्य को उठाकर देख लें, तो यह बात साफ तौर पर समझ में आती है. आज आवश्यकता इस बात की है कि इन ग्रंथों की बेहतर छपाई हो और सामान्य, सरल और समकालीन हिंदी में उसके टीका पर काम करवाकर उसको प्रकाशित किया जाए. लेकिन वेद, पुराण और उपनिषद पर काम करवाने में इन संस्थाओं में कोई उत्साह नहीं दिखाई देता है. उत्साह में इस कमी की वजह है कि यहां मौजूद लोग वामपंथियों से आक्रांत हैं. कहीं ना कहीं उनके अवचेतन मन में यह चलता है कि इन ग्रंथों पर काम शुरू करवाने से वो वामपंथियों के निशाने पर आ जाएंगे. वो इस बखेड़े में पड़े बिना सुरक्षित तरीके से काम करते हुए अपना कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं. जबकि सांस्कृतिक बदलाव हमेशा क्रांति से ही संभव हुई है. रामधारी सिंह दिनकर ने कहा भी था कि 'हम जैसे विचारों में विश्वास करते हैं, हमारे कर्म वैसे ही हो जाते हैं. निवृत्ति की माला जपते-जपते हम गुलाम हो गए और प्रवृत्ति की आराधना का आरम्भ करते ही हमारी गुलामी चली गई. किन्तु, संस्कृति न तो केवल निवृत्ति है, न केवल प्रवृत्ति.' इस बात को समझने की जरूरत है.

हम जिस भारतीय ज्ञान परंपरा को बाधित किए जाने को लेकर लगातार आघातित विचारधारा को जिम्मेदार ठहराते हैं, उस ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने का क्या उपक्रम किया गया, इसपर ध्यान देने की जरूरत है. जिन संस्थाओं पर इसकी जिम्मेदारी थी, वो भी इवेंट मैनेजमेंट के काम में लगी हैं. प्रधानमंत्री पर एक पुस्तक को लेकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में दिनभर का कार्यक्रम होता है. पोस्टरों और बैनरों पर प्रधानमंत्री की भव्य तस्वीर लगी होती है. ऐसा करके हम क्या और किसको संदेश देना चाहते हैं. इस बात पर भी गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री पर प्रकाशित उस पुस्तक से किस तरह से संस्कृति या साहित्य पर असर पड़ रहा है. उस पुस्तक की गुणवत्ता से लेकर उसके व्यापक प्रभाव पर अलग से बात हो सकती है, होनी भी चाहिए. इंदिरा गांधी कला केंद्र में पुस्तकों और लेखकों को लेकर पुस्तकालय में एक मासिक कार्यक्रम होता रहा है. ऐसे में प्रधानमंत्री पर प्रकाशित पुस्तक पर अलग से कार्यक्रम का औचित्य समझ में नहीं आता है. यह ठीक है कि इस तरह के कार्यक्रम कभी कभार हो सकते हैं, लेकिन अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी उतनी ही संजीदगी दिखनी चाहिए.

इन संस्थाओं के कर्ताधर्ताओं में एक और अन्य अहम बात जो दिखाई देती है कि वो काम तो अपनी विचारधारा के आधार पर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि उसको इस तरह से किया जाए कि वामपंथी विचारधारा वाले मित्रों की भी उसमें रजामंदी रहे. यह ख्वाहिश भी सांस्कृतिक बदलाव में सबसे बड़ी बाधा है. वामपंथी विचारधारा वालों से स्वीकृति की चाहत बहुधा सांस्कृतिक बदलाव की योजना को रोक देती है. इन कला साहित्य और सांस्कृतिक संगठनों के क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर डालने पर यह हिचक साफ-साफ दिखाई देती है. नई संस्कृति का निर्माण कभी भी हिचक के साथ नहीं किया जा सकता है. निर्माण की बात अगर छोड़ भी दें, तो किसी भी विचारधारा को संस्कृति के केंद्र में लाने का काम भी हिचक की प्रवृत्ति के साथ संभव नहीं है. एक बार फिर दिनकर याद आते हैं जब वो कहते हैं कि- 'जातियों का सांस्कृतिक विनाश तब होता है, जब वे अपनी परंपराओं को भूलकर दूसरों की परंपराओं का अनुसरण करने लगती है... जब वे मन ही मन अपने को हीन और दूसरों को श्रेष्ठ मानकर मानसिक दासता को स्वेच्छया स्वीकार कर लेती है. इस हिचक के पीछे कहीं ना कहीं ये भाव भी होता है, जिसकी ओर दिनकर इशारा कर रहे हैं.

विरोधी खेमे से स्वीकृति की चाहत का लाभ भी वामपंथी बुद्धिजीवी बेहतर तरीके से उठा रहे हैं. इन संगठनों के इवेंट्स में वामपंथी मित्रों की सहभागिता इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है. वो कवि लेखक जिन्होंने केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ साहित्य अकादमी का पुरस्कार वापस किया था, वो अब लगातार साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों में नजर आते हैं. ना सिर्फ नजर आते हैं, बल्कि खुद को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कथाकार, कवि कहकर पुकारे जाने पर गौरवान्वित भी महसूस करते हैं. किसी भी कार्यक्रम में वो खुद को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक कहे जाने पर यह नहीं कह पाते हैं कि उन्होंने पुरस्कार वापस कर दिया था. आज जरूरत इस बात की है कि इन सांस्कृतिक संस्थाओं के कर्ताधर्ता भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास के लिए काम करें, चाहे उनको जोखिम भी क्यों ना उठाना पड़े. अगर वो ऐसा कर पाते हैं, तो इतिहास में दर्ज में हो जाएंगे, वर्ना इतिहास का बियावान उनके इंतजार में है. ■

anant.ibn@gmail.com

सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण आपका अधिकार है

चौथी दुनिया ब्यूरो

आरटीआई क़ानून में कई प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था है. निरीक्षण का मतलब है कि आप किसी भी सरकारी विभाग की फाइल अथवा किसी भी विभाग द्वारा कराए गए काम का निरीक्षण कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आपके क्षेत्र में कोई सड़क बनाई गई है और आप उसके निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री से संतुष्ट नहीं हैं या सड़क की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस अंक में हम आपको बता रहे हैं कि सरकारी फाइल का निरीक्षण कैसे किया जा सकता है और यह क्यों ज़रूरी है.

कई बार जब आप किसी सरकारी विभाग से सूचना मांगते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि अमुक सूचना हज़ार पृष्ठों की है और इसके लिए आपको एक खास शुल्क अदा करना होगा. कुछ मामलों में तो आवेदक से लाखों रुपए मांगे गए. मालूम हो कि पिछले दिनों बिहार के एक आवेदक से सूचना उपलब्ध कराने के बदले कई लाख रुपए जमा कराने को कहा गया था. लेकिन यह सब कुछ सिर्फ़ आवेदक को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है. इसके पीछे सरकारी अधिकारियों की यह मंशा होती है कि ऐसा करने से आवेदक सूचना की मांग नहीं करेगा. आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है. हालांकि इस मामले में थोड़ी सी सावधानी की भी ज़रूरत है. सावधानी आवेदन बनाने और सवाल पूछने के तरीकों में. मसलन, अगर किसी खास फाइल में से कुछ खास सूचनाएं ही चाहिए, तो आवेदक को पूरी सूचना मांगने के बजाय फाइल निरीक्षण के लिए आवेदन करना चाहिए.

इस कॉलम के जरिए हम आरटीआई क़ानून का इस्तेमाल करने वाले सभी आवेदकों को सलाह देना चाहेंगे कि जब कभी उन्हें किसी फाइल से कोई सूचना मांगनी हो, तो अपने आरटीआई आवेदन में एक सवाल फाइल निरीक्षण को लेकर भी जोड़ें. आप चाहें तो उक्त फाइल के निरीक्षण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. आरटीआई एक्ट की धारा 2 (जे)(1) के तहत आप इसकी मांग कर सकते हैं. इस अंक में हम फाइल निरीक्षण से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं.

आवेदन का प्रारूप

(सरकारी फाइल का निरीक्षण)

सेवा में,

दिनांक

लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय का नाम.

पता.

विषय: सूचना का अधिकार क़ानून 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

मैं सूचना का अधिकार क़ानून 2005 की धारा 2(जे)(1) के तहत अमुक फाइल.... का निरीक्षण करना चाहता/चाहती हूं. इस सम्बन्ध में आप मुझे एक तय तिथि, समय और जगह के बारे में सूचित करें, ताकि मैं आकर उक्त फाइल का निरीक्षण कर सकूं. साथ ही इस बात की भी व्यवस्था करें कि मुझे उक्त फाइल का जो भी हिस्सा चाहिए, उसकी फोटो कॉपी उपलब्ध कराई जा सके. इसके लिए नियत शुल्क का भुगतान मैं कर दूंगा/दूंगी.

मैं इस आरटीआई आवेदन के साथ दस रुपए का आवेदन शुल्क जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय

नाम.

हस्ताक्षर.

पता.

दूरभाष.

feedback@chauthiduniya.com

अगर आपके पास आरटीआई से संबंधित कोई ख़बर या सवाल है, तो हमें इमेल करें:
rti@chauthiduniya.com

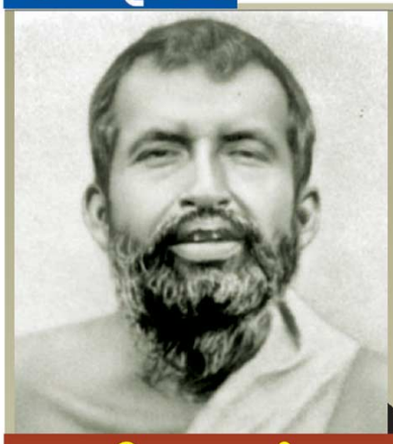

पुण्यतिथि विशेष

धर्म और मानवता को समर्पित रामकृष्ण परमहंस

जन्मदिन- 18 फ़रवरी 1836
पुण्यतिथि- 16 अगस्त 1886

जिसकी समस्त इंद्रियां उसके वश में हो, जो अद्वैत साधना, तंत्र साधना के साथ-साथ इस्लामी साधना और ईसाई साधना का भी प्रकांड विद्वान हो और जिसकी ईश्वर भक्ति के कारण लोग उसे पागल समझने लगे, उसे परमहंस की उपाधि मिल ही जाती है. स्वामी रामकृष्ण परमहंस न सिर्फ महान संत थे बल्कि मानवता के पुजारी भी थे. अपनी साधना से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं. विभिन्न धर्मों को वे ईश्वर तक पहुंचने का भिन्न-भिन्न साधन मात्र मानते थे.

चौथी दुनिया ब्यूरो

जिसकी समस्त इंद्रियां उसके वश में हो, जो अद्वैत साधना, तंत्र साधना के साथ-साथ इस्लामी साधना और ईसाई साधना का भी प्रकांड विद्वान हो और जिसकी ईश्वर भक्ति के कारण लोग उसे पागल समझने लगे, उसे परमहंस की उपाधि मिल ही जाती है. स्वामी रामकृष्ण परमहंस न सिर्फ महान संत थे बल्कि मानवता के पुजारी भी थे. अपनी साधना से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं. विभिन्न धर्मों को वे ईश्वर तक पहुंचने का भिन्न-भिन्न साधन मात्र मानते थे.

ऐसा कहा जाता है कि बंगाल प्रांत स्थित कामारपुकुर ग्राम के खुदीराम ने एक स्वप्न देखा कि भगवान गदाधर (विष्णु के अवतार) उनसे कह रहे हैं कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे. खुदीराम की पत्नी चंद्रमणि देवी को भी ऐसा ही एक अनुभव हुआ था. उन्होंने शिव मंदिर में अपने गर्भ में रौशनी प्रवेश करते हुए देखा था. इसके बाद 18 फ़रवरी 1836 को चंद्रमणि देवी ने एक बालक को जन्म दिया. माता-पिता ने उसे भगवान विष्णु की भेंट मानकर बच्चे का नाम रखा, गदाधर. गदाधर की बालसुलभ सरलता और मंत्रमुग्ध मुस्कान से हर कोई सम्मोहित हो जाता था. बाद में सन्यास ग्रहण करने के बाद इनका नाम पड़ा रामकृष्ण परमहंस. रामकृष्ण सात वर्ष के ही थे कि इनके सिर से पिता का साया उठ गया. इसके बाद परिस्थितियां विपरीत हो गईं, आर्थिक कठिनाइयां आईं. रामकृष्ण के बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय कलकत्ता (कोलकाता) में एक पाठशाला के संचालक थे. वे इन्हें भी अपने साथ कोलकाता ले गए. लेकिन वहां रामकृष्ण का मन अध्ययन-अध्यापन में नहीं लग पाया. 1855 में जब रामकुमार चट्टोपाध्याय को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो रामकृष्ण भी पूजा-पाठ में बड़े भाई की सहायता करने लगे. रामकृष्ण को देवी प्रतिमा को सजाने का दायित्व दिया गया था. एक साल बाद ही, 1856 में रामकुमार की मृत्यु हो गई. उसके बाद रामकृष्ण को ही काली मंदिर में पुरोहित के तौर पर नियुक्त किया गया.

बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण काली भक्ति में कुछ ज़्यादा ही ध्यान मग्न रहने लगे. वे माता की मूर्ति को अपनी माता और ब्रम्हांड की माता के रूप में देखने लगे थे. इसका वर्णना करते हुए वे कहते हैं- 'घर, द्वार, मंदिर और सब कुछ अदृश्य हो गया, जैसे कहीं कुछ भी नहीं था! और मैंने एक अनंत तीर विहीन आलोक का सागर देखा, यह चेतना का सागर था. जिस दिशा में भी मैंने दूर दूर तक जहां भी देखा बस उज्ज्वल लहरें दिखाई दे रही थीं, जो एक के बाद एक, मेरी तरफ आ रही थीं.' मां काली की आध्यात्मिक साधना में वे इतने लीन हो गए कि आस-पास के इलाके में अफवाह फैल गई कि रामकृष्ण का मानसिक संतुलन ख़राब हो गया है. उनकी माता जी ने उन्हें इस स्थिति से बाहर लाने के लिए उनका विवाह कराने का निर्णय लिया. उनका मानना था कि शादी के बाद आने वाली ज़िम्मेदारियों के कारण उनका ध्यान आध्यात्मिक साधना से हट जाएगा. 1859 में 5 वर्ष की शारदामणि मुखोपाध्याय और 23 वर्ष के रामकृष्ण का विवाह संपन्न हुआ. लेकिन विवाह के बाद भी गृहस्थ जीनव में उनका मन नहीं रमा. संसार की अनित्यता को देखकर उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ. दक्षिणेश्वर स्थित पंचवटी में वे ध्यानमग्न रहने लगे. उन्होंने तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदान्त का ज्ञान लाभ लिया. सन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नया नाम हुआ श्री रामकृष्ण परमहंस. इसके बाद उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म की भी साधना की.

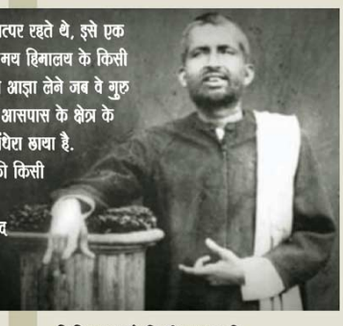

रामकृष्ण परमहंस मानव सेवा को लेकर कितने तत्पर रहते थे, इसे एक प्रसंग से समझा जा सकता है. विवेकानन्द कुछ समय हिमालय के किसी एकान्त स्थान पर तपस्या करना चाहते थे. इसकी आज्ञा लेने जब वे गुरु के पास गए, तो रामकृष्ण ने कहा- 'वत्स हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग भूख से तड़प रहे हैं. चारों ओर अज्ञान का अंधेरा छाया है. यहां लोग रोते-चिल्लाते रहें और तुम हिमालय की किसी गुफा में समाधि के आनन्द में निमग्न रहो. क्या तुम्हारी आत्मा स्वीकारेगी?' इससे बाद विवेकानन्द उन गरीबों की सेवा में लग गए. रामकृष्ण महान योगी, उच्चकोटि के साधक व विचारक थे.

इसके बाद उनके कठोर आध्यात्मिक अभ्यासों और सिद्धियों के समाचार तेजी से फैलने लगे. दक्षिणेश्वर का मंदिर रामकृष्ण परमहंस के भक्तों एवं भ्रमणशील संन्यासियों का प्रिय आश्रयस्थान हो गया. पं नारायण शास्त्री, पं पद्मलोचन तारकालकार, वैष्णवचरण और गौरीकांत तारकभूषण जैसे विद्वानों एवं प्रसिद्ध वैष्णव और तांत्रिक साधकों ने उनसे आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त की. स्वामी विवेकानन्द उनके परम शिष्य थे. रामकृष्ण परमहंस शीघ्र ही तत्कालीन सुविख्यात विचारकों के संपर्क में आए. इनमें केशवचंद्र सेन, विजयकृष्ण गोस्वामी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नाम लिए जा सकते हैं. रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम दिनों में समाधि की स्थिति में रहने लगे थे, इसलिए तन से शिथिल होने लगे.

रामकृष्ण परमहंस मानव सेवा को लेकर कितने तत्पर रहते थे, इसे एक प्रसंग से समझा जा सकता है. विवेकानन्द कुछ समय हिमालय के किसी एकान्त स्थान पर तपस्या करना चाहते थे. इसकी आज्ञा लेने जब वे गुरु के पास गए, तो रामकृष्ण ने कहा- 'वत्स हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग भूख से तड़प रहे हैं. चारों ओर अज्ञान का अंधेरा छाया है. यहां लोग रोते-चिल्लाते रहें और तुम हिमालय की किसी गुफा में समाधि के आनन्द में निमग्न रहो. क्या तुम्हारी आत्मा स्वीकारेगी?' इससे बाद विवेकानन्द उन गरीबों की सेवा में लग गए. रामकृष्ण महान योगी, उच्चकोटि के साधक व विचारक थे. सेवा पथ को ईश्वरीय प्रशस्त मानकर वे अनेकता में एकता का दर्शन करते थे. वे सेवा के जरिए समाज की सुरक्षा देना चाहते थे. उनके गले में सूजन को जब डाक्टरों ने कैंसर बताकर उन्हें समाधि लेने और वार्तालाप से मना किया, तब वे मुस्कराए और अंत समय तक सेवा कार्यों में लगे रहे. चिकित्सा के बावजूद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया. अंततः 16 अगस्त 1886 को सवेरा होने के कुछ ही वक्त पहले श्री रामकृष्ण परमहंस नश्वर देह को त्याग कर महासमाधि में लीन हो गए.

रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उनके विचारों और सद्गुणों को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया उनके परमशिष्य स्वामी विवेकानन्द ने. 1 मई, 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. उनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था, जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखें, उनके उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचा सकें और दुःखी एवं पीड़ित मानव जाति की निःस्वार्थ सेवा कर सकें. ■

feedback@chauthiduniya.com

बीमार बना सकती है अवसादग्रस्त ज़िंदगी

आए दिन अवसाद के कारण सुसाइड की खबरें आती हैं. इसलिए जरूरी है कि खुद को अवसाद के दायरे से दूर रखा जाय. इसके लिए सबसे जरूरी है खुद को व्यवस्थित करना. अपनी दिनचर्या और काम-काज को सही तरीके पूरा कर और सेहत का ध्यान रखते हुए खुद का अवसाद से दूर रखा जा सकता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अवसाद एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है. समाज का कोई वर्ग इससे अछूता नहीं है. चाहे वो छोटा बच्चा हो, युवा वर्ग या फिर कोई बड़ा-बुजुर्ग, हर कोई आज तनाव में जी रहा है. बच्चों को पढ़ाई की चिंता है, युवाओं को जॉब की, तो वहीं बड़ों को परिवार और अपने बच्चा के भविष्य की चिंता. डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज हर 4 में से 1 युवा अवसाद का शिकार है. अवसाद से न सिर्फ हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है बल्कि ये हमें मानसिक और शारीरिक रूप से भी बीमार बनाता है. अवसाद के कारण एक स्वस्थ व्यक्ति में कई तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं. आज के समय में तो ये और भी जानलेवा होता जा रहा है. आए दिन अवसाद के कारण सुसाइड की खबरें आती हैं. इसलिए जरूरी है कि खुद को अवसाद के दायरे से दूर रखा जाय. इसके लिए सबसे जरूरी है खुद को व्यवस्थित करना. अपनी दिनचर्या और काम-काज को सही तरीके पूरा कर और सेहत का ध्यान रखते हुए खुद का अवसाद से दूर रखा जा सकता है. इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जिनके द्वारा आप खुद को अवसाद से दूर रख सकते हैं.

खुद को जागरूक करें

अवसाद का एक बड़ा कारण ये है कि हम अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारें ज्यादा नहीं जानते. जिंदगी के उतार-चढ़ाव में जब कोई चुनौती हमारे सामने आती है, तो हम उसका सामना करने की बजाय परेशान हो जाते हैं और ये परेशानी हमें अवसादग्रस्त बना देती है.

सहायता मांगें

बहुत से लोग जिंदगी को अकेले अपने तरीके से जीना चाहते हैं, वे कठीन समय में भी किसी की सहायता नहीं लेना चाहते. हमें समझना चाहिए कि कोई भी जिंदगी का बोझ अकेला नहीं उठा सकता. बुरे समय में अपनी पत्नी, सहकर्मी और दोस्त की सहायता लेने से आपको भावनात्मक बोझ से छुटकारा मिलेगा और परेशानियां आप पर हावी नहीं हो पाएंगी.

नियमित व्यायाम करें

अवसाद दूर भगाने का एक सबसे अच्छा तरीका है, व्यायाम. नियमित व्यायाम न केवल अच्छी सेहत के लिए जरूरी है, बल्कि इससे शरीर में एक सकारात्मक उर्जा का संचार भी होता है. व्यायाम करने से शरीर में सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरोन हारमोंस का स्राव होता है, जिससे दिमाग स्थिर होता है और मन में बुरे विचार घर नहीं कर पाते. इससे व्यक्ति अवसाद से दूर रहता है.

अपने लिए समय निकालें

दफ्तर का काम और बाहर की समस्याएं अवसाद का एक बड़ा कारण हैं. लोग अपने ऑफिसियल रूटीन लाइफ में इस तरह से उलझे हुए हैं कि उनके पास खुद के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है. दृश्यों में बदलाव होते रहना नकारात्मक विचारों को दूर रखने में मददगार होता है. नियमित रूप से छुट्टी पर जाने वाले लोग जीवन की एकरसता और बोरपन से जल्दी निकल जाते हैं.

अच्छे दोस्त बनाएं

कहा जाता है, वे लोग किस्मत वाले होते हैं, जिनके पास एक अच्छा दोस्त होता है. जीवन के हर मोड़ पर हमें एक अच्छे दोस्त की जरूरत महसूस होती है. दोस्त हमें आवश्यक सहानुभूति प्रदान करते हैं और साथ ही साथ अवसाद के समय सही निजी सलाह भी देते हैं.

नकारात्मक लोगों से दूर रहें

कई लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें हर काम और हर चीज का नकारात्मक पक्ष ही नजर आता है. वे सफलता के द्वार पर खड़े व्यक्ति को भी हताश और निराश कर देते हैं. ऐसे लोग खुद तो आगे बढ़ते नहीं, हमेशा दूसरों को नीचे गिराने में लगे रहते हैं. इसलिए ऐसे लोगों की संगत से हमेशा ही खुद के दूर रखना चाहिए.

वर्तमान में जिएं

बीते हुए की चिंता और आने वाले की फिक्र हमेशा आदमी को परेशानी में डाल देती है. इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा वर्तमान में जिएं. पुरानी भूलों और गलतियों का शिकवा करने और अनिश्चित भविष्य के बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है. जब यह हमारे नियंत्रण में ही नहीं है, तो फिर इसके बारे में चिंता कर के खुद को अवसादग्रस्त करने का कोई फायदा नहीं.

पूरी नींद लें

वर्तमान समय में अवसाद का एक बड़ा कारण अच्छी और पूरी नींद का न लेना भी है. काम के बोझ से दबा आदमी रात में देर से सोता है और सुबह जल्दी जग जाता है. नींद पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण काम में भी मन नहीं लगता और आदमी अवसादग्रस्त हो जाता है. इसलिए एक अच्छी और पूरी रात की नींद सकारात्मक उर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है.

संगीत से नाता जोड़ें

संगीत में मूड बदलने और मन को प्रसन्न करने की ताकत होती है. अच्छा संगीत आपके परेशान मूड को काफी जल्दी ठीक कर सकता है. कई लोग अपना काम शुरू करने से पहले संगीत सुनना पसंद करते हैं.

इंटरनेट-मोबाइल की लत न लगे

आज के समय में अवसाद का सबसे बड़ा कारण इंटरनेट और मोबाइल की लत है. हमेशा ध्यान रखें कि इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत के लिए ही करें. इसके इस्तेमाल को अपनी मजबूरी ना बनाएं. ■

feedback@chauthiduniya.com

युवाओं को आर्मी से जुड़ने की प्रेरणा देती लक्ष्य

फिल्म ऐसे लापरवाह युवक करन शेरगिल (ऋतिक रोशन) की कहानी है, जिसकी जिंदगी आर्मी में आने के बाद पूरी तरह से बदल जाती है. फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से एक लापरवाह लड़का आर्मी में आने के बाद देश की सेवा जी-जान से करता है. इस फिल्म ने कई युवाओं को आर्मी से जुड़ने की प्रेरणा दी है.

देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों...

आज़ादी की गाथा को बख़ूबी बयां करती ये देशभक्ति फिल्में

बॉलीवुड स्टार्स को जब हम किसी सैनिक या आर्मी ऑफिसर्स का रोल प्ले करते देखते हैं, तो दिल में देशभक्ति की भावनाएं उफान मारने लगती हैं. जानते हैं कुछ हिंदी फिल्मों के बारे में, जिनमें अभिनेताओं को बड़े पर्दे पर एक सैनिक के किरदार में देखकर ऐसा लगा कि वे पर्दे पर नहीं, बल्कि असली सैनिक हैं.

प्रवीण कुमार
feedback@chauthiduniya.com

एक दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में देशभक्ति फिल्मों की अच्छी ख़ासी डिमांड हुआ करती थी. जंग-ए-आज़ादी की याद दिलाती कई देशभक्ति फिल्में को बनाया जाता था. उस समय ज्यादातर फिल्में देशभक्ति और उनसे जुड़ी होती थीं. दिलीप कुमार, मनोज कुमार, जितेंद्र, धर्मेन्द्र, सुनील दत्त, राजकुमार आदि ऐसे अभिनेता थे जो अपने अभिनय से इन फिल्मों में जान डाल देते थे. उन दिनों देशभक्ति गीतों का भी अच्छा ख़ासा महत्व था. वे गाने आज भी देश में आज़ादी के मौके पर याद किए जाते हैं, जिनमें मेरा रंग दे बसंती चोला..., आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिन्दुस्तान की..., हम लाएं हैं तूफ़ान से..., ऐ वतन, ऐ वतन हमको तेरी कसम..., छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी..., मेरे देश की धरती सोना उगले..., हर करम अपना करेंगे..., ये देश है वीर जवानों का..., ऐ मेरे प्यारे वतन...अपनी आजादी को हम..., अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों.., जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़ियां करती है बसेरा... ऐ मेरे वतन के लोगों.., संदेसे आते हैं, हमें तड़पाते हैं.., आदि ऐसे गीत हैं, जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ख़ूब याद किए जाते हैं. इन गानों को सुनते ही हर देशवासी गर्व का अनुभव करता है.

जिस तरह से समय धीरे-धीरे बदलता गया हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी बदलती गई. आज के दौर में भले ही देशभक्ति फिल्में बेहद कम बनाई जाती हैं, लेकिन उन पुरानी फिल्मों के प्रति आज भी लोगों का क्रेज बरकरार है. आइए जानते हैं देश की शानदार देशभक्ति फिल्मों के बारे में, जो हमारी आज़ादी की गाथा को बखूबी बयां करती हैं और हमारे दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगाती हैं.

आनंद मठ – 1952 में आई फिल्म *आनंद मठ* बंकिम चंद्र चटर्जी के नॉवेल पर आधारित थी. फिल्म संन्यासी क्रांतिकारियों की आज़ादी

की लड़ाई की कहानी थी जो 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के खिलाफ़ हुई थी. इस फिल्म में *वंदे मातरम्* गीत का भी इस्तेमाल किया गया था.

हक़ीकत- फिल्म हक़ीकत 1962 के भारत-चीन युद्ध पर बनाई गई थी. कहानी ऐसे सैनिकों की टुकड़ी की है, जो लद्दाख में भारत-चीन युद्ध के दौरान सोचते हैं कि उनकी मौत निश्चित

है लेकिन उन्हें कैप्टन बहादुर सिंह (धर्मेंद्र) बचा लेता है. फिल्म बहुत शानदार थी और फिल्म के गीत *अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों..*, को लोग आज भी ख़ूब सुनते हैं.

शहीद भगत सिंह – फिल्म भगत सिंह की जिंदगी पर आधारित थी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी.

मनोज कुमार की 1965 में आई फिल्म शहीद भगत सिंह भी इसी पर आधारित थी. यह फिल्म सुपरहिट रही थी. बाद में शहीद भगत सिंह पर कई फिल्में लगातार बनती रहीं. इन फिल्मों में सबसे ज्यादा नाम अजय देवगन की फिल्म *द लेजेंड ऑफ भगत सिंह* ने कमाया, जिसे राजकुमार संतोषी ने बनाया और दर्शकों ने भी ख़ूब पसंद किया.

हिंदुस्तान की कसम – बॉलीवुड में कई फिल्में ऐसी हैं, जो भारत-पाक के रिश्तों और उनके बीच युद्धों पर बनी है. हिंदुस्तान की कसम भी इन्हीं फिल्मों में से एक थी. इस फिल्म को चेतन आनंद ने निर्देशित किया था. यह फिल्म भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई जंग पर बनी थी. युद्ध की बर्बरता को इस फिल्म में दिखाया गया था. 1973 में रिलीज इस फिल्म में राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी.

उपकार- बताया जाता है कि मनोज कुमार ने प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के कहने पर फिल्म उपकार बनाई थी. इस देशभक्ति फिल्म को बनाने का उद्देश्य यह था कि *जय जवान,*

जय किसान के नारे को बुलंद किया जाए. फिल्म में मनोज कुमार के अभिनय ने लाखों करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया. फिल्म में मनोज कुमार का नाम भरत था और इसके बाद लोग उन्हें भरत कुमार बुलाने लगे थे. मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती... गाने को उन दिनों कई अवार्ड से भी नवाजा गया.

कर्मा- साल 1986 में आई मल्टीस्टार्स फिल्म कर्मा, जिसमें दिलीप कुमार के अलावा नूतन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और अनुपम खेर ने भूमिका अदा की थी. फिल्म की कहानी में यह दिखाया गया कि किस तरह से देश में आतंक का साया बढ़ता जा रहा

है. इसी आतंक को ख़त्म करने के लिए दिलीप कुमार और उनके साथियों ने आतंकियों का सफ़ाया किया. फिल्म में एक लोकप्रिय गीत हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए..आज भी सुना जाता है.

तिरंगा- 1992 में राजकुमार की सुपरहिट फिल्म तिरंगा को लोगों ने ख़ूब पसंद किया. फिल्म में राजकुमार का किरदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का था और उनका साथ नाना पाटेकर ने दिया था. फिल्म की सबसे बड़ी

खासियत राजकुमार के डायलॉग्स थे, जो लोग आज भी नहीं भूले हैं, जैसे - हमारी जुबान भी हमारी गोली की तरह है, दुश्मन से सीधी बात करती है और हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं.

बॉर्डर- जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध पर आधारित है. फिल्म बॉर्डर में वह सब कुछ देखने को मिलेगा जो एक देशभक्ति फिल्म में होना चाहिए. 1997 में यह फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी. इस फिल्म की कहानी सत्य घटना से प्रेरित है. इस फिल्म में भारत-पाक युद्ध के समय लड़े गए लांग्वला युद्ध को विस्तार से बताया गया है.

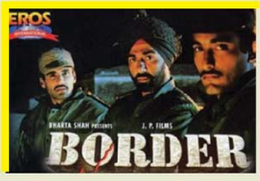

फिल्म की कहानी 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान की लड़ाई से प्रेरित है, जहां राजस्थान के लांग्वला पोस्ट पर 120 भारतीय जवान सारी रात पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट का सामना करते हैं. फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, पुनित इस्सर, सुदेश बेरी आदि कलाकारों का अभिनय शानदार था.

एलओसीः कारगिल- साल 2003 में आई ये फिल्म 1999 के भारत-पाक कारगिल युद्ध पर आधारित थी. इस फिल्म को भी जेपी दत्ता ने ही डायरेक्ट किया था. इसके अलावा फिल्म में कई बॉलीवुड स्टार्स ने भूमिका निभाई थी,

जिनमें अजय देवगन, अरमान कोहली, संजय दत्त, नागार्जुन, सैफ अली खान, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, मोहनीश बहल, अक्षय खन्ना, मनोज वाजपेयी, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, ईशा देओल और रवीना टंडन आदि मुख्य भूमिका में थे.

इन फिल्मों के अलावा भी कई ऐसी फिल्में हैं, जो देशभक्ति पर बनी हैं, जिनमें ललकार, मंगल पांडेः द राइजिंग, क्रांति, क्रांतिवीर, स्वदेश, इंडियन, ज़मीन, एलओसीः कारगिल, मां तुझे सलाम, हॉलीडे, रंग दे बसंती, बेबी आदि ऐसी फिल्में हैं, जिनमें देशभक्ति का जज्बा दिखता है.■